लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड 43, 1965/1887 (शक)

Volume XLIII, 1965/1887 (Saka)

(3 से 11 मई, 1965 तक/13 से 21 वैशाख, 1887 (शक))
(May 3 to 11, 1965/Vaisakha 13 to 21, 1887 (Saka))

ग्यारहवां सत्र, 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

(खण्ड 43 में अंक 51 से 57 तक हैं)
(Vol. XLIII contains Nos. 51 to 57)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 52—मंगलवार 4 मई, 1965/14 वैशाख, 1887 (शक)

गणपूर्ति के बारे में

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1147	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर .	4905—08
1148	विमान सेवाओं का मिलाना .	4908—10
1149	व्यापारियों की समिति	4910—13
1150	छोटी सिंचाई कार्यक्रम	4913—16
1151	मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड . . .	4916—19
1152	भूमि प्रबन्ध तथा विकास बोर्ड . . .	4919—21
1153	भूमि सर्वेक्षण का व्यापक कार्यक्रम . .	4922—24
1157	चम्बल घाटी में भूमि को कृषि योग्य बनाना . .	4924—27

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित

प्रश्न संख्या

1154	पत्तनों पर विलम्ब शुल्क . . .	4927—28
1155	पंचायत सचिवों की पदावलि . . .	4928
1156	भाण्डागारों का निर्माण . . .	4928—29
1158	बिहार में चीनी मिलें	4929
1159	विश्व खाद्य कार्यक्रम . .	4929
1160	पर्यटन के लिये पृथक मंत्रालय . .	4930
1161	अधिवक्ता अधिनियम . .	4930
1162	सामुदायिक विकास खण्डों में जीपों का प्रयोग .	4930—31
1163	केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों का प्रकाशन	4931—32
1164	कृषि अनुसन्धान कार्य समन्वय परिषदें	4932
1165	खाद्य भण्डार क्षमता .	4933
1166	भारतीय नाविक . .	4933—34
1167	गेहूं उत्पादन की आस्ट्रेलियाई प्रणाली . . .	4934

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 52 —Tuesday, May 4, 1965/Vaisakha 14, 1887 (Saka)

Re : Quorum :—

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.	Subject	PAGES
1147	Delhi State Central Co-operative Stores	4905–08
1148	Pooling of Air Services	4908–10
1149	Committee of Traders	4910–13
1150	Minor Irrigation Programme	4913–16
1151	Price Stabilisation Board	4916–19
1152	Land Management and Development Board	4919–21
1153	Comprehensive Programme of Soil Survey	4922–24
1157	Reclamation of Land in Chambal Revines	4924–27

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question No.	Subject	Pages
1154	Demurrage at Ports	4927–28
1155	Cadre of Panchayat Secretaries	4928
1156	Construction of Warehouses	4928–29
1158	Sugar Mills in Bihar	4929
1159	World Food Programme	4929
1160	Separate Ministry for Tourism	4930
1161	Advocates Act	4930
1162	Use of Jeeps in C. D. Blocks	4930–31
1163	Publication of Central and State Acts	4931–32
1164	Councils for Co-ordination of Agricultural Research	4932
1165	Food Storage Capacity	4933
1166	Indian Seamen	4933–34
1167	Australian method of Wheat Production	4934

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2976	पटसन की खेती	4934
2977	उत्तर प्रदेश में अपाहिज व्यक्तियों की शिक्षा	4935
2978	अन्बर चर्खे	4935–36
2979	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रावास	4936
2980	मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये होस्टल	4936
2981	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	4936–37
2984	कारीवनूर बेसिन स्कीम	4937
2985	कनन्नूर में ऊपरी पुल	4937
2986	मंगलौर हवाई अड्डा	4937–38
2987	अल्वाये–एर्नाकुलम पाइपलाइन सड़क	4938
2988	स्कूटरों में लगी हुई किराया सूचियां	4938
2989	केरल परिवहन निगम के कर्मचारी	4938–39
2990	केरल में सड़क परिवहन यात्रियों के लिये खान-पान की सुविधायें	4939
2991	केरल के मालाबार क्षेत्र में पर्यटन केन्द्र	4939
2993	उत्तर प्रदेश के कोल आदिवासी	4940
2994	गेहूं की नई किस्म	4940
2995	राष्ट्रीय राजपथ	4940–41
2996	वैज्ञानिक तथा तकनीशन	4941
2997	खाद्यान्नों का समाहार	4942
2998	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	4942–43
2999	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण	4943
3000	लाख के उत्पादन में कमी	4943–44
3001	राज्यों में गन्ने की पिराई	4944–45
3002	उड़ीसा में कुटीर उद्योग	4945–46
3003	पटना में गंगा नदी पर पुल	4946
3004	अलाभप्रद चीनी कारखाने	4947
3005	खली की कमी	4947
3006	उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं द्वारा ट्रैक्टरों का प्रयोग	4947–48
3007	भारत का खाद्य निगम	4948
3008	बिना टिकट यात्री	4948
3009	गन्ने के मूल्य का भुगतान	4948–49
3010	राज्यों में सहकारी संस्थायें	4949–50

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
2976	Jute Cultivation	4934
2977	Education of Handicapped in U.P.	4935
2978	Ambar Charkhas	4535–36
2979	Hostels for S.C. & S.T. in U.P.	4936
2980	Hostels for S. C. & S.T. in Mysore	4936
2981	S. C. & S. T. in Andaman and Nicobar Islands	4936–37
2984	Karivanoore Basin Scheme	4937
2985	Over-bridge in Canannore	4937
2986	Mangalore Airport	4937–38
2987	Alwaye-Ernakulam Pipeline Road	4938
2988	Rate-Charts of Scooters	4938
2989	Employees of Kerala Transport Corp.	4938–39
2990	Catering facilities for Road Transport Passengers, Kerala	4939
2991	Tourist Centre in Malabar Region of Kerala	4939
2993	Koal Adivasis of U.P.	4940
2994	New Variety of Wheat	4940
2995	National Highways	4940–41
2996	Scientists and Technicians	4941
2997	Procurement of Foodgrains	4942
2998	Scholarships to S. C. and S. T. Students	4942–43
2999	Revision of Lists of S. C. & S. T	4943
3000	Decline in Production of Lac	4943–44
3001	Crushing of Sugar Cane in States	4944–45
3002	Cottage Industries in Orissa	4945–46
3003	Bridges over Ganga at Patna	4946
3004	Uneconomic Sugar Factories	4947
3005	Shortage of Oil Cake	4947
3006	Use of Tractors by U.P. Municipalities	4947–48
3007	Food Corporation of India	4948
3008	Ticketless Travellers	4948
3009	Payment of Price of Sugarcane	4948–49
3010	Cooperative Institutions in States	4949–50

	विषय	पृष्ठ
3011	आदिम जाति-क्षेत्रों में सहकारी श्रम समितियां . .	4950
3012	अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये उच्चतर तकनीकी शिक्षा . .	4950-51
3013	दिल्ली–गोहाटी विमान सेवा . .	4951
3014	खानाबदोश आदिम जातियों का अध्ययन . .	4951–52
3015	कृषि वैज्ञानिक . .	4952
3016	दिल्ली परिवहन बस मार्ग .	4952–53
3017	कृषि अर्थ-व्यवस्था . . .	4953
3018	नेपाल में अखबारी कागज का उत्पादन . .	4953
3019	उठाऊ सिंचाई योजनायें . .	4953–54
3020	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड . .	4954
3021	केरल में मीनक्षेत्र . .	4954–55
3022	राज्य विधान मण्डलों में रिक्त स्थान . . .	4955–56
3023	अन्ध विद्यालय पंचकुई रोड, नई दिल्ली . . .	4956
3024	मद्रास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	4956–57
3025	मद्रास को उर्वरकों का सम्भरण . . .	4957-58
3026	पर्यटन	4958
3027	हिसार में घोड़ों की नस्ल सुधारना . . .	4958
3028	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 10	4958
3029	हरियाना के दुधारू पशुओं की नस्ल . . .	4959
3030	पंजाब में चीनी मिलें	4959
3031	अवाणिज्यिक ईंधन के स्थान पर अन्य ईंधन का प्रयोग .	4959–60
3032	अहमदाबाद में डेरी	4960
3033	चीनी के सहकारी कारखाने . . .	4960–61
3034	नलकूपों का अर्जन . . .	4961
3035	गैंडों का परिरक्षण	4961
3036	यंत्रीकृत सहकारी फार्म .	4962
3037	वनस्पति-रक्षा योजना . . .	4962
3038	होटल मालिकों और ट्रेवल एजेन्टों का सम्मेलन .	4962–63
3039	दिल्ली में कृषि-कालेज .	4963
3040	कृषि शिक्षा . . .	4963
3041	पश्चिमी तट सड़क पर पुल .	4964
3042	भैंसों के कटरों को कम दूध पिलाना . . .	4964
3043	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण . .	4964–65
3044	अलीपुर विकास खण्ड	4965
3045	उत्तर प्रदेश के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (एड) से गेहूं	4966
3046	गोबर से गैस का उत्पादन	4966

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
3011	Labour Cooperatives in Tribal Areas	4950
3012	Higher Technical Education for S. T. Students	4950–51
3013	Delhi-Gauhati Air Service	4951
3014	Study of Nomadic Tribes	4951–52
3015	Farm Scientists	4952
3016	D.T.U. Bus Route	4952–93
3017	Agricultural Economy	4953
3018	Production of Newsprint in Nepal	4953
3019	Lift Irrigation Schemes	4953–54
3020	Central Social welfare Board	4954
3021	Fisheries in Kerala	4954–55
3022	Vacant Seats in State Legislatures	4955–56
3023	Blind School, Panchkuin Road, New Delhi	4956
3024	Welfare of S. C. & S. T. in Madras	4956–57
3025	Supply of Fertilizers to Madras	4957–58
3026	Tourism	4958
3027	Breeding of Horses at Hissar	4958
3028	National Highway No. 10	4958
3029	Breed of Haryana Milch Cattle	4959
3030	Sugar Mills in Punjab	4959
3031	Replacement of Non-Commercial Fuel	4959–60
3032	Dairy in Ahmedabad	4960
3033	Cooperative Sugar Factories	4960–61
3034	Energising of Tube Wells	4961
3035	Preservation of Rhinos	4961
3036	Mechanised Cooperative Farms	4962
3037	Plant Protection Scheme	4962
3038	Convention of Hoteliers and Travel Agents	4962–63
3039	Agricultural College in Delhi	4963
3040	Agricultural Education	4963
3041	Bridges on West Coast Road	4964
3042	Under-feeding of Young Ones of Buffaloes	4964
3043	Welfare of S. C. & S. T. in Maharashtra	4964–65
3044	Alipur Development Block	4965
3045	AID wheat for U.P.	4966
3046	Production of Cow-dung Gas	4966

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	4967—72
भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की सेना के जमाव के समाचार	4967—72
श्री दी० चं० शर्मा .	4967
श्री यशवन्तराव चव्हाण . . .	4967—72
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न) .	4972—74
सभा पटल पर रखे गये पत्र	4974
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	4974
कार्यवाही-सारांश तथा चौथा प्रतिवेदन . . .	4974
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	4975
आठवां प्रतिवेदन . .	4975
कच्छ-सिन्ध सीमा की स्थिति के बारे में	4975
वित्त विधेयक, 1965	4975—5002
विचार करने का प्रस्ताव	4975—5002
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	4975—76
श्री रा० स० तिवारी	4976—77
श्री के० दे० मालवीय	9477—78
श्री अल्वारेस . .	4978—80
श्री फिरोडिया	4980—82
श्री म० ला० द्विवेदी . . .	4982—84
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . . .	4984—86
श्री कमलनयन बजाज . . .	4986—88
श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी	4988—89
श्री नारायण दांडेकर . . .	4989—90
श्री राधेलाल व्यास . . .	4990—92
श्री मुरारका	4992—93
डा० राममनोहर लोहिया	4993—94
श्री मोहसिन	4995
श्री दी० चं० शर्मा	4996—97
श्री बिशनचन्द्र सेठ	4997—98
श्री नि० चं० चटर्जी . .	4998—99
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . .	4999—5002

Subject	PAGES
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	4967—72
Reported concentration of Pakistani troops on India—East Pakistan border	4967—72
Shri D. C. Sharma	4967
Shri Y. B. Chavan .	4967—72
Re : Calling Attention Notices and Motions for Adjournment (Query)	4972—74
Papers laid on the Table	4974
Committee on Subordinate Legislation . .	4974
Minutes and Fourth Report . . .	4974
Committee on Public Undertakings	4975
Eighth Report . .	4975
Re : situation on Kutch-Sind Border	4975
Finance Bill, 1965 . .	4975—5002
Motion to consider . .	4575—5002
Shri J. P. Jyotishi . . .	4975-76
Shri R. S. Tiwary . . .	4976-77
Shri K. D. Malaviya .	4977-78
Shri Alvares . .	4978—80
Shri Firodia . .	4980—82
Shri M. L. Dwivedy .	4982—84
Dr. L. M. Singhvi . . .	4984—86
Shri Kamalnayan Bajaj . . .	4986—88
Shri Chandramani Lal Chaudhry . .	4988-89
Shri N. Dandeker	4989-90
Shri Radhelal Vyas .	4990—92
Shri Morarka	4992-93
Dr. Ram Manohar Lohia . .	4993-94
Shri Mohsin	4995
Shri D. C. Sharma . . .	4996-97
Shri Bishanchander Seth . .	4997-98
Shri N. C. Chatterjee .	4998-99
Shri T. T. Krishnamachari .	4999-5002

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 4 मई, 1965/14 वैशाख, 1887 (शक)

Tuesday, May 4, 1965/Vaisakha 14, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of thi Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. SPEAKER *in the Chair*

गणपूर्ति के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी यह प्रार्थना दोहराता हूं कि मुझे गणपूर्ति होने तक प्रतीक्षा करने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। सदस्य कुछ सावधान रहें कि कम से कम 11 बजे गणपूर्ति होनी चाहिये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi State Central Co-operative Stores

+

1147. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Daji
Shrimati Vimla Devi :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Hem Raj :
Shri D.C. Sharma :

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 170 on the 24th November, 1964 and state the action taken so far on the police investigation report regarding the serious irregularities in the working of the Delhi State Central Cooperative Stores ?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : Cases were instituted on

the basis of the report of the police investigation in regard to (a) storage and sale of gur/khandsari from unauthorised premises and failure to submit fortnightly returns to the Director of Cvil Supplies, Delhi and (b) blackmarketing in iron and steel. These cases are under trial.

Police investigation is in progress regarding the sale of substandard coal.

Shri Prakash Vir Shastri: As stated by the hon. Parliamentry Secretary regarding the Delhi Cooperative Store, the police had mentioned the names of ten persons in their recommendations regarding the Iron and Steel muddle. This police report had also mentioned the names of two M. Ps., but it is said that one of these names was deleted by the Chief Commissioner and the other member got his name deleted by getting the case reopened. If this be a fact, then how corruption can be eradicated in these cooperative stores ?

श्री शिन्दे : वास्तविक स्थिति तो यह है कि लोहे तथा इस्पात और "जी-सी" चादरों में चोरबाज़ारी के मामले की पुलिस जांच समाप्त होने पर 6 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार किये गये और न्यायालय में 6 भिन्न मामले दर्ज किये गये हैं । इस समय यह मामले पहाड़गंज के एस० डी० एम० के न्यायालय में लम्बित हैं ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का कहना है कि दो संसद् सदस्यों ने अपने रसूख द्वारा इन सूचियों से अपने नाम हटवा दिये हैं ।

श्री शिन्दे : मेरे विचार में पुलिस ने अपनी कार्यवाही बिना किसी हस्तक्षप के की है और माननीय सदस्य का सन्देह आधारहीन है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Just now Six persons were mentioned. But as far as my information goes, there were ten names instead of six in the list, and out of these six persons, one of them got the case reopened and got his name deleted from the list. I want to know the names of those M. Ps., whose names were there in the report of the police, and also whether it is a fact that the auditor's report on this cooperative atore has disappeared ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, मेरे विचार में कोई मामला दायर नहीं किया गया । कोयला सम्बन्धी मामला केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपा गया है । अन्य दो मामलों में से, एक गुड़ तथा खण्डसारी के अनिधकृन स्थानों पर विक्रय के सम्बन्ध में है और यह मामला दायर किया जा चुका है ।

दो व्यक्तियों को आरोप पत्र दिया गया है । जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है जी० सी० चादरों के सम्बन्ध में मुकदमा चालू कर दिया गया है और छः व्यक्तियों को आरोप-पत्र दिया गया है । उन में से कोई भी संसद सदस्य नहीं है । पुलिसद्वारा पेश की गई सूची में दिल्ली प्रशासन या केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षप करने का प्रश्न ही नहीं है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The action taken by the police in this connection has been quoted here time and again. Is it not a fact that the case was instituted after full enquiry ? If so, whether it is not a fact that nothing has been found against those persons whose names are being mentioned here time and again ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस बात के लिए समस्त प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इस सम्बन्ध में जांच यथासम्भव बुद्धिमत्ता से की जाये । इसलिए, हम राजस्थान से एक जांच अधिकारी की सेवा प्राप्त कर रहे हैं । उस स्टोर की लेखा परीक्षा भी महा लेखापरीक्षक द्वारा भेजे गये अधिकारियों के एक दल को सौंपी गई है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is said that in the first report by the police names of two Members of Parliament, namely Shri Brahm Prakash and Shri Shiv Charan Gupta, were included. May I know whether this is a fact ?

श्री ब० सू० मूर्ति : पुलिस द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी गई है। यदि उसे मामला प्रत्यक्षता ठीक प्रतीत हो तो वे सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकती है।

श्री शिकरे : प्रश्न का सीधा उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : Why are you suppressing it ? How will you end corruption ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या वाद पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना के आधार पर आरम्भ किया गया था और क्या प्रथम सूचना में कोई नाम दिये गये थे तथा उस सूची में दो संसद सदस्यों के नाम शामिल थे ?

श्री ब० सू० मूर्ति : हमें इसकी जानकारी नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri : He is trying to evade the question.

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय को कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें तथ्यों का पता लगाना चाहिये और सभा को बताना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : भविष्य के लिए दृष्टान्त के रूप में मैं आपसे इस मामले पर विनिर्णय चाहता हूं । ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें कई बार गलत लोग फंस जाते हैं और जांच करने पर यह पता लगता है कि उन लोगों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या इस सदन में ऐसे नाम लेना ठीक है जिनका सम्भवत: उल्लेख किया गया हो परन्तु बाद की जांच से गलत सिद्ध हुआ हो ? क्या ऐसे नामों का उल्लेख किया जाना चाहिये और उन पर अनावश्यक रूप से कलंक लगाया जाना चाहिये ? मैं इन दो नामों के सम्बन्ध में नहीं बल्कि भविष्य के लिए जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह पता लगाना जांच करने वाले अधिकारी का काम है कि कौन दोषी हैं तथा कौन दोषी नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि वह दोषी सिद्ध न हो जाये। परन्तु यह पूछना ठीक ही है कि क्या प्रथम सूचना में कोई नाम दर्ज थे। यह हो सकता है कि उन्हें द्वेष के कारण अवैध रूप से फंसाया गया हो। किसी ने निजी शत्रुता के कारण सूचना दर्ज करवा ली हो। परन्तु यह बिल्कुल बाद की बात है। पहले यह जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है कि क्या प्रथम सूचना में कोई नाम शामिल हैं। यह जांच अधिकारी का काम है कि वह इस बात का पता लगाये कि क्या वास्तव में उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आरोप है और केवल उन लोगों का नाम आगे भेजे जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण मिले। इसलिए हम यह धारणा नहीं बना सकते कि जिस व्यक्ति का नाम उस रिपोर्ट में शामिल है, वह अपराधी ही है।

श्री कपूर सिंह : हमें यह जानने का अधिकार है कि क्या उन में से छोड़े जाने वाले लोगों को अनुचित रसूख के कारण छोड़ दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : आपके निर्देश को विचाराधीन रखते हुए, मैं सभा के सामने रखी गयी इस मांग को फिर दुहराता हूं कि यदि इस समय पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है तो इसे इकट्ठा किया जाना चाहिये और हमें वह नाम बताये जाने चाहियें जिनका प्रथम सूचना में उल्लेख था और यह भी बताना चाहिये कि उनके नाम किस प्रक्रम पर निकाल दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कह दिया है ।

Pooling of Air Services

+

1148. **Shri M.L. Dwivedi** :
Shri R.S. Tiwary :
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the countries with whom agreements regarding sharing of profits of air services between Air India and air services of other countries are still operative and the estimated profit or loss in running our air services in collaboration with them ;

(b) the comparative figures of profits accrued to Air India by running air services in collaboration with foreign air services prior to the conclusion of agreements and thereafter ; and

(c) whether negotiations regarding partnership in air services are being conducted with other foreign countries and if so, when the agreements are likely to be concluded ?

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo): (a) to (c). The pooling agreements are not between countries but between airlines. A statement giving the requisite information about such current agreements is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The pooling arrangements are entered into at airline level and not Government level. Air India has entered into Pool Agreements with the following carriers :—

	Date form which effective
(i) Aeroflot-National Carrier of USSR . .	14-8-1958.
(ii) Ceskoslovenske Aerolineie (CSA)- National Carrier of Czechosolovakia	13-8-1959
(iii) BOAC-National Carrier of U.K. and Qantas Empire Airways National Carrier of Australia . .	1-4-1960.
(iv) East African Airways (EAAC)-National Carrrier of Kenya, Uganda and Tanzania	1-9-1963.
(v) Aden Airways-National Carrier of Aden- and EAAC	1-4-1964.
(vi) Middle East Airlines (MEA)-National Carrier of Lebanon	1-10-1964.

(b) The overall effect of the operations by Air India of services in pool is reflected in the total profit of Air India. The operating profits of Air India from 1954-55 to 1963-64 were as follows :

1954-55	34·05
1955-56	6·56
1956-57	89·43
1957-58	71·67
1958-59	15·85
1959-60	18·26
1960-61	117·41
1961-62	76·99
1962-63	345·44
1963-64	384·25

(c) At the present moment, exploratory Pool Talks are being carried out with Japan Airlines and Kuwait Airways.

Shri M.L. Dwivedi : In the statement laid on the Table of the House, statement of income from 1954 to 1964 has been given but it does not show the amount of operational cost and percentage of income. I would therefore like to know from the hon. Minister the operational cost and the percentage of income during the years in which profit has been shown.

Shri Kanungo : It has been given in the annual report of the cooperation.

Shri M.L. Dwivedi : The notice of this question was given about a month ago and the answer is being given today. I would like to know why full statement has not been given inspite of this notice ?

Mr. Speaker : He says that it has been given in the report.

Shri M. L. Dwivedi : Report has been given now but the notice for the question was given about a month ago.

Mr. Speaker : You may ask your question.

Shri M. L. Dwivedi : May I know the reason of an agreement not having been made with the air services of United States of America and other major countires ? What action is being taken in this connection ?

Shri Kanungo : Agreement takes place when two airlines agree to do so. No American Airlines has agreed to enter into a pool with Air-India and that is why no agreement has been made.

Shri R.S. Tiwary : It appears from the statement that we have made agreements with those airlines which operate on shorter routes. Why have we not entered into agreement with the airlines which operate on longer routes ?

Shri Kanungo : The first agreement was made with Aeroflot airlines U.S.S.R.

Shri Yashpal Singh : May I know the reasons which made it necessary for the Government to enter into such pooling ? What were the difficulties without such an agreement and what bencefit did the Government derive out of this agreement ?

Mr. Speaker : An agreement is made when it is beneficial to both the parties.

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सहयोजन का वास्तविक उद्देश्य अधिक मूल्योंऔर मुनाफे का बनाये रखना और उपभोक्ताओं की उपेक्षा करना है ? यदि हां, तो क्या समाजवादियों का अन्तःकरण ऐसा करने की आज्ञा देता है ।

श्री कानूनगो : यह प्रथा समूचे विश्व में प्रचलित है और इसका उद्देश्य संचालन व्यय में मितव्ययता करना और अत्यन्त हानिकारक प्रतियोगिता समाप्त करना है ।

डा० रानेन सेन : हमारा एरोफ्लोत के साथ तथा बी० ओ० ए० सी० के साथ सहयोजन का करार है। एयर इण्डिया विमान सेवा का एक विमान मास्को होकर दिल्ली से लन्दन जाता है। हाल ही में इस बात की सूचना मिली थी कि इस करार के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार या बी० ओ० ए० सी० ने एय : इण्डिया के विमानों को मास्को से लन्दन यात्री ले जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। यदि यह सूचना ठीक है तो मैं इस सम्बन्ध में सरकार की राय तथा प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस पर सहमति हो तो केवल यही मालूम करना है तथा उनकी राय को जानना नहीं ।

श्री कानूनगो : यह सहयोजन नहीं है बल्कि मिल कर विमान सेवायें चलाने का प्रबन्ध है । यह आवश्यक नहीं है कि मिल कर विमान चलाने का प्रबन्ध सभी मार्गों के लिए हो या सभी उड़ानों के लिए एक ही मार्ग के सम्बन्ध में हो । ब्रिटेन की सरकार के मास्को-लन्दन मार्ग पर यात्री ले जाने की अनुमति न देने का मामला विचाराधीन है और उस पर चर्चा हो रही है। वास्तव में ब्रिटेन सरकार की प्रथा यह है कि मास्को से लन्दन मार्ग पर यातायात की अनुमति इस आधार पर दी जाये कि यूरोप के किसी अन्य स्थान पर विमान रुके । एयर इण्डिया ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है ।

Shri Raghunath Singh: It appears from the report that we have made arrangements with only six countries. May I know whether we will make arrangements with other Countries in which airlines operate ?

Shri Kanungo : This is not entered into with countries. It is entered into with airlines.

Shri Ragunath Singh : The airlines belong to those countries.

श्री कानूनगो : जापान और एक या दो अन्य देशों से आरम्भिक बातचीत चल रही है।

व्यापारियों की समिति

*1149. **श्री यशपाल सिंह:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों में उचित वातावरण तथा सूझ बूझ पैदा करने में सहायता देने के लिए अनाज व्यापारियों के प्रतिनिधियों की एक अखिल भारतीय समिति बनाई गई है ;

(ख) क्या अभी तक समिति की कोई बैठक हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या क्या सिफारिशें हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास में 7-2-1965 को एक बैठक हुई थी ।

(ग) यह पहली पहली ही बैठक थी जिसमें खाद्य समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी लेकिन कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गयी थी ।

Shri Yashpal Singh : Has the attention of the Government been drawn to the statement of the Chairman of Foodgrains Dealers' Association in which he said that if the Zonal System and food Corporation were not abolished it would have bad consequences ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Yashpal Singh: Have the Government drawn the conclusion from the statement that the traders will not Cooperate with them.

Mr. Speaker : He says that he has no information. Then, what conclusion can be drawn?

Shri Yashpal Singh : Do the Government expect the cooperation from those traders who raised prices in Bengal because of certain rumours and now prices are shouting very high there.

श्री दा० रा० चव्हाण : खाद्यान्न के व्यापारियों के प्रतिनिधियों की अखिल भारतीय समिति इस अभिप्राय खे बनाई गई है कि उनसे सहयोग प्राप्त किया जा सके ।

श्री अल्वारेस : सरकार ने हाल ही में खाद्यान्नों की प्राप्ति के एकाधिकार के लिए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य निगम की स्थापना की है । इसके साथ ही उसने राज्यों को खरीद करने के लिए कुछ ढील दी है । खाद्य निगम तथा राज्य क्रय अभिकरणों के अधीन कुल क्षेत्र की दृष्टि से क्या मैं जान सकता कि उचित वातावरण पैदा करने के लिए समिति का कौनसा क्षेत्र रह गया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : खाद्य निगम अभी अपना संगठन बना रही है और उस ने दक्षिणी जिलों में कार्य आरम्भ कर दिया है । जब तक कि निगम अन्य राज्यों में संगठन स्थापित नहीं करता तब तक राज्य सरकारों तथा राज्य क्रय अभिकरणों को कार्य करना होगा । खाद्य निगम अन्य राज्यों में भी अस्तित्व में आ रहा है और हमने इस प्रयोजन के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है ।

श्री अल्वारेस : क्या इसका अभिप्राय पुरानी प्रथा को बदलना नहीं होगा ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह पुरानी प्रथा को बदलना नहीं है ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि खाद्यान्न व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने यह बात सरकार के ध्यान में लाई है कि फालतू खाद्यान्न वाली राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की हिदायतों के विरुद्ध मोटे अनाज तथा दालों के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं और इस से खाद्यान्न व्यापार अस्तव्यस्त हो गया है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मेरे विचार में राज्य सरकारों ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्री क० ना० तिवारी : फालतू खाद्यान्न वाले सभी राज्यों ने मोटे अनाज के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से झगड़ कैसे सकता हूं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह तय हुआ था कि जहां तक सम्भव हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में मोटा अनाज लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें और राज्य सरकारों की अनुमति के आधार पर ही उन खाद्यान्नों को अन्य स्थानों पर ले जाया जा सकता है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सच है कि व्यापारियों की यह समिति कृषकों के हित के विरुद्ध है ? सरकार मूल्य आयोग इसलिये चाहती है कि वह कृषकों को न्यूनतम मूल्य देना चाहती है । परन्तु यह व्यापारी कृषकों से सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न खरीदना चाहते हैं इसलिए, वह कृषकों के हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह निकाय कृषकों के हित के विरुद्ध नहीं होगा । वास्तव में यह ऐसा निकाय होगा जो व्यापार सम्बन्धी अपने सुझाव देगा इसका मूल्य निर्धारण अथवा इससे सम्बन्धित विविध बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख: क्या सरकार ने समिति का समर्थन दो निश्चित पहलुओं में खाद्यान्न के राज्य व्यापार में और कम से कम लम्बी दूरी के रेल तथा सड़क द्वारा परिवहन सम्बन्धों एकाधिपत्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और वह उसमें सफल हुई है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन व्यापारियों को राज्य सरकारों की सिफारिश पर चुना गया था । राज्य सरकारें हमारी नीति का अनुमोदन करती हैं कि खाद्य निगम को खाद्यान्न के व्यापार में मुख्य भाग लेना होगा । व्यापारियों को केवल इसी आधार पर चुना गया है । ऐसी बात नहीं है कि हमने खाद्य व्यापारियों में से किसी व्यापारी विशेष को ही चुना है । यह चयन के आधार पर है । इसके अतिरिक्त इस समिति में केवल निजी व्यापारी ही नहीं हैं बल्कि उसमें दो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सहकारी विक्रय समितियों तथा विविध अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित हैं ।

डा० रानेन सेन : कुछ दिन पहले यह सूचना मिली थी कि व्यापारियों की समिति राज्य द्वारा खाद्यान्न की वसूली के विरुद्ध सरकार पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रही है । यदि यह सच है तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस समिति की बैठक केवल 7-2-65 को हुई थी जिसमें मैं भी उपस्थित था । इसके विपरीत हम ने उनसे इस बात के लिए सुझाव मांगे थे कि राज्य व्यापार के हमारे कार्य में सुधार कैसे किया जाये ।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know those recommendations of the Committee which have been accepted by the Government?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस बैठक में कोई शिविष्ट सिफारिश नहीं की गई ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस समिति के स्थापित करने का अभिप्राय आयोग के बनने तक उचित थोक तथा फुटकर मूल्य निर्धारित करना है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यह समिति किस प्रकार सहायता करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह व्यापारी समूचे खाद्यान्न व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं। वास्तव में खाद्यान्न व्यापारियों की अपनी समितियां और फैडरेशनें आदि हैं। इन व्यक्तियों को उन फैडेरेशनों तथा समितियों से नहीं लिया गया है। हम ने उन्हें तदर्थ रीति से चुना है। मैं यह कहूंगा कि वह प्रगतिशील विचारों वाले व्यापारी हैं जो सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

Shri Tulsidas Jadhav : The system of purchase and sale of food-grains is not the same in all the States. In Maharashtra, the Government has a monopoly whereas it is not so in other states. Why is a uniform Policy not adopted every where ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

Shri Tulsidas Jadhav : Sir, My question has not been replied to?

डा० सरोजिनी महिषी : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि खाद्यान्न के व्यापारी सदा इस बात का दावा करते रहे हैं कि उन्होंने सरकार को पूरा पूरा सहयोग दिया है, क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार इन प्रतिनिधियों का सहयोग किन विशेष पहलूओं में मांग रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं यह दावा ठीक नहीं मानता कि खाद्यान्न के व्यापारियों ने सरकार को सदा सहयोग दिया है। इसके विपरीत, जब संकट पैदा होता है तो वे स्थिति का अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं।

छोटी सिंचाई कार्यक्रम

\+

*1150. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में विभिन्न राज्यों में छोटी सिंचाई कार्यक्रमों के लिए किये जाने वाले परिव्यय तथा उनके लिए नियत राशियां क्या हैं;

(ख) क्या 1964–65 के लिए नियत की गई समूची राशि खर्च की जा चुकी है और सिंचाई के लिए किसानों ने उससे लाभ उठाया है; और

(ग) 1964–65 में उनका उपयोग करने से उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1965–66 की अवधि में विभिन्न राज्यों के लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 60.98 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ख) शुरू में 1964–65 की अवधि के लिए राज्यों की लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 52.17 करोड़ रुपये का नियतन किया गया। इसके पश्चात् मई, 1964 में राज्यों को कृषि उत्पादन तथा लघु सिंचाई कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 12.85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई थी। इस उपबन्ध में से लघु सिंचाई कार्यों के लिए लगभग 9.10 करोड़ रुपये नियत किये गये थे। दिसम्बर, 1964 में लघु सिंचाई कार्यों के लिए 5.85 करोड़ रुपये की और राशि नियत की गई। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1964–65 के लिए कुल प्रत्याशित खर्च 66.72 करोड़ रुपये होगा। 1964–65 की अवधि में लघु सिंचाई से लगभग 33 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा।

(ग) 1964–65 की अवधि में लघु सिंचाई से वास्तव में कितना कृषि उत्पादन बढ़ा है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वास्तव में कृषि उत्पादन में वृद्धि होना सिंचाई के अतिरिक्त उर्वरकों का उपयोग, खाद, सुधरे बीज तथा वनस्पति रक्षा कार्य आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है। इसलिए इसके बारे में ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि विशेषकर लघु सिंचाई योजनाओं के फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : प्रत्येक राज्य के लिये लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत द्रुत गति कार्यों के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत द्रुत गति कार्यक्रम में शामिल नहीं है। यह तो सर्वथा पृथक कार्यक्रम है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : "अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करो" आन्दोलन के अधीन सभी राज्यों के लिये छोटी सिंचाई की योजनायें मंजूर की गई हैं, परन्तु इन पर कोई धन व्यय नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिये कितना धन मंजूर क्रिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि ये लघु सिंचाई योजनायें द्रुत गति कार्यक्रम में नहीं आती हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: इस विवरण में मैंने इस बारे में आंकड़े दिये हैं। विभिन्न राज्यों के लिये 1965–66 के लिये लघु सिंचाई योजनाओं के 60.98 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। वास्तव में खर्चा इस से कहीं अधिक है। इसके पश्चात् अनुपूरक नियतन को ध्यान में रखते हुए यह 66.72 करोड़ रुपये हो जायेंगे। अतः इस का पूरा प्रयोग किया गया है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : कमी वाले क्षेत्रों में 1963–64 में कितने नलकूप लगाये गये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मुझे खेद है कि इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री कन्डप्पन : जिन राज्यों में सिंचाई की अधिकतम क्षमता को पहले ही प्रयोग में लाया जा चुका है क्या उन को लघु सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में तरजीह दी जायगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वास्तव में हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करते हैं। यदि पानी की व्यवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण कर लिये गये हों और ठीक परियोजनायें इस कार्य के लिये बनायी जायें तो वित्तीय सहायता का अभाव नहीं होगा।

Shri Bhagwat Jha Azad : It is clear from this statement that priority of a sufficient high order is given to minor irrigation schemes and huge amounts are being spent on them. We have been repeatedly asking whether these are the schemes only on paper or practically some tube-wells are constructed and whether Government has spent money on wells sunk for irrigation or only on paper work ?

Shri Shahnawaz Khan : So far our information is concerned it is spent on actual work and it is not merely the paperwork.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या राज्यों में लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यों में हुई प्रगति का केन्द्रीय सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम ने अनुमान लगाये थे और उन्हीं के आधार पर अनुपूरक नियतन किये गये थे ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या किसी राज्य ने किसी ऐसी योजना को जिस पर 50 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम व्यय का अनुमान हो, को लघु सिंचाई योजना में शामिल करने की प्रार्थना की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : लघु सिंचाई योजना के लिये एक सीमा नियत है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या लघु सिंचाई के उपयोग की क्षमता का कोई अनुमान लगाया गया है; यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितना कार्य हुआ है ? यदि कहीं पर कमी रह गई है तो क्षमता का पूरा लाभ जानने के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : योजना आयोग निरन्तर परीक्षण करता है । अध्ययन दल जा कर देखते हैं कि लघु सिंचाई योजना में क्या प्रगति हुई है और धन का प्रयोग कैसे हुआ है । इसके आधार पर हम और कार्यक्रम मंजूर करते हैं ।

Shri Kishen Pattnayak : I want to know whether any enquiry has been conducted to know that money is properly spent on minor irrigation schemes, if so, the place where it has been conducted and whether a report has been received regarding the same, also the name of the agency conducted this enquiry ?

Shri Shahnawaz Khan : Joint terms are sent to states. They study there and submit reports. . . .

Shri Kishen Pattnayak. Is there any report ?]

Shri Bagri : Mr. Speaker, a full reply to the question should be given.

Mr. Speaker. You please sit down.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : समय समय पर रिपोर्टें पेश की जाती हैं । कम से कम एक साल में एक ।

श्री रंगा : मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि राज्यों से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे और अपने निरीक्षण दलों की रिपोर्ट भी । इनसे पता चलेगा कि धन का कहां तक प्रयोग हो रहा है नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं इसे पुस्तकालय में रखे जाने की व्यवस्था करूंगा ।

श्री सिंहासन सिंह: क्या खाद्य तथा कृषि विभाग लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य कराता है या इसे खण्डों में सामुदायिक विकास संगठन कराते हैं ? यदि सामुदायिक विकास संगठन कराते हैं तो श्री भागवत झा आज़ाद के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप का विभाग उस की जांच करता है ? और क्या ये कागज़ पर ही होता है या वास्तव में नलकूप खोदे जाते हैं और क्या खुदाई ठीक प्रकार होती है . . . .

अध्यक्ष महोदय : इतना लम्बा अनुपूरक प्रश्न नहीं होना चाहिये । उस में 'यदि' और 'क्या' इतने नहीं होने चाहिये ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये लघु सिंचाई परियोजनायें कृषि विभाग द्वारा अथवा खण्डों में सामुदायिक विकास के अभिकरण द्वारा पूरी की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि अनुपूरक प्रश्न और उन के उत्तर इतने लम्बे हों तो प्रश्न काल में बहुत थोड़े प्रश्न लिये जा सकेंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वास्तव में यह राज्यों का कार्यक्रम है । हम राज्यों के कार्यक्रमों की जांच पड़ताल करते हैं और धन उपलब्ध कराते हैं । राज्य सरकारों को कार्य करना होता है । राज्य सरकारें सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा सामुदायिक विकास प्रशासन से करा सकती हैं । कुछ राज्यों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये विशेष 'डिवीज़न' विद्यमान हैं ।

श्री कडप्पन : कार्यान्विति ठीक नहीं होती ।

मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड

\+

*1151. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री चांडक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड बनाने के प्रश्न पर विचार किया है जो आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों के सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर एक स्थिर मूल्य नीति सुझायेगा;

(ख) किसानों को इस बारे में क्या आश्वासन दिये गये हैं कि उनके साथ न्यायोचित व्यवहार किया जायेगा और उनको इतनी बचत होगी कि वे कहीं पैसा लगा सकेंगे और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे; और

(ग) कृषकों को अधिक पैसा बचाने के लिए और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार उसे लगाने के लिए और क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). जी हां । भारत सरकार ने एक कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की है । आयोग के विचारार्थ विषयों के

सम्बन्ध में एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--4336/65**]

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि मूल्यों के निश्चित होने तथा प्रभावी होने पर वस्तुओं की वितरण व्यवस्था और उन के उपभोक्ता तक पहुंचने के तरीकों का भी प्रभाव पड़ता है, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस के दो पहलू हैं। एक उत्पादन की बात है और दूसरे किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना है। किसानों के लिये लाभदायक तथा उचित मूल्यों के निश्चित करने के लिये कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। इसकी रिपोर्ट अभी मिलनी है। मुझे आशा है कि इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जायेगी। वितरण आदि के लिये भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कर दी गई है। वह इस की ओर ध्यान देगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विकासोन्मुखी नीति बनाते समय आर्थिक विकास के साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मूल्यों के भार को निर्धन लोगों की बजाय धनी लोगों पर अधिक डाला जाये। सरकार ने इस बारे में क्या किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह बहुत अधिक विस्तृत प्रकार का प्रश्न है और इस प्रकार प्रश्न काल में इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री अ० प्र० शर्मा : आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या इसका गठन करते समय सभी हितों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस समय तीन स्थायी सदस्य नियुक्त किये गये हैं। श्री दांतवाला अध्यक्ष हैं और श्री राजकृष्ण तथा श्री एस० सी० चौधरी सदस्य हैं।

जहां तक उत्पादकों के हितों का सम्बन्ध है, किसानों की एक तालिका बनायी गई है जो आयोग को सलाह देगी और इस तालिका की सिफारिशों का आयोग पूरा लाभ उठायेगा।

श्री सुबोध हंसदा : आयोग की पहली रिपोर्ट में किन किन जिन्सों को लिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पहली रिपोर्ट आगामी दो महीनों में मिलने की आशा है।

Shri Yudhvir Singh : This question has been raised many times during the last one year by about 95 % members of this House that growers should be ensured remunerative prices for their produce. Government has also assured it. They should not take only consumers' interest into account. The Minister would be aware that in Punjab, the big wheat producing area, prices of wheat have fallen down during last one month. Do they expect that farmers will produce more in this way? I want to know the action being taken by the Government to stabilise prices in Punjab and maintain them so that the farmers are not disheartened?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह ठीक है कि पंजाब में हाल में मूल्य गिर गये हैं। इसी लिये हम इसे सहायता प्राप्त मूल्य पर खरीदने की कार्यवाही कर रहे हैं। अभी कल ही खाद्यान्न सचिव पंजाब गये हैं और वह अभी वहीं पर हैं। सरकार खरीदने का प्रबन्ध कर रही है कि मूल्य सहायता मूल्य से कम न हो।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I want to know whether some actual tiller is also a member of this commission and whether he has been asked to give details of expenditure on seeds, water, land reveune, labour and the free labour put in by his young ones ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैंने अभी उत्तर दिया है कि किसानों की एक तालिका बनाई गई है जो आयोग की सहायता करेगी ।

श्री पु० र० पटेल : माननीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के किसानों को वचन दिया था कि आयोग में उनके प्रतिनिधि लिये जायेंगे । क्या मैं यह समझूं कि सरकार प्रधान मन्त्री के वचन को मान्यता नहीं देती ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : तालिका आयोग का एक भाग होगी, अत: किसानों के उसमें न होने का सवाल ही नहीं उठता । केवल एक किसान को उसमें सम्मिलित करने का भी कोई सवाल नहीं हो सकता । एक व्यक्ति ही किसानों के सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में हमें एक सौ किसानों को विभिन्न फसलों तथा क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिये इस तालिका में लेना होगा । इसलिये महत्व की बात यही है कि आयोग को सभी सम्बन्धित विषयों पर उचित सहायता मिले । यह तालिका यह काम करेगी । इसके अतिरिक्त आयोग विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन खर्चे आदि के बारे में जांच करायेगा और उसके आधार पर सिफारिशें देगा । सरकार भी अन्त में इन पर विचार करेगी । कृषि मूल्य आयोग तो केवल सिफारिशें देगा । सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि मूल्य लाभदायक हों । इसलिये किसानों के हितों की उपेक्षा करने की कोई बात नहीं है । मैं आश्वासन दे सकता हूं कि किसानों के हितों के संरक्षण के सभी उपाय किये जायेंगे ।

श्री पु० र० पटेल : मेरा प्रश्न और था । प्रधान मन्त्री ने लोगों को आश्वासन दिया था कि किसानों के प्रतिनिधि को इस आयोग में लिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस आश्वासन को पूरा करेगी अथवा नहीं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : प्रधान मन्त्री ने यह नहीं कहा था कि आयोग का एक सदस्य किसान होगा । **(अन्तर्बाधायें)** उन्होंने कहा था कि आयोग उचित निर्णयों पर पहुंच सके इसके लिये उचित प्रतिनिधित्व होगा । यह प्रधान मन्त्री की सलाह से किया गया है कि एक बहुत सी संख्या वाली किसानों की तालिका गठित की गई है जो आयोग की सहायता करेगी । सरकार अन्तिम निर्णय करते समय तालिका की सिफारिशों को भी ध्यान में रखेगी ।

श्री सोनावने : क्या सरकार को मालूम है कि किसानों को अपने खाद्यान्नों के बिना लाभ वाला मूल्य मिलता है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल निर्धनता है ? क्या आयोग को सूचना दी गई है कि काले बाजार के मूल्यों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियत किये गये मूल्यों में बहुत अन्तर है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मेरे विचार में वे सभी पहलुओं पर विचार करेंगे ये हैं उत्पादन पर व्यय, मूल्यों में समता तथा कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्यों में समता ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने पंजाब में हाल में हुई मूल्यों में कमी की जांच की है । यदि हां, तो सहायक मूल्य के अतिरिक्त क्या इस के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का भी विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह शायद उत्पादन अधिक होने के कारण है । ऐसी स्थिति में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । व्यापारी लोग खरीद नहीं रहे हैं । इसी कारण अब सरकार सहायक मूल्य पर किसानों से खरीदेगी ।

श्री कपूर सिंह : आप मुझे अधिकार दें मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने चुनौती दी है ।

भूमि प्रबन्ध तथा विकास बोर्ड

*1152. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों का विचार कृषि तथा उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए अपने अपने राज्य में भूमि के विकास के लिए भूमि प्रबन्ध तथा विकास बोर्ड बनाने का है ;

(ख) क्या कृषि से सम्बन्धित विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक अभिकरण स्थापित करने के लिए राज्यों को एक आदर्श विधेयक भेजा गया है ताकि अकार्य-कुशलता, खर्चीलापन तथा विलम्ब दूर हो सके ; और

(ग) यदि राज्यों ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने वर्तमान भूमि नियमों अर्थात् भू-राजस्व नियमों तथा अन्य सम्बन्धित नियमों का निरसन करने के लिये कई प्रयोजन एक साथ सिद्ध करने वाले किसी कानून के बनाने का विचार स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : यह राज्यों सम्बन्धी विषय है और इसके बारे में हम अन्तिम रूप से विचार नहीं कर सकते । कोई निष्कर्ष निकालने से पूर्व हमें राज्य सरकारों से परामर्श लेना पड़ेगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ऐसा बोर्ड गठित करने के प्रश्न पर विचार करेगी जो प्रशासनिक तथा संगठन सम्बन्धी दूसरी बाधाओं को दूर करने में सहायता करे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम यह विचार कर रहे हैं कि हम किस प्रकार एक अच्छा संगठन बनायें ताकि कृषि उत्पादन बढ़े । मेरे विचार में केवल बोर्ड बना देने से ही यह समस्या हल नहीं होगी ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख: ऐसा प्रतीत होता है कि उन सभी राज्यों में जहां हम भूमि सुधार कार्य कर रहे हैं, वहां यदि व्यक्तिगत स्तर पर कृषि न की जाये तो वह भूमि सरकार

के नाम रहती है । क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को यह परामर्श देगी कि क्योंकि सम्मोच बन्ध बनाना, भूमि को समतल करना, सीढ़ीदार खेत बनाना, तालाब बनाना, कुएं खोदना आदि, ये सब कृषि-कार्य स्थायी रूप के हैं, इसलिये इन्हें राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिये और भू-राजस्व बढ़ा कर इसका खर्च वसूल किया जाना चाहिये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : यह एक सुझाव नहीं है । मैंने निश्चित बात पूछी है कि क्या यह सरकार राज्य सरकारों को परामर्श देने का प्रस्ताव करती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा है कि यह सुझाव है । परन्तु जब तक वह इस पर विचार नहीं कर लेते, वह इस बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं ? जब एक प्रस्ताव किया गया है, वह इस पर विचार करेंगे और तब कहेंगे कि क्या किया जाना है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जब एक प्रस्ताव किया जाता है, मैं सारे मामले पर विचार किये बिना एक दम नहीं कह सकता कि हम उसे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि एक अथवा अधिक बोर्ड, भूमि से उचित लाभ उठाने में सहायता नहीं कर सकते । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विकल्पत: राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि जब तक भूमि की अधिकतम सीमा तथा चकबन्दी सम्बन्धी कार्य ठीक प्रकार नहीं किया जाता उस समय तक भूमि से उचित लाभ नहीं उठाया जा सकता । यदि हां, तो क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि यह कार्य उन राज्यों में आरम्भ किया जायेगा जिनमें कई वर्षों से इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हो रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह सच है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये यह भी आवश्यक है कि पारित किये गये विभिन्न भूमि-सुधार नियमों को कार्यसाधक रूप से लागू किया जाये और राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कम से कम तीसरी योजना के अन्त तक उन्हें प्रत्येक राज्य में भूमि-सुधार विधान लागू करने चाहियें ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को यह पता है कि भूमि प्रबन्ध तथा विकास बोर्डों को भूमि बन्धक, बैंक, जिनकी स्थापना की गई है, का संपूरक माना गया था और जब रक्षित बैंक ने भूमि बन्धक बैंकों को ऋण दिये थे तो वित्त मन्त्रालय को भी इसकी जानकारी थी ? क्या कारण है कि भूमि प्रबन्धक बोर्ड अभी तक नहीं बनाये गये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहता हूं । मैं इसकी जांच करके इसका उत्तर दूंगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the time by which the report will be received and whether it will be considered by the central Government or by the State Governments separately ? May I also know the time by which the State Governments will complete consideration of this report ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : नहीं श्रीमान् । यह राज्य सरकारों से जानकारी के इकट्ठी करने का कार्य है और अभी यह जानकारी प्राप्त हो जायेगी, यह उपबलध कर दी जायेगी . . . **(अन्तर्बाधा)** ।

Shri Onkar Lal Berwa : When is the report regarding this survey is expected to be received ?

Shri Shahnawaz Khan : We have written to the States. We will receive the reports as soon as they send it.

Shri Yudhvir Singh : Has some time limit been fixed for this ?

अध्यक्ष महोदय : क्या राज्यों को यह प्रतिवेदन किसी निर्धारित समय में देने के लिये कहा गया है अथवा समय के बारे में कुछ पता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : विशेषकर संसद् में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुये हमने ऐसे समय के बारे में कहा है जिसके अन्दर यह भेज दी जानी चाहिये परन्तु जानकारी इकट्ठी करने में वहां भी कठिनाइयां हैं। यही कारण है कि कुछ ही राज्यों ने जानकारी भेजी है । जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, हम जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या वर्तमान भूमि-बन्धक सहकारी? बैंक भूमि-विकास कार्य नहीं कर सकते ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक सहकारिता के बारे में प्रश्न का सम्बन्ध है, यह मेरे सहयोगी सहकार मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भू-राजस्व के ढांचे तथा कृषकों पर थोपे जा रहे पीड़ित करने वाले सुधार-शुल्क, जिससे कि कृषकों को सिंचाई सम्बन्धी कठिनाई पैदा हो गई है, के प्रश्न को जांच करेगी ? मैं जान सकता हूं कि क्या इस ओर भी ध्यान दिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह राज्य का विषय है । मैं यह आक्षेप मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि राज्य विधान-मण्डलों ने ऐसे नियम बनाये हैं जिन से लोग तंग होते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has just observed that some States have sent the replies. We are watching and repeating since 1952 that agricultural production should be increased. I would like to know the names of the States which have replied and also what they have said regarding the working of these Boards?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : प्रश्न में पूछी गई इस बात के अनुसार ही कि क्या कुछ राज्य भूमि प्रबन्ध तथा विकास योजनायें बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, मुझे राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त करनी है । केवल दो राज्यों ने उत्तर दिया है और मैं अन्य राज्यों के उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

भूमि सर्वेक्षण का व्यापक कार्यक्रम

+

1153. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के हेतु भूमि तथा सिंचाई-व्यवस्था प्रणालियों के कुशलता से प्रयोग के लिए भूमि सर्वेक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य एक निश्चित ढंग से केन्द्रीय तथा राज्य संगठनों द्वारा विस्तृत रूप से भूमि सर्वेक्षण करना है जिसमें सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्रों तथा नदी-घाटी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । सिंचाई की उपयुक्तता तथा भूमि सुधार कार्यों के विषय में भी भूमि सर्वेक्षण किया जायेगा । इस कार्य के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 4 करोड़ रुपए का उपबन्ध करने का प्रस्ताव है ।

श्री रामेश्वर टांटिया: राजस्थान के उत्तरी भाग में भूमि का एक बड़ा टुकड़ा है और उसकी मिट्टी विचित्र सी होने के कारण उसमें कृषि नहीं की जाती । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कृषि-प्रयोजन से इसका सर्वेक्षण किया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : नहीं, श्रीमान् । मेरे विचार में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार इस भूमि में विशेष फसल उगाने के बारे में प्रस्ताव कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यदि मेरे माननीय मित्र मुझे इस भू-भाग का ठीक-ठीक पता दें, तो मैं राज्य सरकार से पूछताछ करूंगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : यह बिकानेर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है ।

Shri Yudhvir Singh : There is a general complaint regarding Indus valley that becasue of the constant use of canal water for fifteen to twenty years and consequent water-logging the ratio of salt and nitre has increased in the soil. This has happened mostly in Punjab, Rajasthan and western Uttar Pradesh

areas. May I know whether this land will also be surveyed and steps taken to improve the soil.?

Shri Shahnawaz Khan : This will form part of the Survey. This is a grave problem and concerted efforts will be made to solve it.

Shri Onkar Lal Berwa: I want to submit that there was a scheme to instal 2500 tubewells in Jaisalmer area of Rajasthan but only 37 have been installed and out of these 37, only 13 are working while the others are out of order. May I know the reasons for their being out of order and also why all the tubewells were not installed?

Shri Shahnawaz Khan : Some wells have been dug and they are working. Boring work for about 140 wells is complete and pumping sets are to be provided for them. We execute the boring work in the places desired by the State Governments. It is for the State Governments to make use of that water.

Shri Onkar Lal Berwa : 37 wells had been dug and 24 out of them are not working. Why such defective works are carried out?

Mr. Speaker : It is for the State Governments to ensure that the wells work Properly.

Shri Onkar Lal Berwa: Only 13 wells out of 37 wells that had been dug were working properly and twenty-four out of them are not working. Who is responsible of this defective implementation of the project ?

Mr. Speaker: This may be addressed to the State Government.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Do Government propose to constitute a team of experts, or set up a laboratory to analyse the soil to know the nature thereof, *i.e.*, whether soil in a particular area is suitable for the cultivation of a particular foodgrain crop.

Shri Shahnawaz Khan : There are Intensive Development Areas where the Government have implemented such schemes.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I wrote to the Minister of Irrigation and Power regarding the water which flowed during the floods in August, 1964. I have received the reply only yesterday. May I know whether the procedure will be so reformed that some suggestion is not ignored for such a long time ?

Shri Shahnawaz Khan : The question may be addressed to him; not to me.

श्री बासप्पा : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह परामर्श दे रही है कि वे भूमि-संरक्षण सम्बन्धी कार्य दक्षतापूर्वक करें ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : भूमि-संरक्षण कार्यक्रम, जो देश भर में आरम्भ किया जायेगा, के दृष्टिकोण से ही हम भूमि सर्वेक्षण का कार्यक्रम बना रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण के आधार पर भूमि-संरक्षण का कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

श्री दे० जी० नायक : क्या माही तथा चम्बल घाटियों का पूर्ण सर्वेक्षण कर लिया गया है; यदि हां, तो उस भूमि का उपयोग करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु स्थूल रूप से एक सर्वेक्षण किया गया है ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या यह सच है कि भूमि के स्वरूप के अनुसार उर्वरक प्रयोग न करने के कारण हमारे देश की भूमि की उत्पादन-शक्ति नहीं बढ़ी है; यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विशेष पग उठाये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम भूमि परीक्षण अनुसंधानशालायें स्थापित कर रहे हैं ताकि उर्वरक के प्रयोग से अधिक उपज हो ।

चम्बल घाटी में भूमि को कृषि योग्य बनाना

*1157. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल घाटी क्षेत्र में भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) क्या इस परियोजना से कई लाख एकड़ भूमि कृषि उत्पादन के लिये उपलब्ध होगी तथा यह उस क्षेत्र में डाकुओं के उपद्रव को समाप्त करने में भी सहायक होगी ;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी और किस प्रकार की सहायता मांगी है ; और

(घ) इस पर संघ सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (घ) हाल ही में सहायता के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु गत वर्ष 5,000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए 22.46 लाख रुपये की लागत की एक मार्गदर्शी परियोजना मंजूर की गई थी । 53.54 लाख रुपये की लागत से 16,000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इससे पहले प्राप्त एक अन्य परियोजना अभी मंजूर नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकार ने इसके परिनिरीक्षण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है । ऐसी योजनाओं के लिए केन्द्र लागत का 50 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता देती है तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान के रूप में मंजूर करती है ।

ये परियोजनायें डाकुओं के उपद्रव को समाप्त करने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकेंगी क्योंकि गहरी घाटियों को कम लागत पर कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि मैंने उन्हें ठीक सुना है तो उन्होंने यह कहा है कि सहायता के लिये अभी हाल में कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । क्या वह सभा को यह बता सकते हैं कि यदि हाल ही में नहीं तो क्या दो, तीन या इससे अधिक वर्ष पहले सहायता मांगी गई थी और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा अब तक आरम्भ की गई मार्गदर्शी परियोजना की प्रगति क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा मैंने कहा सरकार द्वारा दो मार्गदर्शी परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया था । इन में से 5,000 एकड़ पर लागू होने वाली एक परियोजना

मंजूर कर ली गई है । जहां तक दूसरी योजना के सम्बन्ध है, हम और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे है। अब तक प्रगति यह है कि हमने 2,000 एकड़ भूमि में कार्य आरम्भ किया है ।

श्री हरि विष्णु कामत: मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने प्रश्न को टालने की कोशिश की है । मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर बिल्कुल नहीं दिया गया है और दूसरे भाग के बारे में मुझे टाला गया है । मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या सहायता के लिये एक, दो या तीन वर्ष पहले प्रार्थना-पत्र आया था ? क्या मैं जान सकता हूं कि बड़े पैमाने पर सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र कब आया था तथा आरम्भ की गई मार्गदर्शी परियोजना में आज तक क्या प्रगति हुई है ? मैं यह नहीं चाहता कि फाइलों में कब मंजूरी दी गई थी परन्तु मुझे यह बताया जाय कि वास्तविक कार्य में कितनी प्रगति हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि 2,000 एकड़ भूमि पर कार्य किया गया है ।

श्री शाहनवाज खां : हां श्रीमान्, दिसम्बर, 1,964 तक 2,109 एकड़ भूमि पर कार्य हुआ है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि किसी समय मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रस्ताव किया था कि वह विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस बड़ी परियोजना के लिये एक बड़ा ऋण मांगे क्योंकि इससे मध्य प्रदेश में केवल कृषि-भूमि ही नहीं बढ़ेगी परन्तु इससे डाकुओं का उपद्रव भी समाप्त हो जायेगा । यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव कब किया था और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : जहां तक मुझे ज्ञात है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था कि हम विश्व बैंक अथवा किसी और संगठन से ऋण मांगें । जहां तक घाटी के कृषि योग्य बनाये जाने का सम्बन्ध है, हम ने इस बारे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों से बातचीत आरम्भ की है क्योंकि इससे इन तीनों राज्यों का सम्बन्ध है । मध्य प्रदेश सरकार से अपनी हाल ही की बातचीत के दौरान मैं ने उन्हें यह सुझाव दिया कि क्या हम इन घाटियों को कृषियोग्य बनाने की इस समस्या को हल करने के लिये एक निगम न बनाये क्योंकि तीन राज्य सरकारों का इस समस्या से सम्बन्ध है । ये तीनों राज्य सरकारें अब आपस में परामर्श कर रही हैं । अभी मुझे इन राज्य सरकारों से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है ।

श्री दाजी : श्रीमान्, माननीय उपमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर ठीक नहीं है । प्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से डाकुओं का उपद्रव समाप्त न हो परन्तु इससे उस क्षेत्र के निवासियों का सामान्य आर्थिक उत्थान होगा और इससे डाकुओं का उपद्रव कम होगा । इस बात की दृष्टि में कि डाकुओं का क्या उपद्रव एक गम्भीर समस्या है, क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय में कार्य आरम्भ करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह मामला, जिसका हमें पिछले दो वर्षों से आश्वासन दिया गया है, शीघ्र निपटाया जाये तथा भूमि को कृषियोग्य बनाने के कार्य में तेजी लाई जाये और यह प्रगति केवल 2,100 एकड़ भूमि तक ही सीमीत न रहे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान्, मैंने पहले ही इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ कर दिया है । जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है और अब वे परामर्श कर रही हैं ।

श्री उ०मू० त्रिवेदी: श्रीमान्,इन घाटियों को कृषियोग्य बनाने के कार्य का सम्बन्ध केवल डाकुओं के उपद्रव से ही नहीं है,, परन्तु यह एक ऐसी योजना है जिसे पुनर्वास मंत्रालय ने भी आरम्भ किया है । यह योजना खाद्य मंत्रालय के अन्तर्गत भी आती है जिसने इसे कृषियोग्य भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के विशेष प्रयोजन से आरम्भ किया है क्योंकि यहां की भूमि काफी उपजाऊ है । क्या यह सच नहीं है कि इस दृष्टि से कि ये तीनों समस्यायें , भूमि को कृषियोग्य बनाने से हल हो सकती हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार को मेरे हस्ताक्षर सहित एक पत्र भजा है कि भूमि को कृषियोग्य बनाये जाने का यह कार्य शीघ्र किया जाना चाहिये और इसके लिये पर्याप्त धन-राशि उपलब्ध की जानी चाहिये । मैं जान सकता हूं कि सरकार इस कार्य में कब तक ढील करती रहेगी और यह कार्य 2,100 एकड़ तक ही सीमीत रहेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : सरकार को इन सब बातों का पता है जो माननीय सदस्य ने कहीं हैं । यही कारण है कि हम यह कार्य व्यापक रूप से करना चाहते हैं । मुझे मध्य प्रदेश सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है । परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे एक पत्र मिला है जिसके साथ उन्होंने इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को जो पत्र लिखा गया था, उसकी एक प्रति भी भेजी है ।

श्री राधेलाल व्यास : इन घाटियों में रहन-सहन की कठिन स्थिति को तथा डाकुओं के उपद्रव देखते हुये मैं जान सकता हूं कि यह निगम कब तक स्थापित हो जायेगा और अपना कार्य करने के लिये इसे कितना धन दिया जायेगा ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । क्योंकि यह समस्या तीन राज्यों से सम्दन्ध रखती है, इसलिये मैं ने यह सुझाव दिया है । उन्होंने अभी अन्तिम रूप से मुझे कोई उत्तर नहीं दिया है । जितने धन की आवश्यकता होगी हम उत्तर आने के बाद उसे चौथी योजना के दौरान उपलब्ध करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं जान सकता हूं कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं किया गया है हालांकि यह प्रश्न 15 वर्ष पहले उठाया गया था ? क्या सरकार को ज्ञात है कि घाटी-क्षेत्र तेज़ी से फैल रहा है और यदि इसे कृषि-योग्य बनाने के प्रयत्न नहीं किये गये तो दूसरे क्षेत्रों की भी यही स्थिति हो जायेगी; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस काम में तेज़ी लाने के लिये क्या कदम उठाएगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मेरे विचार में, मैंने अपने उत्तर में यह बताया कि हम इस कार्य में शीघ्रता लाने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि तीनों सम्बद्ध राज्य आपस में समझौता कर लेंगे, यदि वे समझौताकर लेते हैंतो बहुत अच्छा है अन्यथा हमें प्रत्येक राज्य के बारे में कार्यवाही करनी पड़ेगी । परन्तु सर्वप्रथम मुझे, जो सुझाव मैंने दिया है, उसका उत्तर मिलना चाहिये ।

Shri Surya Prasad : May I know by which time this consultation regarding reclamation of Chambal Ravines between the three concerned States will be complete ?

Shri Shahnawaz Khan : We have written to the States and it is hoped that they will take a decision very soon.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the amount asked for by the Madhya Pradesh Government in this connection and the financial assistance given by the Government ?

Shri Shahnawaz Khan : For the first Scheme, 22·46 lakh rupees have been sanctioned. For the second Scheme which will cover sixteen thousand acres, 53·54 lakh rupees have been asked for. We have asked the State Government to furnish more details. As soon as the required information is received, this amount will be sanctioned.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या चम्बल तथा माही घाटियों को तथा महाराष्ट्र में क्षार भूमि तथा पंजाब में दलदल तथा लवण भूमि को कृषियोग्य बनाने के लिये हम निश्चित राष्ट्रीय नीति पर चलते हैं; यदि हां, तो इस बारे में हमारा क्रमबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : हम राज्य सरकारों की सिफारिशों की प्रतीक्षा करते हैं । जब कोई विशेष योजनायें अथवा परियोजनायें पेश की जाती हैं, उनकी छानबीन की जाती है और जिनको व्यवहार्य समझा जाता है, उन्हे मंजूर किया जाता है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मैंने हमारी राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में पूछा, राज्य सरकारों की प्रार्थना के बारे में नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : वह एक बहुत ही बड़े क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पत्तनों पर विलम्ब शुल्क

*1154. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन के अतिरिक्त कहीं भी व्यापारियों से विलम्ब शुल्क अग्रिम लेने की प्रणाली नहीं है ;

(ख) क्या विभिन्न पत्तनों को विलम्ब शुल्क की दर विभिन्न होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में एकरूपता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) बम्बई, विशाखापत्तनम और भारमुगाओ के पत्तनों में व्यापार से विलम्ब शुल्क अग्रिम लेने की प्रणाली नहीं है । दूसरे पत्तनों में नीचे दी हुई सीमा तक सुविधायें उपलब्ध हैं :—

कलकत्ता : जिन साईडिंग होल्डरों के लिये वैगन लादने और उतारने की सुविधा की व्यवस्था की गई है उन्हे विलम्ब शुल्क और साईडिंग प्रभारों को, जो समय समय पर जमा होते रहते हैं, की अदायगी के लिये जमानत जमा करनी पड़ती है ।

मद्रास : समय छूट में लादने और उतारने का काम पूरा न होने पर रेलवे वैगनों के बारे में जो कुछ विलम्ब शुल्क जमा हो जाता है उसके बारे में अग्रिम धन जमा करा लिया जाता है ।

कोचीन : माल के चुंगी प्रभार के बाहर हो जाने पर भी आयातकर्ता और व्यापारी यदि वे चाहे तो विलम्ब शुल्क के लिये अग्रिम धन जमा करा सकते हैं ।

कांडला : समय समय पर पत्तन अधिकारियों की इच्छानुसार घाट के विलम्ब शुल्क और अन्य पत्तन प्रभारों के लिये पर्याप्त अग्रिम धन जमा करना होता है और माल के जहाज पर लादने या निकासी पूरी हो जाने के बाद अन्तिम समंजन किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अभी ऐसी कोई बात सोची नहीं जा रही है । विलम्ब शुल्क की दरें, स्थानीय दशाओं पर निर्भर करती हैं जैसे माल रखने के लिये उपलब्ध स्थान, माल रखने के लिये दी हुई जगह पर किया गया व्यय, भीड़ की सीमा इत्यादि ।

पंचायत सचिवों की पदालि

*1155. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने पंचायत सचिवों की एक नई पदालि गठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की महत्वपुर्ण बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या पंचायत राज प्रशासन में यह पदालि किन्हीं नये कृत्यों का निर्वहन करेगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग) मंत्रालय ने पंचायत सचिवों के संवर्ग को सुदृढ़ करने के लिये एक योजना तैयार की है । इसमें लगभग 3,000 की आबादी वाली पंचायत के लिये एक योग्यता प्राप्त तथा प्रशिक्षित सचिव की नियुक्ति की व्यवस्था है । इस सचिव ने गांव पंचायत के कार्य के दफतर, लेखा और विकास सम्बन्धी पहलुओं की देखभाल करनी है ।

इस योजना पर योजना आयोग और कृषि तथा सिंचाई सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद ने विचार किया था । यह राज्य सरकारों को टिप्पण के लिये भेजी गई है ।

भाण्डागारों का निर्माण

*1156. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसके द्वारा दी गई सहायता से 15 अप्रैल, 1965 तक सारे देश में कुल कितने भाण्डागारों का निर्माण हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) भाण्डागारों ने सामान रखने वालों को क्या सुविधायें प्रदान की ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सीधे ही भाण्डागारों का निर्माण नहीं करती है । भाण्डागारों का निर्माण केन्द्रीय भाण्डागारण निगम और राज्य भाण्डागारण निगमों जिनकी स्थापना भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत की गयी थी, द्वारा करवाया जाता है । केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भाण्डागारण निगम को हिस्सा पूंजी और ऋण के रूप में सहायता देती है । केन्द्रीय भाण्डागारण निगम प्रत्येक राज्य भण्डागारण निगम का एक हिस्सेदार है । केन्द्रीय भाण्डागारण निगम ने कुल 1,06,065 टन की क्षमता के भाण्डागार 25 केन्द्रों पर बनवाये हैं और उन पर 1.6 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । 14 राज्य भाण्डागारण निगमों ने 31 दिसम्बर, 1964 तक 1,26,529 टन की क्षमता के भाण्डागार 78 केन्द्रों पर बनवाए हैं । इन गोदामों पर कुल 1.89 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ।

(ग) भाण्डागार में माल रखने वालों को वैज्ञानिक संग्रहण सुविधाएं, भाण्डागारों की रसीदों पर सस्ता बैंक उधार और अच्छी धारक शक्ति सुलभ करते हैं ।

Sugar Mills in Bihar

***1158. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sen Commission visited Bihar recently and asked questions from sugarcane producers and owners of sugar mills in respect of various issues connected with sugarcane and sugar mills :

(b) if so, whether it is also a fact that as a result thereof a feeling has been created among the farmers that sugar mills will be shifted from Bihar to Southern parts of the country ; and

(c) if so, the policy of Government in this regard ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes Sir.

(b) Government have no information. But there could be no cause for such fear as alleged.

(c) Does not arise.

विश्व खाद्य कार्यक्रम

***1159. श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम समिति ने भारत के लिये 15 लाख पौंड का एक खाद्य कार्यक्रम मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए मुख्य परियोजनायें कौनसी हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4337/65]**

पर्यटन के लिये पृथक मंत्रालय

*1160. **श्री राम हरख यादव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार से प्रार्थना की गई है कि भारत में पर्यटन के विकास के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां। 1963 में पर्यटन पर तदर्थ समिति से एक प्रस्ताव किया गया था कि पर्यटन के लिये एक अलग मंत्रालय की स्थापना की जाये ।

(ख) पर्यटन पर तदर्थ समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार किया था किन्तु सरकार को की गई उनकी सिफारिशों में उसका समावेश नहीं किया गया था क्योंकि वह ठीक नहीं समझा गया ।

अधिवक्ता अधिनियम

*1161. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत के अधिवक्ता अधिनियम को उस राज्य पर लागू किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख) जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि अधिवक्ता अधिनियम का विस्तार जम्मू और काश्मीर राज्य पर कर दिया जाये मामला विचाराधीन है ।

Use of Jeeps in C. D. Blocks

*1162 **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Yashpal Singh:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Kishen Pattanayak:
Shri Sinhasan Singh:
Shrimati Ramdulari Sinha:

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) Whether Government have considered any measures to check the misuse of jeeps and other Government vehicles both by the Central and State Government agencies for the Community Development Programme and if so the nature thereof ; and

(b) the total number of jeeps and other vehicles at present used by the officers and other employees under his Ministry, their total cost, the annual expenditure incurred on their maintenance and the number of years after which such vehicles become unserviceable;

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) To guard against any possible mis-use of block jeeps by way of using them for private purposes or by way of taking advantage of them for unproductive fleeting visits to villages or by way of misusing them for political ends during general elections, the following measures have been suggested to the state governments :—

(i) Pooling of block jeeps at the sub-divisional level and rationing them out according to a phased programme.

(ii) Issue of strict instructions regarding the maintenance of log books.

(iii) Specification of the purpose for which the jeeps can be used.

(iv) Imposition of a limit on the monthly consumption of petrol.

(v) Prescription of night halts for various categories of officers.

(vi) Laying down that the jeep can be used only by a group of officers and not by any single officer.

(vii) Specification of the distance from the block headquarters within which the jeep cannot be taken.

(viii) Fixing a certain proportion of touring to be done on bicycles.

(ix) Prohibition of the use of the jeep.

(*a*) within the block headquarter's town.

(*b*) to reach places conncted by other means of transport, and

(*c*) for journeys from one village to another within walking distance.

(x) Withdrawal of jeeps at the time of general elections from the block from the date of nomination till the date of polling during which period the jeeps would be under the control of the district Collector who would make use of them only for election duty.

(b) Information is being collected from the States and will be placed on the table of the house.

केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों का प्रकाशन

*1163. श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेमराज :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अधिनियमों को प्रादेशिक भाषाओं में और राज्य अधिनियमों को हिन्दी में प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विभिन्न राज्यों के विधि सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) से (ग). राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 15 और 16 जनवरी, 1965 को किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य इस बात पर विचार करना था कि केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी से भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद तथा ऐसे राज्य अधिकारियों का जो हिन्दी से भिन्न भाषाओं में हैं हिन्दी में अनुवाद किससे कराया जाए । यह प्रारम्भिक विचार विमर्श था और कोई अन्तिम निश्चय नहीं किये गये । राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों में मतैक्य यह था कि केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद स्वयं राज्य सरकारों को करना चाहिए किन्तु इस कार्य को करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए । राज्य सरकारों से परामर्श हो रहा है और मामला अभी विचाराधीन है ।

कृषि अनुसन्धान कार्य समन्वय परिषदें

*1164. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संघ सरकार ने ऐसी परिषदें स्थापित करने का सुझाव दिया है जो राज्य स्तर पर कृषि अनुसंधान कार्य में तालमेल स्थापित करेंगी और विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा जलवायु वाले प्रदेशों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करेंगी ;

(ख) क्या राज्य इकाइयों से आशा की जायेगी कि वे विशेष बातों वाले क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक अनुसंधान पर जोर दें तथा मूल अनुसंधान सम्बन्धी समस्याओं को केन्द्रीय संस्थाओं को भेजें ; और

(ग) कृषि वैज्ञानिकों को उचित प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपबन्ध किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) प्रोत्साहन देने के लिए निम्न योजनायें शुरू की गई हैं :—

1. केन्द्रीय संस्थानों के सुयोग्य कर्मचारियों की अग्रिम वेतन-वृद्धि तथा योग्यतानुसार पदोन्नति करना ;

2. डिज़ाइन तथा कृषि उपकरणों में सुधार लाने के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वालों को पुरस्कार देना ;

3. सेवा निवृत वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे कि वे अपने अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों को जारी रख सकें ;

4. कृषि सम्बन्धी 11 अनुशासनों के लिये सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान कार्य करने वालों को रफी अहमद किदवई मैमोरियल पुरस्कार देना ।

सरकार कृषि वैज्ञानिकों तथा नैशनल प्रौफैसरशिप एण्ड एमिरिट्स साइंटिस्टस इन्स्टीट्यूशन के वेतनक्रमों में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

खाद्य भण्डार क्षमता

*1165. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने खाद्य भण्डार क्षमता बनाने में भारत की सहायता करने तथा इस प्रयोजन के लिये भारतीय खाद्य निगम को तकनीकी तथा अन्य सहायता देने का वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). भारत के खाद्य निगम और आस्ट्रेलिया के गेहूं बोर्ड में तकनीकी सहयोग की सम्भावना आशाजनक दिखायी देती है। किन्तु कोई विस्तृत बातचीत नहीं हुई है ।

भारतीय नाविक

*1166. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश यूरोपीय मालिक विभिन्न नौपरिवहन समवायों में काम करने वाले भारतीय नाविकों के साथ न केवल मजदूरी के मामले में बल्कि भोजन के मामले में भी भेदभाव करते है ;

(ख) क्या इन नाविकों के लिये बोनस की कोई योजना लागू की गई है ; और

(ग) भारतीय नाविकों के काम के घंटों की उनके प्रतिरूपी युरोपीय कर्मचारियों के साथ कहा तक तुलना की जा सकती है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) भारतीय नाविकों के साथ भोजन, मजदूरी काम के घंटों के सम्बन्ध में विदेशी मालिक भेदभाव का बर्ताव नहीं करते हैं क्योंकि :

1. भारतीय नाविकों को भारतीय तथा विदेशी जहाज़ों में सेवा के लिये राष्ट्रीय समुद्री (भारत) समझौते के अनुसार मज़दूरी मिलती है और ब्रितानिया के नाविकों के वेतन की दर उन पर लागू नहीं होती है और न उस दर से तुलना हो सकती है ; और

2. भारतीय नाविकों को भोजन सामग्री समझौते की भारतीय शर्तों में दिये गये पैमाने के अनुसार दी जाती है ;

(ख) सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के देशी व्यापार के अपने स्थाई नाविकों की बोनस योजना के सिवाय और कोई बोनस योजना भारतीय नाविकों पर लागू नहीं होती है ।

(ग) राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड भारत द्वारा जैसा निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार भारतीय नाविकों के काम के घंटे हैं जबकि ब्रितानिया के नाविकों के काम के घंटे जो अधिक अनुकूल हैं, यू० के० समुद्री बोर्ड समझौते की शर्तों के अनुसार हैं । नीचे उनकी तुलना की गयी है :—

ब्रितानिया के नाविक

(अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक) सोमवार से शुक्रवार तक . . . . 24 घंटों में 8 घंटे

शनिवार को 12 बजे दोपहर से पहले 4 घंटे

भारतीय नाविक

(क) डेक और इंजिन रूम कर्मीदल

वाचकीपर	.	53 घंटे प्रति सप्ताह
दिन के कामगार		47 घंटे प्रति सप्ताह

(ख) सैलून कर्मीदल

माल जहाज़	.	56 घंटे प्रति सप्ताह
यात्री जहाज़	.	59½ घंटे प्रति सप्ताह

गेहूं उत्पादन की आस्ट्रेलियाई प्रणाली

*1167. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे आस्ट्रेलिया में गेहूं की उत्पादन प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए अप्रैल, 1965 में उस देश की यात्रा पर गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके विषय में उनकी क्या धारणा बनी ; और

(ग) क्या उनकी कुछ प्रणालियां भारत में चलाई जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). मैं आस्ट्रेलिया की राष्ट्रमण्डलीय सरकार के निमन्त्रण पर आस्ट्रलिया गया था। मैं सरकार के प्रमुख व्यक्तियों से मिला और अन्य स्थानों के अतिरिक्त वहां के कुछ फार्मों, गोदामों और विधायन कार्य सम्बन्धी संस्थापनों का निरीक्षण किया। यात्रा का उद्देश्य वहां के गेहूं उत्पादन की विधियों का अध्ययन करना नहीं था। आस्ट्रेलिया की सरकार पहले से ही कृषि तथा पशुपालन आदि के क्षेत्रों में अपने तकनीकी अनुभवों से हमें परिचित कराने के विषय में सहयोग दे रही है। यह तकनीकी आदान-प्रदान जारी रहेगी।

पटसन की खेती

2976. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की खेती का कोई पैकेज प्रोग्राम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां। यह कार्यक्रम चले हुए 5 ज़िलों के लिए स्वीकार किया गया है ; इनमें से 3 ज़िले पश्चिमी बंगाल तथा 2 बिहार के हैं।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारें चालू पटसन बुवाई मौसम से ही इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं।

Education of Handicapped in U. P.

2977. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the total amount of funds allocated during 1964-65 by the Centre to Uttar Pradesh for education of the blind, lame and deaf persons; and

(*b*) the number of schools at present being run for their education and the places where they are located ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (*a*) An allocation of Rs. 4,35,44,000 was made to Uttar Pradesh in 1964-65 for General Education, which also included funds needed for the education of the blind, deaf and lame.

(*b*) The information is as below :—

Category	No. of Institutions	Places where located.
1. Blind . . .	15	1. Mainpuri 2. Kanpur (2) 3. Dehra Dun (3) 4. Allahabad 5. Varanasi (2) 6. Sitapur 7. Aligarh 8. Lucknow 9. Bijnor 10. Tehri Garhwal 11. Gorakhpur
2. Deaf	15	1. Allahabad 2. Lucknow (2) 3. Pilibhit 4. Saharanpur 5. Varanasi 6. Shajahanpur 7. Bareilly 8. Agra 9. Gorakhpur 10. Kanpur (2) 11. Jhansi 12. Meerut 13. Dehra Dun
3. Orthopaedically Handicapped .	1	Rampur

Ambar Charkhas

2978. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(*a*) the number of Ambar Charkhas given to Uttar Pradesh during 1964-65;

(*b*) the number of those among them which were actually brought into use; and

(*c*) the quantity of yarn spun during the above period ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jaganatha Rao) :

(*a*) 3903
(*b*) 3853
(*c*) 57,491 Kilograms
} From April to December, 1964.

Hostels for S. C.& S. T. in U. P.

2979. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(*a*) the total number of hostels for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students set up in Uttar Pradesh during the period from 1961 to 1964; and

(*b*) the number of hostels proposed to be set up during 1965-66 ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (*a*) and (*b*). The information has been called for from the State Government and the same will be laid on the table of the House, as soon as it becomes available.

Hostels for S.C.& S. T. in Mysore

2980. Shri Veerappa : Will the Minister of **Social Security** be pleased to State :

(*a*) the number of hostels for Scheduled Castes and Scheduled Tribes proposed to be opened in Mysore State during 1965-66; and

(*b*) the amount allotted by Government for the construction of these hostels during the said period ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (*a*) and (*b*). The information is being collected from the Government of Mysore and it will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

S. C.& S. T. in Andaman and Nicobar Islands

2981. Shri Veerappa : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(*a*) the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Andaman and Nicobar Islands ;

(*b*) the amount spent on their welfare during 1964-65 ; and

(*c*) the amount earmarked for 1965-66 for their welfare work ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (*a*) Scheduled Tribes 14,122 (on the basis of 1961 census figures). There are no Scheduled Castes.

(b) Rs. 1·213 lakhs (anticipated)

(c) Rs. 2·20 lakhs

कारीबनूर बेसिन स्कीम

2984. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारीवनूर वेसिन स्कीम (केरल) की कार्यान्विति में देर की जा रही है ;

(ख) उक्त योजना के "कुल्लमंगलम कट" में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि उस क्षेत्र में धान की खेती को बहुत हानि हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो गत फसल के समय कितनी हानि हुई ; और

(ङ) इस कार्य को तेज़ी से करने के लिये सरकार का क्या-क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ङ) पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कनन्नूर में ऊपरी पुल

2985. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कनन्नूर, केरल में ऊपरी पुल न होने के कारण जनता को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) क्या केरल सरकार तथा जनता ने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग) कनन्नूर में प्रस्तावित ऊपरी पुल मुख्यतः राज्य योजना है । अतः इस मामले में मुख्यतः केरल की सरकार सम्बन्धित है । ऊपरी पुल के अभाव में होने वाली असुविधा का उसे ज्ञान है और उसका विचार इसे अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है । पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार करेगी और ऊपरी पुल का डिज़ाइन और निर्माण संबंधित रेलवे अधिकारी करेंगे ।

मंगलौर हवाई अड्डा

2986. **श्री अ० क० गोपालन**: क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर हवाई अड्डे को वाइकाउन्ट तथा कारेवेल विमानों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उसका विस्तार करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा ?

नागर विमानन मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) : (क), (ख) और (ग) भारी विमानों के चालनों के योग्य बनाये जाने के लिए मंगलौर विमानक्षेत्र के विकास का प्रश्न विचाराधीन है।

अल्वाए-एर्नाकुलम पाइपलाइन सड़क

2987. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्वाए-एर्नाकुलम् पाइपलाइन सड़क के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसके कब तक तैयार होने की संभावना है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख) अल्वाए-एर्नाकुलम् पाइपलाइन सड़क स्कीम राज्य परियोजना है। इस लिये इस मामले में मुख्यत: केरल सरकार संबंधित है। संभवत: सदस्य का आशय सार्वजनिक व्यवहार के लिये मौजूदा अल्वाए-एर्नाकुलम् पानी पाइपलाइन सड़क के सुधार के प्रश्न से है। सुधार कार्य की लागत लगभग 11 लाख रुपये अनुमानित की जाती है और राज्य सरकार इस निर्माण कार्य को अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए विचार कर रही है।

स्कूटरों में लगी हुई किराया सूचियां

2988. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा:** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चलने वाले अधिकतर स्कूटरों में लगी हुई किराया सूचियां धुंधले शीशों से ढके रहने के कारण आसानी से नहीं पढ़ी जातीं ; और

(ख) क्या स्कूटर चालकों को सामान के लिये अतिरिक्त भाड़ा लेने की अनुमति है, यदि हां तो किस दर पर ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) परिवहन निदेशालय, दिल्ली, के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। परन्तु दिल्ली परिवहन विभाग ने अनुदेश जारी किये हैं कि साफ शीशे के अन्दर चार्ट लगाने के लिये प्रत्येक गाड़ी पर इस आइटम की जांच की जाये।

(ख) जी हां। यदि पैकेजों का कुल तोल और आयतन क्रमश: 10 किलोग्राम और 40 सें० मी० 30 सें० मी० हो तो सब वस्तुओं के लिये 10 पैसे और अधिक भाड़ा वसूल किया जा सकता है।

केरल परिवहन निगम के कर्मचारी

2989. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल परिवहन निगम ने मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा 27 के अन्तर्गत अस्थायी कर्मचारियों को सुविधायें दी हैं ;

(ख) निगम में कितने अस्थाई कर्मचारी हैं ; और

(ग) उन्हें नियमित पदों पर स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) 681 मज़दूर दैनिक मज़दूरी पर रखे गये हैं ।

(ग) जब कभी रिक्तियां होती हैं तो दैनिक मज़दूरी वाले मज़दूरों को स्थाई पदों पर नियुक्त किया जाता है ।

केरल में सड़क परिवहन यात्रियों के लिये खान-पान की सुविधायें

2990 **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सड़क परिवहन निगम ने प्रमुख स्टेशनों पर दूर जाने वाले यात्रियों के लिये अधिक -अच्छे भोजन की व्यवस्था करने के हेतु क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या वर्तमान स्टेशनों पर सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुये ऐसे स्थानों पर स्टाप बनाये जायेंगे जहां उत्तम भोजनालय सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ग) निगम द्वारा कितने खान-पान गृह चलाये जा रहे हैं ; और

(घ) इस समय दूर जाने वाले यात्रियों को खान-पान की क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) त्रिचूर, किलोन, और एलेपे पर केरल राज्य सड़क परिवहन निगम पहले ही (विभागीय) कैंटीनें चला रहा है। ये रेस्टोरेन्ट बस स्टेशनों के निकट स्थित हैं ।

(ख) लंबी दूरी की यात्रा सेवाओं के लिये बस स्टाप ऐसी जगहों पर रखे गये हैं जहां अच्छे रेस्टोरेंन्ट उपलब्ध हैं ।

(ग) तीन ।

(घ) केरल राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलायी जा रही कैंटीनों में यात्रियों को खाना और हल्का नाश्ता नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध होता है ।

केरल के मालाबार क्षेत्र में पर्यटन केन्द्र

2991. श्री पोट्टेकाट्ट : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र में कुछ पर्यटन केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो केन्द्र कहां-कहां बनाये जायेंगे ; और

(ग) उक्त क्षेत्र में इस समय कौन-कौन से पर्यटन केन्द्र हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

(ग) केवल कंनानूर और कोजीकोड दो महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं ।

उत्तर प्रदेश के कोल आदिवासी

2993. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि बुन्देलखण्ड में बांदा तथा अन्य क्षेत्रों के कोल जाति के लोगों की दयनीय दशा के बारे में अनेक अभ्यावेदन किये जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश (बांदा) के कोल आदिवासियों को अनुसूचित आदिमजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : इस समय उत्तर प्रदेश में किसी जाति को अनुसूचित आदिम जाति नहीं माना जाता । अलबत्ता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की सूचियों का पुनरीक्षण करने के समय सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं जो कि अब विचाराधीन हैं ।

गेहूं की नई किस्म

2994. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 8 दिसम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में सभी सरकारी फार्मों में गेहूं की नई किस्म एन० पी० 836 का उत्पादन किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : एन० पी० 836 किस्म गेहूं समस्त गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में सफल नहीं हुई है । यह किस्म केवल बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सफल सिद्ध हुई है और इसे इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर उगाया जा रहा है ।

National Highways

2995. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that Lucknow-Kanpur-Kalpi-Jhansi-Beena National Highway is much longer than Lucknow-Kanpur-Hamirpur-Mohoba-Chhatarpur-Saugor which had been in use as a National—Highway since times immemorial and if so the difference between the two in kilometers;

(b) the reasons which had led the Ministry to abandon the old Highway and use the new one which is comparatively longer;

(c) whether Government propose to consider the question of declaring Saugor-Lucknow Road as an additional Highway ; and

(d) the reasons for which the proposed bridge has not so far been constructed over this Highway and when it is likely to be constructed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) to (d). Yes, the difference in the length of the two routes is about 70 kilometers. The National Highway Scheme, however, came into being on the 1st April 1947 as a result of which the Government of India assumed financial liability for the development and maintenance of certain roads classified as National Highways. Before that date all roads in the provinces were the responsibility of the Provincial Governments concerned. Roads included in the National Highway System were selected on the basis of the recommendations in the "Nagpur Plan" framed in December 1943 by the Chief Engineers in charge of roads. In the first instance the National Highway Scheme was introduced as a provisional arrangement with the consent of the participating provincial Governments. The rules selected were such as would make a suitable grid. The system included the Lucknow-Kanpur-Jhansi road.

The Government of India have no proposal for the declaration of the Lucknow-Kanpur-Hamirpur-Mahoba-Chhatarpur-Saugor Road as an additional National Highway as no funds are available at present for the expansion of the existing National Highway System.

Regarding the proposed missing bridge, perhaps the Members refer to the bridge over the river Yamuna at Kalpi on the present National Highway. This bridge has been included in the current Plan and its plans and estimates are under scrutiny. It is expected that the work on the bridge may be started during the current Plan period.

वैज्ञानिक तथा तकनीशन

2996. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोयम्बटूर में घोषणा की थी कि वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों पर प्रशासनिक नियमों के बन्धन नहीं होने चाहियें ; और

(ख) क्या उनके सुझाव पर कोई कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । जब तक अनौपचारिक कदम नहीं उठाये जाते हैं तब तक के लिये इस बात का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है कि नियमों और प्रक्रियाओं से वैज्ञानिकों और तकनीशनों के काम में बाधा न पड़े ।

खाद्यान्नों का समाहार

2997. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यस बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1964–65 तथा 1965–66 में अब तक कितनी मात्रा में खाद्यानों का समाहार किया गया ;

(ख) इसी अवधि में कितनी मात्रा में खाद्यान्न बेचे गये ; और

(ग) इन सौदों में सरकार को कितना वास्तविक लाभ अथवा हानि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंकालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत सरकार द्वारा भीतरी और बाहरी साधनों से खरीदी गयी खाद्यान्नों की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

1964–65 . . . 77.82 लाख मीट्रिक टन ।

1965–66 . . . 6.80 लाख मीट्रिक टन ।

(1–4–65 से 24–4–65 तक)

(ख) 1964–65 8.69 लाख मीट्रिक टन ।

1965–66 सूचना अभी प्राप्त नहीं है ।

(ग) 1964–65 में भारत सरकार को हुई व्यापारिक हानि मोटे तौर पर अनुमानतः 81.90 करोड़ रुपये है। 1964–65 के खाते अभी पूरे नहीं हुए हैं। 1965–66 के व्यापारिक परिणामों का मोटा अनुमान देना बहुत ही जल्दबाज़ी होगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

2998. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1951 में योजना के लागू किये जाने के बाद से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के मैट्रिक से पहले के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बराबर 27 रुपये प्रति मास बनी रही है ;

(ख) यदि हां तो क्या निर्वाह मूल्य में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) इस मामले में कब निर्णय किया जायेगा ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) 27 रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति की दर का सम्बन्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के मैट्रिक के बाद के छात्रों से है न कि मैट्रिक से पहले के। इस बीच इस दर का पुनरीक्षण किया गया है और यह दर एक राज्य से दूसरे राज्य में अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न भिन्न है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण

2999. **श्री सिद्दय्या :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के बारे में 22 दिसम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1676 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब अन्तिम रूप से सूचियों की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण अभी विचाराधीन है और आशा है कि निकट भविष्य में ही निर्णय कर लिये जायेंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाख के उत्पादन में कमी

3000. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाख उगाने वाले क्षेत्रों में लाख का उत्पादन काफी घट गया है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां। पिछले वर्षों में देश में लाख का उत्पादन घट गया है।

(ख) उत्पादन घटने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) 1961–62 से पूर्व के वर्षों की तुलना में लाख निर्यात में 25 प्रतिशत की कमी हो गई।

(2) देश में 1960 में और थाईलैंड में 1961 में लाख का अच्छा उत्पादन हुआ और उपभोक्ता देशों के उपक्रय में कमी होने से भारत तथा थाईलैंड आदि लाख-उत्पादक देशों में काफी मात्रा में लाख फालतू हो गई ।

(3) उपरोक्त दोनों कारणों से देश में 1963 में शनैः शनैः लाख के मूल्य इतने नीचे स्तर तक गिर गये कि लाख उत्पादक कृषक लाख की खेती को अलाभकर समझने लगे । लाख की खेती करने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन न रहा और उन्होंने लाख की खेती करनी ही छोड़दी। इसके फलस्वरूप 1964–65 में लाख उत्पादक क्षेत्रों में लाख की खेती को बड़ी हानि पहुंची ।

(ग) सरकार ने लाख की कीमत में गिरावट को रोकने के लिए और कृषकों को लाख की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्न लिखित कदम उठाये :—

(1) लाख उत्पादकों का एक एसोसियेशन बना दिया गया और जून 1958 से लाख की समस्त श्रेणियों के लिए स्वच्छिक आधार पर न्यूनतम निर्यात-मूल्य लागू करने के कार्य को बढ़ावा देने में सहायता दी गई ।

(2) राज्य व्यापार निगम को 1962 में यह कार्य सौंपा गया कि वह लाख का एक ऐसा समीकरण भण्डार बनाये जिससे कि उत्पादकों तथा छोटे विनिर्माताओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचे ।

(3) सम्बन्धित राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया कि वे प्रत्येक राज्य में ऐसी सहकारी संस्थायें स्थापित करें जो कि उत्पादकों से उचित भाव पर लाख खरीद कर उसे भारतीय लाख अनुसन्धान संस्थान में स्थापित केन्द्रीय विधायन यूनिट में उसे "सीडलक" में परिणित कराने और राज्य व्यापार निगम को बेचने का कार्य करें ।

(4) अक्तूबर 1964 में शैलेक एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल ने भारतीय लाख सैस समिति के सहयोग से कृषकों को कच्ची "अरी" लाख न काटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बूडलक के परिरक्षण करने के लिए तथा लाख उत्पादन में नरन्तर्य बनाये रखने के लिये एक सघन प्रचार अभियान चलाया । अप्रैल 1965 में एक दूसरा अभियान चलाया जायेगा ।

राज्यों में गन्ने की पिराई

3001. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **जखाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक राज्यों में गन्ने की पिराई की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सभी राज्यों में गन्ने की सारी खड़ी फसल की मिलों द्वारा अथवा अन्यथा पिराई हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) विभिन्न राज्यों में पहली नवम्बर, 1964 से 15 अप्रैल, 1965 तक शर्करा कार खानों द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

राज्य	(मात्रा हज़ार मीट्रिक टन में)
उत्तर प्रदेश	12,358
बिहार	3,693
पंजाब	1,119
पश्चिमी बंगाल	128
असम	65
उड़ीसा	97
मध्य प्रदेश	421
राजस्थान	104
महाराष्ट्र	4,947
गुजरात	334
आन्ध्र	2,793
मद्रास	1,357
मैसूर	1,260
केरल	150
पांडिचेरी	123
अखिल भारत	28 949

(ख) और (ग) आशा है कि 1964–65 की फसल में पेरने का कार्य समाप्त होने से पूर्व शर्करा कारखाने सारा उपलब्ध गन्ना पेर देंगे ।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

3002. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन खादी और ग्रामोद्योग तथा दस्तकारी उद्योगों से सम्बन्धित कोई कुटीर उद्योग उड़ीसा के पिछड़े वर्गों के लोगों के लाभ के लिये 1964–65 में संगठित किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में अब तक कुल कितनी राशि दी गई और उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) पिछड़े वर्गों के लोगों के लाभ के लिये 1964–65 में उड़ीसा में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये मंजूर की गई आर्थिक सहायता इस प्रकार है :–

योजना का नाम	मंजूर की गई राशि
1. तारगुड़ उद्योगों को अनुदान, अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का प्रशिक्षण तथा कुटीर उद्योगों के लिये उपदान	1,00,000 रुपये
2. विभिन्न दस्तकारियों में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का प्रशिक्षण तथा कुटीर उद्योगों के लिये हिताधिकारियों को उपदान	1,00,000 रुपये
3. कताई करने वालों का प्रशिक्षण––	
(क) वज़ीफा	28,000 रुपये
(ख) ट्यूशन फी . .	57,600 रुपये
(ग) मूल्य-ह्रास अनुदान . . .	3,840 रुपये
4. कार्य-शेडों का विकास	10,000* रुपये
5. दस्तकारियों का विकास	5,52,000@ रुपये

*5,000 रुपये ऋण के रूप में तथा 5,000 रुपये अनुदान के रूप में ।

@इस की व्यवस्था उड़ीसा सरकार ने अपने आयव्ययक अनुमानों में सारे राज्य में दस्तकारियों के विकास के लिये की । इस व्यवस्था में से कितनी राशि से पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचा उसका पता नहीं है ।

पटना में गंगा नदी पर पुल

3003. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना में गंगा पर सड़क पुल बनाने के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या इसे रेल सड़क पुल में परिवर्तित करने का विचार है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है; और

(घ) पूना जलविद्युत् अनुसन्धान केन्द्र ने परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट का अन्तिम मसौदा तैयार कर लिया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) निर्माण हो जाने के बाद गंगा पर प्रस्तावित सड़क पुल राज्य की सड़क पर पड़ेगा । इसलिये इस परियोजना के बारे में बिहार सरकार जो मुख्यतः इससे सम्बन्धित है, निर्णय करेगी ।

(ख) पटना पर गंगा के प्रस्तावित सड़क पुल को रेल और सड़क पुल में बदलने के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) पूना का हाइड्रालिक रिसर्च स्टेशन अभी भी माडल परीक्षण कर रहा है ।

अलाभप्रद चीनी कारखाने

3004. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 2 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने तथा अलाभप्रद चीनी कारखानों के पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी ।

खली की कमी

3005. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन कम होने का एक कारण देश में खली की कमी भी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में उपभोग के लिए स्वदेशी बाज़ार में खली की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये इसके निर्यात पर रोक लगाने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) भारत में खाद के रूप में खली का प्रयोग महत्वहीन है क्योंकि वह रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा अधिक खर्चीले हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि कृषि उत्पादन कम होने का एक कारण खली की कमी भी है ।

(ख) खली के निर्यात पर रोक लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं द्वारा ट्रेक्टरों का प्रयोग

3006. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से आयातित रूसी ट्रेक्टर जो खेती के लिये थे लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में नगर का कूड़ा ले जाने के लिये इस्तेमाल किये जा रहे हैं;

(ख) ये ट्रेक्टर किस प्रकार नगर-पालिकाओं तथा नगर-निगमों के हाथ लगे; और

(ग) उनके द्वारा ट्रेक्टरों का इस प्रकार दुरुपयोग रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). आयातित रूसी ट्रेक्टर केवल कृषि कार्यों के लिए ही बेचे जाते हैं। खाद बनाने के लिए नगर के कूड़े और विष्ठा को ले जाना कृषि कार्य ही माना जाता है। अतः आयातित रूसी ट्रेक्टर उन नगरपालिकाओं को बेचे जाते हैं जो टाऊन कम्पोस्ट स्कीम चलाती हैं। उत्तर प्रदेश की कई नगर-पालिकाओं से ऐसी मांग प्राप्त हुई है और आयातित ट्रेक्टर उन्हें दे दिये गये हैं।

भारत का खाद्य निगम

3007. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खाद्य निगम ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक आयात के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने के रूप में क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा उसका स्वरूप क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) भारत के **खाद्य** निगम द्वारा अब तक ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिना टिकट यात्री

3008. **श्री गुलशन :**
श्री प० ह० भील :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1965 में बंगलौर हवाई अड्डे पर कुछ बिना टिकट यात्री पकड़े गये; और

(ख) 1 जनवरी, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक विभिन्न हवाई अड्डों पर ऐसे कुल कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा 1-1-1964 से 31-3-1965 तक की अवधि के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों के दो मामले पकड़े गये।

गन्ने के मूल्य का भुगतान

3009. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के चीनी कारखानों को 1958–59 और 1959–60 में दिये गये गन्ने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त समिति के पंचाट के अनुसार प्रत्येक कारखाने को अतिरिक्त मूल्य के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना है;

(ख) कारखानों को कितनी अवधि के अन्दर भुगतान करना है;

(ग) क्या उक्त अवधि समाप्त हो चुकी है और यदि हां, तो भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा बिहार के चीनी कारखानों से पंचाट की शर्तों को क्रियान्वित न करा सकने की स्थिति में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1958-59 और 1959-60 की फसलों में बिहार की प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा देय राशि बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4338/65]**

(ख), (ग) और (घ). गन्ना (अतिरिक्त) मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 28 दिसम्बर, 1964 को एवार्ड जारी किये थे और इन एवार्डों की जारी होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर राशि दी जानी थी । किन्तु कारखानों ने गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 की धारा 3-ए की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपीलें दायर की हैं और इन पर अभी विचार हो रहा है ।

राज्यों में सहकारी संस्थाएं

3010. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक राज्यों में सहकारी संस्थाएं 1964-65 में अनाज व्यापार आरम्भ करने में कहां तक सफल हुई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यों तथा केन्द्र द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) हाल ही की जानकारी के अनुसार सहकारी समितियों ने चालू सहकारी वर्ष के नौ महीनों में अर्थात् जुलाई, 1964 से मार्च, 1965 तक लगभग 54 करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्नों का व्यापार किया है । राज्यवार ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4339/65]**

(ख) (1) चुनी हुई विपणन सहकारी समितियों द्वारा कृषि उपज की सीधी खरीद की नयी योजना के अधीन, सरकार सीधी खरीद के मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से अंशदान देगी । यह अंशदान, कुछेक शर्तों के अधीन, ऐसे सौदों में होने वाले घाटों को बट्टे-खाते में डालने के लिए सुलभ होगा । इस अंशदान की आधी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी और शेष सम्बन्धित राज्य सरकारें देंगी ।

(2) कृषि उपज, जिसमें खाद्यान्न भी हैं, की सीधी खरीद करने के लिए चुनी हुई सहकारी विपणन समितियों को राज्य सरकार से उनकी अंशपूंजी के लिए 25,000 रुपये प्रति समिति की दर से अंशदान मिलेगा । अंशपूंजी के अतिरिक्त अंशदान का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिया जायेगा ।

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी चावल मिलों की स्थापना के लिए आवश्यक शत प्रतिशत राशि अपनी संचित निधि में से राज्य सरकारों को उनकी योजना की उच्चतम सीमा के बाहर देता है। इस योजना के अन्तर्गत निगम ने अप्रैल, 1965 तक विभिन्न राज्यों में 214 चावल मिलों के लिए सहायता देना मंजूर कर लिया है।

(4) अनेक राज्यों में सहकारी समितियों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों की ओर से खाद्यान्नों की खरीदारी करने का विशेष काम सौंपा गया है। उदाहरणार्थ, असम में सहकारी समितियों को राज्य सरकार की ओर से धान की खरीदारी करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य सरकार की ओर से राज्य में समस्त बिक्रेय फालतू ज्वार की खरीदारी करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों को राज्य सरकार की ओर से दूसरे राज्यों को निर्यात करने के लिए ज्वार की खरीदारी करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है।

आदिम जाति-क्षेत्रों में सहकारी श्रम समितियां

3011. **श्री ह० च० सोय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के आदिम जाति-क्षेत्रों में कितनी सहकारी श्रम समितियां तथा कितनी सहकारी वन समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) इन में से कितनी सहकारी समितियां सफलतापूर्वक तथा अधिकांशत: आदिवासियों द्वारा चलाई जा रही हैं; और

(ग) इन सहकारी समितियों के सफलतापूर्वक कार्य करने में क्या कोई मुख्य कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये उच्चतर तकनीकी शिक्षा

3012. **श्री ह० च० सोय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है कि अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी उच्चतर तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा इतनी कम संख्या में क्यों प्राप्त करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन विद्यार्थियों की एक मुख्य कठिनाई यह है कि वे ट्यूशन, बोर्डिंग तथा उन से सम्बन्धित खर्चे उठाने में असमर्थ हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां अत्यधिक अपर्याप्त हैं और उनका ठीक समय पर भुगतान नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उच्चतर तकनीकी

तथा चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या कम है। मामले की जांच की जा रही है और निर्णय करते समय माननीय सदस्य द्वारा रखी गई बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

दिल्ली-गोहाटी विमान सेवा

3013. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और गोहाटी के बीच एक सीधी विमान सेवा चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). दो और कारवेल विमानों को प्राप्त करने के बाद, जिनकी खरीद की मंजूरी सरकार ने दे दी है, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन इस प्रकार की सेवा चलाने की उपयुक्तता पर विचार कर रहा है।

खानाबदोश आदिम जातियों का अध्ययन

3014. श्री ह० च० सोय : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बिहार तथा अन्य राज्यों में खानाबदोश आदिम जातियों, जैसे बिरहोर, के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्हें बसाने की योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

(क) जी, हां। 1958 में केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण सलाहकार बोर्ड की एक उप-समिति स्थापित की गई थी जिसने सारे देश का दौरा किया और मार्च, 1960 में अपना प्रतिवेदन पेश किया जिसमें बिहार राज्य में बिरहोरों सहित देश में खानाबदोश तथा आंशिक रूप से खानाबदोश आदिम जातियों के कल्याण के लिये विभिन्न सिफारिशें की गई हैं।

(ख) उप-समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई थीं और यह प्रार्थना की गई थी कि इन पर विचार किया जाये तथा पिछड़ी जाति क्षेत्र के लिये उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था में से खानाबदोश तथा आंशिक रूप से खानाबदोश आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजनायें तैयार की जायें। तीसरी पंच वर्षीय योजना में खानाबदोश आदिम जातियों के कल्याण के लिये निम्नलिखित कल्याण योजनायें आरम्भ की गई हैं :—

(1) आश्रम स्कूलों तथा छात्रावासों की स्थापना।

(2) स्कूलों तथा छात्रावासों के लिये इमारतों का निर्माण।

(3) छात्रवृत्तियां तथा छात्रावास अनुदान प्रदान करना।

(4) किसानों को सहायता, भूमि-सुधार, सिंचाई सुविधाओं तथा दुधारू गायों व भेड़ों की व्यवस्था ।

(5) कुटीर उद्योगों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ।

(6) मकानों और मकानों के लिये भूमि की व्यवस्था ।

(7) पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था ।

(8) सामुदायिक एवम् स्त्री कल्याण केन्द्र ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है । यह शीघ्र ही राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप से तैयार किया जायेगा ।

कृषि वैज्ञानिक

3015. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों को खेतों पर जाने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सलाह पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अनुमानतः यह प्रश्न शिक्षा मंत्री के उस भाषण के सम्बन्ध में है जो उन्होंने पोस्ट-ग्रेजुएट स्कूल, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के चौथे दीक्षान्त समारोह के अवसर पर दिया था । यदि ऐसा है तो उत्तर नहीं में है । अपने भाषण के दौरान मंत्री महोदय ने अनुसन्धान खोजों को वास्तविक व्यवहार रूप में लाये जाने और किसानों द्वारा उनके अपनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

(ख) किसानों तक अनुसन्धान खोजों को पहुंचाने के विचार से विषयवस्तु विशेषज्ञ ज़िला तथा खण्ड स्तरों पर और सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम में लगा दिये गये हैं । भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के वैज्ञानिक भी खेत की समस्याओं को हल करने और संस्थान से सम्बद्ध खण्ड के विस्तार कार्य में स्वयं भाग लेकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेती में विज्ञान तथा तकनौलाजी को प्रचलित करने में सहायक हो सकते हैं । इसी प्रकार खण्ड राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध हैं ।

दिल्ली परिवहन बस मार्ग

3016. **श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली के क्षेत्र में समाप्त होने वाले बस मार्गों को इन्द्रपुरी कालोनी तक बढ़ाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के क्षेत्र में समाप्त होने वाले डी० टी० यू० बस मार्ग को इन्द्रपुरी कालोनी तक बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि वह किसी उपयुक्त सड़क द्वारा वेस्टर्न एक्सटेन्शन एरिया से जुड़ा हुआ नहीं है जिस पर बस सेवायें चलाई जा सकें।

Agricultural Economy

3017. **Shri Siddheshwar Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any statistical data regarding agricultural economy has been collected by Government during the last five years for the purpose of economic planning; and

(b) if so, the conclusions arrived at as a result of the analysis and study of these statistics ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) Statistics reagarding agricultural economy are collected in the normal course by the Government of India in cooperation with the State Governments not only for purposes of economic planning but also for formulation and implementation of economic policies arising out of its day-to-day work. The data are also used for purposes of continuous assessment and evaluation of development scheme in the Five Year Plans.

नेपाल में अखबारी कागज का उत्पादन

3018. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बारे में सर्वेक्षण कराने के लिए सहमत हो गई है कि अख़बारी कागज़ के उत्पादन के लिए नेपाल में कच्चे माल के पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं;

(ख) क्या एक ठोस सवक्षण कार्यक्रम के शीघ्र ही तैयार किये जाने का अनुमान है; और

(ग) यदि हां, तो क्या नेपाल में बना अखबारी कागज़ भारत में तुरन्त ही बिक सकेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) खाद्य और कृषि मंत्रालय ने कोई ऐसा करार नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

उठाऊ सिंचाई योजनाएं

3019. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त खाद्य उत्पादन सम्बन्धी अविलम्ब-कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजी गई 184 अविलम्ब उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिये अतिरिक्त सहायता दे दी गई है;

(ख) क्या सभी योजनाओं के लिये पम्प भी दिये जायेंगे; और

(ग) यदि सहायता अभी नहीं दी गई है, तो देरी के कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राज्य सरकार के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

(ख) राज्य सरकार फर्मों से पूछताछ करती रही है और ऐसी आशा है कि आवश्यक पम्प आर्डर देने की तारीख के बाद 2-3 महीनों के अन्दर प्राप्त हो जायेंगे ।

(ग) क्योंकि योजनायें सभी मामलों में भारत सरकार के उन निर्णयों से मेल नहीं खातीं जो अत्यावश्यक उत्थापक सिंचाई योजनाओं के चुनाव के सम्बन्ध में किये गये थे, अतः आगे स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक हो गया ।

Central Social Welfare Board

3020. Shrimati Lakhsmikanthamma : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give legal status to the Central Social Welfare Board; and

(b) if so, when the necessary legislation in this behalf is likely to be brought up ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jaganatha Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केरल में मीन क्षेत्र

3021. **श्री कनकसबै** :
श्री कोया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मीन क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग करने के लिये कोई व्यापक योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) केरल में मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये बनाई गई कई योजनाएं कार्यान्वित होने वाली हैं ।

(ख) ये योजनाएं, मछली पकड़ने की नौकाओं के यंत्रीकरण करने, मछली पकड़ने के वाणिज्यिक जलपोतों, मात्स्यकी की आवश्यकताओं की सप्लाई, प्रमुख जलाशयों का विकास, मछली पालन तथा नदी मात्स्यकी, मछली पकड़ने की बन्दरगाहें तथा अवतरण केन्द्र, बरफ संयंत्र, ठंडे गोदाम तथा परिवहन, मछियारों को प्रशिक्षण, मत्स्य संसाधन, शिक्षा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सहायक उद्योगों आदि के सम्बन्ध में है । 1965–66 में इन योजनाओं पर कुल 87.00 लाख रुपये खर्च होने का पूर्वानुमान है । इसके अतिरिक्त विशेष ("क्राश") विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ

योजनाएं चलाई गयी हैं जिनका उद्देश्य तुरन्त मछली का उत्पादन बढ़ाना है। इन योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष में 79.90 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय होगी।

Vacant Seats in State Legislatures

3022. Shri Sihdeshwar Prasad : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of vacant seats in Legislatures in various States;

(b) the Statewise list of vacant seats in Parliament; and

(c) whether arrangements have been completed for conducting elections for the vacant seats both for Parliament and the respective State Legislatures ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) and (b) The number of vacant seats in the two Houses of Parliament and in the House or Houses of the State Legislatures on the 30th April, 1965, was as follows :—

State	House of the people	Council of State	Legislative Assembly	Legislative Council
Andhra Pradesh	1	..	4	..
Jammu & Kashmir		..	4	
Kerala	..	1	..	
Madhya Pradesh	..		4	
Maharashtra	1		1	
Nagaland	..		12	
Mysore	2		..	
Punjab			1	
Rajasthan			3	
Uttar Pradesh			1	..
West Bengal				2
TOTAL	4	1	30	2

(c) (*i*) *House of the people* : The bye-election is in progress in one constituency (Mahbubabad) and arrangements are complete for holding the bye-elections in the other three constituencies (Chikballapur, Tumkur and Amravati) in June.

(*ii*) *Council of States* : The bye-election in Kerala had to be postponed *sine die* owing to the dissolution of the Legislative Assembly.

(*iii*) *Legislative Assemblies* : Bye-elections are in progress in 5 constituencies (2 in Andhra Pradesh, 1 in Madhya Pradesh and 2 in Rajasthan). Arrangements are not yet completed for filling the other vacancies.

(*iv*) *Legislative Councils* : A Bill has been introduced in the Lok Sabha on the 29th April, 1965, to amend the Fourth Schedule to the Representation of the People Act, 1950. Bye-elections to fill the two vacancies in the Legislative Council of West Bengal will have to be held after the Bill is passed by Parliament.

अन्ध विद्यालय, पंचकुई रोड, नई दिल्ली

3023. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्ध विद्यालय, पंचकुई रोड, नई दिल्ली के निरीक्षण के लिये 1963 में एक जांच समिति स्थापित की गई थी ;

(ख) क्या जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(घ) क्या विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4340/65 ।]**

(घ) दिल्ली प्रशासन मामले की जांच कर रहा है ।

मद्रास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

3024. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने मद्रास राज्य को 1962–63, 1963–64 और 1964–65 में कितनी राशि नियत की ;

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

श्रेणी	अनुमोदित राशि		
	1962–63	1963–64	1964–65
1. अनुसूचित आदिम जातियां	11.08	11.94	12.80
2. अनुसूचित जातियां	78.97	71.34	81.04
3. अन्य पिछड़ी हुई जातियां (अनुसूचित जातियों सहित)	35.47	30.66	40.90

(ख) और (ग). अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में वर्ष 1962–63 और 1963–64 के दौरान कुछ कमी हुई थी। इसका मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा आदिम जाति विकास खण्डों को देर से आरम्भ करना था। जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने इन वर्षों में उसको दी गई राशि को अधिक व्यय किया, इस शर्त के साथ कि अधिक व्यय पूर्ण योजना में दी गई राशि में समायोजन किया जायगा।

मद्रास को उर्वरकों का सम्भरण

3025. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य ने 1964–65 में उर्वरकों की कितनी मात्रा की मांग की थी ;

(ख) वास्तव में उर्वरकों की कितनी मात्रा दी गई ; और

(ग) क्या 1965–66 में कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख). मद्रास सरकार ने नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की जितनी मात्रा मांगी है तथा 31–3–65 तक जितनी सप्लाई की है, वह निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

उर्वरक का नाम	1964–65 की अवधि में मांगी गई मात्रा	1964–65 में अलाट की गई मात्रा	31–3–65 तक सप्लाई की गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	2,50,250	1,03,140	89,838
यूरिया	81,000	78,448	78,448
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	25,000	6,016	4,726
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट .	20,000	22,201	11,904

इससे आगे सप्लाई जारी है।

†सल्फेट आफ अमोनिया तथा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की कम सप्लाई की आंशिक पूर्ति के लिए अधिक सप्लाई की गई।

(ग) राज्य सरकार को आगामी खरीफ के मौसिम में सघन कृषि जिला कार्यक्रम तथा सघन कृषि क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों के लिए निम्न मात्राओं की अलाटमेंट पहले ही की जा चुकी है।

सल्फेट आफ अमोनिया .	16,250	मीटरी टन
यूरिया	42,055	,,
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट . .	438	,,
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट . .	1,500 .	,,

आगे सप्लाई त्रैमासिक आधार पर की जायेगी । यह सप्लाई करते समय समस्त देश की आवश्यकताओं तथा प्रत्येक त्रैमासिक अनुमानित उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए की जायेगी । 1965-66 में कुल उपलब्धि 1964-65 से अच्छी होने की सम्भावना है । इसलिये 1965-66 में मद्रास के लिए कोटे में वृद्धि की सम्भावना है ।

पर्यटन

3026. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को उद्योग के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). पर्यटन को उद्योग के रूप में मान्यता देने का कोई विचार नहीं है । चूंकि पर्यटन में विभिन्न व्यापार और उद्यम होते हैं इस लिये ऐसा करना मुश्किल है । यात्रा व्यापार के खंड जैसे होटल वाले और यात्रा ऐजेन्ट आवेदन करते रहे हैं कि उनका व्यापार निर्यात उद्योग के बराबर माना जाय क्योंकि यात्रा व्यापार के ये खंड भी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं । उनकी मुख्य मांग यह है कि उनको दी गई विदेशी मुद्रा में उदारता बरती जाये और वह उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की नियत्त प्रतिशत होनी चाहिये । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

Breeding of Horses at Hissar

3027. **Shri Yudhvir Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government had given any grant for producing a special breed of horses at Hissar Livestock Farm during 1963-64; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No.

(b) Does not arise.

National Highway No. 10

3028. **Shri Yudhvir Singh** : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :—

(a) whether there is a programme to widen the Delhi-Fazilka Road from Hissar to Fazilka on the National Highway No. 10, during this year;

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon; and

(c) when it will be commpleted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin) : (a) From Hissar (mile 102)to Fazilka (mile 252) the road has already been widened from 9′ to 12′ upto mile 194. From mile 194 to Fazilka the work of widening from 9′ to 12′ is in progress.

(b) Estimated expenditure on this work in the current financial year will be about Rs. 5,66,000/-.

(c) This work will be completed in about 1½ year's time.

Breed of Haryana Milch Cattle

3029. **Shri Yudhvir Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have under consideration any proposal to give financial assistance to Punjab to preserve and improve the breed of Haryana milch cattle and bullocks;

(b) if so the amount of financial assistance proposed to be given; and

(c) the reaction of the Punjab Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). A Centrally sponsored scheme for the reorganisation of Government Livestock Farm, Hissar at an estimated outlay of Rs. 1·38 crores has been taken up during the 3rd Five Year Plan. The scheme provides for the production of 600 good quality bulls of Haryana breed and 150 bulls of Tharparkar breed for meeting the requirements of Punjab and other States. The Central Government is meeting 50% of the non-recurring expenditure subject to a ceiling of Rs. 42 lakhs. A grant of Rs. 15·70 lakhs has been sanctioned for this scheme till the end of 1964—65.

Two more Centrally sponsored schemes for Progeny Testing of bulls and systematic improvement of village cattle and extension of herd registration to the important breed tracts and formation of breed societies with 100% Central financial assistance are in operation in Punjab. They are eventually meant to develop the Hariana breed cattle. A grant of Rs. 29·6 lakhs has been given so far for these Schemes.

Sugar Mills in Punjab

3030. **Shri Yudhvir Singh** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given their assent to the Government of Punjab to set up five new sugar mills there in the Fourth Plan period;

(b) if so, whether the said mills would be set up in private or in public sector;

(c) the locations of the said mills; and

(d) the reaction of the State Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

अवाणिज्यिक ईंधन के स्थान पर अन्य ईंधन का प्रयोग

3031. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सामुदायिक विकास खण्डों में गोबर तथा पेड़ पौधों के कूड़े एवं लकड़ी आदि अवाणिज्यिक ईंधन को बजाय साफ्ट कोक का प्रयोग कराने के लिये एक प्रारम्भिक परियोजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार ने गोबर तथा पेड़ पौधों के कूड़े एवं लकड़ी आदि अवाणिज्यिक ईंधन के बजाय साफ्ट कोक का प्रयोग कराने के लिये कोई प्रारम्भिक परियोजना नहीं बनाई है। तथापि, मद्रास राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि उपयुक्त क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर, गोबर तथा लकड़ी के बजाय साफ्ट कोक का प्रयोग लोकप्रिय बनाने की दिशा में परीक्षण करे। इस बारे में राज्य सरकार के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अहमदाबाद में डेरी

3032. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम को एक डेरी चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) यह वित्तीय सहायता किन शर्तों पर दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) 497,000 डालर (लगभग) 26 लाख रुपए ।

(ग) नगर निगम ज़रूरतमन्द बच्चों व दूध पिलाने वाली माताओं के लिए और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा सप्लाई किये गए उपकरणों के 1.5 गुणा मूल्य के बराबर सहाय्यप्राप्त आधार पर कम आय वाले कुछ चुने हुए परिवारों को कम चिकनाई वाला दूध सप्लाई करेगी। यह वितरण नगर निगम के उस नि:शुल्क दुग्ध वितरण कार्यक्रम के अतिरिक्त होगा जोकि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि संयंत्र की स्थापना से पहले शुरु किया गया था ।

चीनी के सहकारी कारखाने

3033. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में (राज्यवार) चीनी के कितने सहकारी कारखानों के लिये लाइसेंस दिये गये ;

(ख) 1964 में (राज्यवार) सहकारी क्षेत्र में चीनी के कितने कारखानों में उत्पादन आरम्भ हुआ ;

(ग) 1963 और 1964 सहकारी क्षेत्र में चीनी का कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) क्या 1965 में सहकारी क्षेत्र में चीनी की उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस देने का विचार है तथा इसमें से मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में कितनी-कितनी होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) शून्य ।

(ख) 1964–65 के पिराई सीज़न में दो सहकारी शर्करा कारखानों के उत्पादन का आरम्भ किया ।

(ग) 1962–63 और 1963–64 में सहकारी शर्करा कारखानों ने क्रमशः 4.8 लाख मीट्रिक टन 6.0 लाख मीट्रिक टन शर्करा का उत्पादन किया ।

(घ) जी, हां, लगभग 10 नये शर्करा कारखानों (अधिकांशतः सहकारी समितियों) को 1965 में लाइसेंस दिये जायेंगे । विभिन्न राज्यों में स्थान चुनने के मामले पर विचार हो रहा है ।

नलकूपों का अर्जन

3034. श्री हेमराज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा राजस्थान राज्यों में एक नलकूप को अर्जित करने पर कितनी लागत आती है ;

(ख) क्या शुरू के वर्षों के लिए इससे घाटा होता है ;

(ग) क्या पंजाब तथा राजस्थान सरकारें वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस काम को स्थगित कर रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अधिक तथा अच्छे कृषि उत्पादन के लिए उन्हें सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (घ). पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गैंडों का परिरक्षण

3035. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दुर्लभ तथा विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा गैंडों की नसल तेज़ी से समाप्त होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पशुओं की इस दुर्लभ नसल को बनाये रखने तथा इस पशु के शिकार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । सरकार को शिकायतें मिली हैं कि काजीरंगा वन्य प्राणी आश्रम-स्थल में शिकारियों द्वारा चोरी से गैंडों का शिकार किया जाता है । परन्तु काजीरंगा गैंडों की नसल की शीघ्र समाप्ति का कोई प्रश्न नहीं है ।

(ख) आसाम सरकार ने आसाम गैंडा सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गैंडों के शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा रखा है । आसाम सरकार ने चोरी से शिकार करने वालों की गतिविधियों को रोकने के लिए आश्रम-स्थल में गश्त के कार्यों को गतिमान कर दिया है । भारतीय वन्य प्राणी मण्डल की आगामी बैठक में इस विषय में विचार-विमर्श किया जायेगा ।

यंत्रीकृत सहकारी फार्म

3036. **श्री चन्द्रिकी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह दिखाने के लिये कि खेती के आधुनिक तरीकों से खाद्य उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है, देश में कुछ बड़े मंत्री कृत सहकारी फार्म बनाने का विचार कर रही है

(ख) क्या मैसूर सरकार ने रायचूर जिले में तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत ऐसा फार्म चालू करने सम्बन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार से विचार के लिये भेज भी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). हाल ही में तुंगभद्रा सलाहकार बोर्ड की बैठक में सहकारी फार्म चालू करने की एक योजना पर चर्चा की गई थी। राज्य सरकार के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

वनस्पति-रक्षा योजना

3037. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति-रक्षा योजना के अन्तर्गत 1964–65 में कितनी एकड़ भूमि में वनस्पति-रक्षा की गई ; और

(ख) क्या वनस्पति-रक्षा की कीटनाशक योजना को सारी कृषि योग्य भूमि पर लागू करने की कोई योजना तैयार की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) 1964–65 में देश के विभिन्न राज्यों में 375 लाख एकड़ भूमि में वनस्पति रक्षा सम्बन्धी कार्य किये गए।

(ख) जी हां। प्रस्ताव है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक समस्त कृषिगत क्षेत्र में वनस्पति रक्षा उपाय किये जायें। विस्तृत रूप से जानकारी देने वाला टिप्पण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4341/65]**

होटल मालिकों और ट्रेवल एजेन्टों का सम्मेलन

3038. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में श्रीनगर में होटल मालिकों, रेस्तरां मालिकों तथा ट्रेवल ऐजेन्टों का एक संयुक्त अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में पर्यटन के विकास के लिये क्या विचार व्यक्त किये गये और क्या सुझाव दिये गये ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां। सम्मेलन द्वारा पारित एक प्रस्ताव की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4342/65]**

(ख) और (ग). प्रस्ताव के सुझाव और टिप्पणी अभी प्राप्त हुये हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली में कृषि कालेज

3039. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक कृषि कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तथा प्रस्तावित कालेज की विशेषताएं क्या होंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). कुछ समय पहले गांव पंचायत जौन्ती ने दिल्ली के संघ क्षेत्र में एक कृषि कालिज की स्थापना के लिए लगभग 1600 बीघा भूमि देने की इच्छा प्रकट की थी। दिल्ली प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

कृषि शिक्षा

3040. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता करने की कोई व्यवस्था है जहां कृषि की शिक्षा दी जाती है तथा कृषि अनुसन्धान कार्य भी होता है ;

(ख) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं और क्या सरकार के पास ऐसी संस्थाओं के राज्यवार आंकड़े हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों में इन संस्थाओं को कितनी सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी कृषि कालिजों के स्थानों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4343/65।]**

(ग) विभिन्न संस्थाओं को बिल्डिंग, उपकरण और पुस्तकों जैसे मदों के लिए अनुदान दिये जाते हैं।

पश्चिमी तट सड़क पर पुल

3041. { **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पश्चिमी तट सड़क पर बनाये जाने वाले पुलों के क्या नाम हैं ;

(ख) 1965–66 में कौन-कौन से पुल बनाने का विचार है ; और

(ग) शेष पुलों का कार्य कब आरम्भ होगा और कब पूरा होगा ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

भैंसों के कटरों को कम दूध पिलाना

3042. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली व नई दिल्ली के शहरी क्षत्रों में डेरी वाले भैंसों के कटरों को भर पेट दूध नहीं पीने देते तथा जन्म लेने के लगभग एक महीने के अन्दर ही उन्हें भूखा मार देते हैं ;

(ख) दिल्ली में इन डेरी वालों के पास दूध देने वाली भैंसों के दो महीने से अधिक आयु के कितने कटरे हैं ; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इससे नस्ल की जो हानि हो रही है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है तथा इस अमानुषिक कार्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस विषय पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसा सर्वेक्षण कभी नहीं किया गया और इस मामले में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

Welfare of S.C. & S.T. in Maharashtra

3043. Shri D.S. Patil: Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the funds sanctioned by the Central Government to the Maharashtra State during 1963-64 and 1964-65 for the implementation of various schemes connected with the Welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes ;

(b) whether the amounts sanctioned for the said schemes were fully utilised every year ; and

(c) if not, the year-wise amount that was not utilised ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shrimati Chandrasekhar) : (a) to (c). The information is as follows :

(Rs. in lakhs.)

Category of Backward Classes	1963-64			1964-65		
	Outlay approved	Expenditure incurred	Amount unutilised	Outlay approved	Anticipated expenditure	Likely short fall
1. Scheduled Castes .	79·45	84·04	*..	110·44	105·95	4·49
2. Scheduled Tribes .	70·24	56·16	14·08	114·23	103·11	11·12
3. Other Backward Classes (including Denotified Tribes) . .	29·71	14·55	15·16	27·49	22·38	5·11

*There is an excess expenditure of Rs. 4·59 lakhs.

Alipur Development Block

3044. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Alipur Community Development Block was set up under the Delhi Community Development Scheme;

(b) whether it is also a fact that liberal facilities were provided by Government to this Development Block in the matter of sinking of wells and boring and sinking of tube-wells ;

(c) whether it is also a fact that Government have notified acquisition of 95,000 acres of land falling in the area of this Community Development Block under Section 4 of the Land Acquisition Act; and

(d) if so, the reasons for which this land is being acquired even after huge amounts have been spent by Government on this Development Block area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B.S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Since the inception of the block in 1952, up to 1964-65, a sum of Rs. 10,22,300 was advanced as loans to cultivators for various minor irrigation works, like sinking wells, tubewells, installation of pumping sets, etc.

(c) An area of 9,500 acres (nine thousand and five hundred acres) in Alipur Block has been notified for acquisition under the Land Acquisition Act.

(d) The acquisition is for the purpose of development of Narela town in the block which is one of the six towns to be developed according to the provisions of the Master Plan of Delhi.

उत्तर प्रदेश के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (एड) से गेहूं

3045. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय**: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन (एड) ने उत्तर प्रदेश को ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के लिये गेहूं देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा इस गेहूं की कुल मात्रा क्या होगी ; और

(ग) यह किन शर्तों पर दिया जायेगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग). इस योजना पर केन्द्रीय सरकार, अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन (यू० एस० एड) के प्राधिकारियों और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के बीच विचार विमर्श हो रहा है।

गोबर-गैस का उत्पादन

3046. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की दिल्ली के गांवों में दो परियोजनायें, अर्थात् गोबर गैस का उत्पादन तथा माल भर कर रखने के विशेष प्रकार के हवा-बन्द बारों की व्यवस्था, असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं । कई राज्यों में गोबर-गैस संयंत्र सफलतापूर्वक कार्य करते रहे हैं । देश के बहुत से भागों में ये संयंत्र कृषकों में लोकप्रिय हो रहे हैं । फिर भी, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान संयंत्र के डिज़ाइन तथा इसमें काम आने वाले औज़ारों में सुधार लाने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि एक औसत दर्जे के कृषक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सस्ते तथा अच्छे डिज़ाइन का विकास किया जा सके ।

हवा-बन्द स्टोरेज बिन्स भी लाभप्रद सिद्ध हुए हैं । ये बिन विशेषकर गांवों में छोटे कृषकों के लिए बड़े उपयुक्त हैं । कृषकों की ओर से इन बिनों की मांग बढ़ रही है और कृषक लोग इन बिनों की पूरी लागत देने को तैयार हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत-पूर्वी-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की सेना के जमाव के समाचार

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और मेरा अनरोध है कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

'भारत-पूर्वी-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की सेना के जमाव के समाचार'

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान ने अपनी सशस्त्र सेनाओं का जमाव भारत की सीमाओं पर कर रखा है । वह अपनी सीमा चौकियों को मजबूत कर रहा है, बंकर बना रहा है और खाईयां खोद रहा है ।

भारत पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर पाकिस्तान राइफल्स की देख-रेख है, जो कि एक अर्ध-सैनिक सेना है । इसके अतिरिक्त, पूर्वी पाकिस्तान में कुछ रिगुलर सेना की भी कुछ यूनिट तथा फोरमेशनस लगाई गई हैं । इनकी शक्ति अभी हाल ही में पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को सेना लाकर बढ़ा दी गई है । पूर्वी पाकिस्तान के अन्दर यूनिटों और फारमेशनों का संचारण भी ध्यान में आया है । संक्षेप में, पाकिस्तान ने अभी सीमा सेना को मजबूत कर लिया है और अन्य सैनिक कार्यवाहियों की गति भी बढ़ा दी है । सदन मुझ से यह आशा न करेगा कि मैं पाकिस्तान की सैन्य-शक्ति तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर जिन-जिन क्षेत्रों में वे लगाई गई हैं उसके बारे में मैं बतलाऊं ।

सरकार स्थिति का ध्यान-पूर्वक अध्ययन कर रही है और उसका मुकाबिला करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : May I know the number of our troops stationed there ?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि जलपाइगुड़ी, कूच बिहार, नदिया तथा 24 परगना जिले के आसपास पाकिस्तानी सेनाओं का भारी संख्या में जमाव है और उन्होंने कुछ हवाई अड्डों को खाली करवा दिया है और उन्हें असैनिक उपयोग के लिए बन्द कर दिया है और पाकिस्तानी सेनायें पश्चिम पाकिस्तान से समुद्री तथा हवाई मार्ग से पहुंच रही हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपने वक्तव्य में दे दिया है ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : क्या पाकिस्तानी सेनाओं के जमाव के समाचार का चुम्बी घाटी में चीनियों के पंक्तिवन्धन से किसी प्रकार कोई समन्वय है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वाभाविक तौर पर, हमें स्थिति का मूल्यांकन करते समय इन बातों पर विचार करना पड़ेगा ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : माउ-से-तुंग ने पूर्व में शोरगुल मचाकर पश्चिम में हमला करने की युद्ध नीति अपनाई है और ऐसा आभास होता है कि पाकिस्तान ने इसकी बिसकुल उल्टी प्रक्रिया अपनाई है । पाकिस्तान का रवैया पश्चिम में शोरगुल मचाकर पूर्व में हम पर हमला करने का रहता है । यही पाकिस्तान की नीति है । इस संदर्भ में, क्या मैं यह जान सकता हूं कि पाकिस्तान को हम अपने विभिन्न सीमान्त क्षेत्रों पर आक्रमण करने के पहल का अवसर न देकर, हम ही क्यों न उसके विभिन्न सीमान्त क्षत्रों पर पहले हमला कर दें जिससे कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा इस सभा को दिये गये इस आश्वासन की भी कार्यान्विति हो जायेगी कि हमारी सेना अपनी युद्ध-नीति स्वयं निश्चित करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मेरे विचार में, किस स्थिति में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इस बात का फैसला सरकार तथा सेना पर ही छोड़ देना अधिक बेहतर होगा ।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी विषय पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो और मंत्री महोदय उसके लिए तैयार हों, तब ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनका कहना है कि जो कुछ सम्भव था, वह बता दिया गया है एसी स्थिति में हमें उसी पर सन्तोष कर लेना चाहिए ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं के जमाव के लिए अपने 3 मील का सीमा क्षेत्र, जिसमें हिन्दू रहते हैं, खाली करवा दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि उन्होंने अपनी सैनिक कार्यवाहियों की गति भी बढ़ा दी है । हमारी यह धारणा बना लेना कि उन्होंने अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही किया है, उचित नहीं होगी किन्तु मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम स्थिति का बड़ी सावधानी से अवलोकन कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि इससे और अधिक विस्तृत विवरण देना मेरे लिये संभव भी नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : May I know whether Government are aware of the fact that while saving the lives of indus, 35 Mohammadans lost their lives during the last riots in East Pakistan; and the people of East Pakistan are of the view that West Pakistan is dominating them. I may further add that the people of East will not remain behind as and when any opportunity arises to give a severe and shocking blow to West Pakistan. In view of this fact may I know whether the hon. Minister proposes to liberate the people of East Pakistan even for a few days from the Yoke of West Pakistan ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझसे ऐसी आशा नहीं करते कि मैं इसका उत्तर दूं ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : May I know whether Government contemplate to apprise the United Nations, Russia and America or the Afro-Asian conference to be held in Algiers of the fact that Pakistan is an artificial nation founded by the British imperialists and there is no logic especially in forming East Bengal as a part of West Pakistan; and if so, whether they also propose to persuade the world to look into this aspect and take steps to remedy the situation ?

Mr. Speaker : I am very sorry to hear it what can I say about it except that we should not ask such questions as may be responsible for creating some misgivings and that the situation created by may possibly be exploited by somebody else. Similar views have also been expressed by a responsible Pakistani stating that India is developing economically whereas Pakistan is gaining military strength. There is also a small section of people who want to unite Pakistan and India by use of force. We are divided and we have accepted the partition of the country. We are two separate countries and as such we should not allow such ideas to create in our minds.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas)) : May I know whether Government propose to impart military training to the people all along our borders keeping in view a menace to our security and heavy concentration of enemy's troops on or near our borders ? May I also know whether Government propose to watch out seriously the spying activities by Pakistanis ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये कदम हमारी सीमान्त क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। इन पर विचार किया जा रहा है और कुछ कार्यान्वित भी किये जा चुके हैं।

Shri Bagri (Hissar) : May I know whether Government are contemplating to stop the flight of Pakistani Aircrafts from West Pakistan to East Pakistan over Indian territory. Keeping in view the fact that these flights are against the interest of our country and if not, the reasons therefor ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार को स्वाभाविक रूप से उचित अवसर पर निर्णय लेना होता है। हमने इस समय विशेष कर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। (**अन्तर्बाधायें**)

Shri Bagri : Sir, I want to make a submission.....

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : इस प्रकार की बातों से हमें कोई लाभ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? मंत्री महोदय को उत्तर देना है।

श्री रंगा (चिजूर) : या तो एक गुप्त अधिवेशन होना चाहिए अथवा सदस्यों को प्रतिरक्षा मंत्री या प्रधान मंत्री को अपने सुझाव यदि कोई हों, देते हुए पत्र लिखने चाहिए बजाये इसके कि वे यहां अपने भाव व्यक्त करें जिनके हम कोई निश्चित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को भी अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये। उन्हें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहियें।

श्री कपूर सिंह : सबको यह मालूम है कि हम एक इंच भी पाकिस्तानी क्षेत्र लेना नहीं चाहते और न ही हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा करना चाहते हैं। हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : हमें यह भी घोषणा करनी चाहिये कि हम एक इंच भी अपनी भूमि पाकिस्तान को नहीं देंगे। चाहे युद्ध हो या न हो, इसकी हमें परवाह नहीं।

Dr. Ram Manohar Lohia: Mr Speaker, we are more responsible in this matter than any other member here, hence you should not appeal to us about our responsibility. Our questions are motivated by our desire for peace in the world, in India and in Pakistan and that is possible only when both these countries form a confederation.

Shri Yudhvir Singh (Mohindergarh) : For the last one month or since Pakistan had attacked our territory, the people living in the border areas whether on this side or on the other side, are engaged in the espionage and the news appears in the newspapers also. Our countrymen are also pass on information tion to other countries. May we know whether the Government has apprehended such persons who pass on the information to the enemy camp, and their number ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सब सूचना देना कठिन है। मैं नहीं कह सकता कि हमने इस प्रकार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

Shri Bagri : If the Minister does not reply to such questions, what is the use of asking such questions ? On one hand, the Country is attacked and the questions are asked but.....

Mr. Speaker : Shri Bagri should resume his seat.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): As the Minister had stated that there is concentration of armies on the East Pakistan border, whether the Government have received any information about the American arms there, as they were used in the Runn of Kutch, and if they are used what would we do ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक हमें मालूम है, पाकिस्तान के पास जो लड़ने के हथियार हैं, वे अधिकतर अमरीका के हैं। अतः यदि उसकी सेनायें वहां हैं तो स्वभावतः हथियार भी होंगे। किन्तु मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, यह मेरा अनुमान है।

Mr. Speaker : If they use these weapons, thereafter we shall see what to do. We cannot tell that.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या यह सच है कि पूर्व-पाकिस्तान-आसाम सीमाक्षेत्र में जो पाकिस्तानी सेनाएं हैं उन्हें केवल अन्सार जैसे संगठनों का ही समर्थन नहीं अपितु भारत में बसने वाले तोड़ फोड़ करने वाले बहुत से लोगों का भी समर्थन प्राप्त है ? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: वे अपने लोगों को, जिसमें गैर-सैनिक लोग भी शामिल हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम भी कुछ सीमान्त क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : पूर्व-पाकिस्तान–पश्चिम बंगाल सीमान्त क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी तक भी सीमान्त पुलिस पर ही है। यही स्थिति कच्छ के रन में भी थी। क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि सीमान्त क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमान्त पुलिस बल पर न छोड़ कर उसे सेना को सौंप दिया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रही है उसका मुकाबला करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है।

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : चूंकि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है, और पाकिस्तान की अमरीका तथा इंग्लैंड के साथ सैनिक सन्धि है और इस कारण हम पाकिस्तान के इन पश्चिमी

मित्र-देशों से कोई सैनिक मदद की आशा नहीं कर सकते और दूसरी ओर चीन ने हम पर पहले ही आक्रमण किया है और अब भी खतरा बना हुआ है और रूस और चीन का आपस में सैनिक गठबन्धन है और वे एक दूसरे के भाई भी हैं, तो क्या कोई एसा देश भी है जिससे हमारी सरकार आवश्यकता के समय कोई सैनिक सहायता मिलने की आशा कर सकती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस वक्त हमें इंगलैंड, अमरीका तथा रूस से सहायता मिल रही है। हमें यह मान लेना चाहिये कि बाद में भी हमें एसी ही सहायता मिलती रहेगी--किन्तु फिर भी किस स्थिति में क्या होगा, इस बारे में कोई ठोस धारणा नहीं बनाई जा सकती।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़ उत्तर) : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेनाओं को सुपरसोनिक विमानों में भारतीय राज्यक्षेत्र में से होकर पूर्व-पाकिस्तान ले जाया जा रहा है ? यदि यह सच है, तो सरकार ने विरोधपत्र भजने के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : कच्छ में हमारे युद्ध-विराम की मौन स्वीकृति को लन्दन के "संडे टाइम्स" शान्ति की इच्छा का द्योतक बता कर उसे हमारी तैयारी का अभाव तथा कमजोरी का कारण बताया है। हमारे प्रति तिरस्कार एवं अपमानजनक भावना प्रकट किये जाने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न प्रभाव को दूर करने तथा हमारे विरुद्ध किये जा रहे एसे प्रचार का खण्डन करने तथा संसद को दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पहली बात तो यह है कि हमारे विरुद्ध जो यह जान बूझ कर एसा झूठा प्रचार किया जा रहा है उसकी हमारे मित्र देशों पर कोई असर नहीं पड़ा है। वास्त-विकता तो यह है कि हमारी सेनायें बड़ी बहादुरी से लड़ रही हैं और भविष्य में भी लड़ती रहेंगी।

जहां तक शान्ति सम्बन्धी प्रयत्न का सम्बन्ध है, हमारी इस नीति का स्वागत हुआ है, और शान्ति के लिये प्रयत्न करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। निस्संदेह, कोई भी युद्ध-विराम सम्बन्धी प्रस्ताव अथवा समझौता तभी स्वीकार किया जायेगा जब कि, जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने साफ़-साफ़ तौर पर बताया है, वह हमारे देश के प्रतिष्ठा तथा सम्मान के अनुकूल होगा। अन्त में, सरकार संसद को दिये गये वचन को निभाने के लिये कटिबद्ध है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार को गुप्त वार्ता विभाग से कोई इस आशय का प्रतिवेदन भी मिला है जिसमें यह बताया गया हो कि हाल ही में चीनी अफसरों तथा तकनीकी लोगों ने पश्चिम बंगाल--पूर्व पाकिस्तान सीमाक्षेत्र का दौरा और निरीक्षण किया है और वे अब भी सीमा के आस पास सैनिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थानों पर लुके छिपे तौर पर काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षत्र में चीन तथा पाकिस्तान के संयुक्त खतरे का विशिष्ट मूल्यांकन किया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जेसा मैंने कहा सम्भाव्य स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। चीनी सेना के कुछ विशेषज्ञों को केवल पूर्व-पाकिस्तान में ही नहीं अपितु पश्चिम पाकिस्तान में भी देखा गया है। इसके राजनैतिक परिणाम होते हुए भी मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अधिक महत्व नहीं देता। किन्तु यदि ये दोनों देश मिल कर भी भारत के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का निर्णय करें तो भी हम उनका मुकाबला डटकर करेंगे।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी): भारत में स्थित उन विदेशी सम्बाददाताओं पर जिन्हें देश के सैनिक शक्ति का वास्तविक ज्ञान नहीं है और जो विदेशों को गलत समाचार भेज कर हमारे देश का गलत चित्रांकन करते हैं रोक लगाने के लिए सरकार क्या सक्रिय कदम उठा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण जहां तक मुझे जानकारी है कराची की ओर से विदेशी सम्बाददाताओं ने ऐसे गलत समाचार भेजे हैं। कुछ लोग भारत के बारे में गलत प्रचार करने पर तुले हुए हैं किन्तु हमें उनके इस नीति का शिकार नहीं बनना चाहिये।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : क्या सरकार का कचार-ग्वालपाड़ा सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाले विशेष कर बहुसंख्यक समुदायों को वहां से हटा कर अन्य स्थानों पर बसाने का विचार है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण हम ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहते जिससे कि हमारे लोगों में आतंक की भावना फैल जाए किन्तु देश की रक्षा के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सभी कदम उठाये जायेंगे और उठाये जा रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): It is stated that Pakistan has intensified her military activities in Kutch. Yesterday the Defence Minister told us that incidents are on the verge of increase in Jammu and Kashmir. Now he has informed us about East Pakistan. Probably be may make similar statement on incidents at Lahore and Amritsar tomorrow or day after. May I know whether our Defence Minister will go on making unhappy statements on the floor of the Lok Sabha or he will give us any opportunity to hear him some happy news also in not too-distant future ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी के सुझाव को ध्यान में रख लिया है ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICES AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT (QUERY)

श्री दाजी (इन्दौर) : मैंने जमशेदपुर के कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना भेजी है। चूंकि दिल्ली की कोई विधान सभा नहीं है इसलिये संसद् में ही इस मामले को उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। उन्हें इसे इस प्रकार उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या हम आपसे आपके कमरे में जा कर इस बारे में बातचीत कर सकते हैं ? क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। काफी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं एक चीज का माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have given calling attention notices and adjournment motions on several important matters, but you have been disallowing them one after the other. These are matters of national importance. Either you should read them out in the House and then leave the decision to the House or bring them here after exercising your discretion so that a full discussion may take place on them.

Shri Bagri (Hissar): Kindly hear me also. It is an important issue. I do not take pleasure in creating an unpleasant situation for you. I have risen to voice something in the hope that through this House it may reach the public and thus do some good to the country.

I want to tell this a House that in the name of foodgrains Government have robbed the farmers of Punjab of foodgrains worth hundreds of lakhs of rupees in a matter of only 3 or 4 days. Perhaps such raids have not been launched even by notorious dacoits.

Mr. Speaker: I am sorry to repeat it here again and again that if hon. Members will try to raise these issues in this manner, then it would be impossible for me to answer the 30-40 notices which are received daily. When senior Members try to raise these matters by standing all of a sudden, it is very difficult to control the other Members. If I have to answer every notice, then it would consume about 2 or 2 1/2 hours daily. I have no objection if the House wants to decide each of these notices. I shall place every such notice before the House and the House.....

Shri Madhu Limaye: There is no question of an old or a new Member. These are matters of national importance and they should be allowed or disallowed. I do not want to say anything against you but we should not be neglected. After all, what for have we been elected to this House?

Shri Bagri: What is the meaning of senior or junior?

Mr. Speaker: You are also senior in my eyes, because you are also a leader of a group. But there is a limit to tolerance and he should not stand up like this again and again.

I repeat it once again that I cannot answer every notice here in this House. It is impossible. If any hon. Member feels dissatisfied at my decision, he can speak to me in my chamber or he can write to me. I am ready to reconsider my decision and I have done so several times. I have no objection if according to Shri Madhu Limaye the matter is allowed to be placed before the House and if it is also left to the House to allow or disallow it.

Some Hon. Members: No. No.

Mr. Speaker: If the opposition alone supports this demand, even then I am prepared to act likewise. We shall take decisions by voting.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : यह हमारी मांग नहीं है।

Shri Bagri: I am not saying that the opposition as a whole is with us on this issue. I have said that whatever notices etc. are received should be read out in the House.

Mr. Speaker: It is also impossible for me to read them out here. I have time and again said that once a decision is taken, it should not be made a routine to raise the issue every day. It is not advisable that it is continually raised here and I go on repeating the same reply. If in the opinion of any Member the matter, he gave notice of is of far greater importance, he can write to me in case he does not want to speak to me personally. I shall certainly reconsider my decision and if necessary, I shall take it up. But if one starts speaking like that, I am not prepared to hear him.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम की धारा 38 के अधीन अधिसूचनाएं

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 38 की उप धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण (नालबन्दों को लाइसेंस देना) नियम 1965 जो दिनांक 3 अप्रैल 1965 की अधिसूचना संख्या ऐस० ओ० 1043 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारवाही तथा लद्दू पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण नियम 1965 जो दिनांक 3 अप्रैल 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1044 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4335/65]**

अधीनस्थविधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION.

कार्यवाही-सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

चौथा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

आठवां प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं सरकारी उपक्रमों की बस्तियों तथा कारखानों के भवनों के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

कच्छ-सिंध सीमा की स्थिति के बारे में

RE: SITUATION ON KUTCH SIND BORDER

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : चूंकि समाचार-पत्रों में कच्छ-सिंध सीमा के बारे में परस्पर विरोधी समाचार पढ़ने को मिलते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि वित्त विधेयक पर चर्चा पुनः आरम्भ होने से पहले प्रधान मंत्री कच्छ-सिंध सीमा की वर्तमान स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय प्रधान मंत्री पर ही निर्भर करता है कि वह ऐसा वक्तव्य देना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कुछ समय पहले आपने कहा था कि किसी पार्टी को वक्ताओं की सूची देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु मुझे पता लगा है कि कल आपको वक्ताओं की सूचियां भेजी गई थीं और आप उनके आधार पर ही सदस्यों को बोलने के लिए कह रहे हैं। क्या यह सब सही है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि मुझे सूचियों की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था कि मेरा ध्यान आकर्षित करने वाले को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जायेगी। सूचियां भेजी जानी चाहिये और उनसे सहायता भी मिलती है।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि प्रधान मंत्री आज बाद में वक्तव्य देना चाहते हैं तो हमें बता दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी कोई बात होगी तो सभा को सूचना दे दी जायेगी।

वित्त विधेयक, 1965 (जारी)

FINANCE BILL, 1965—*contd.*

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): It cannot be believed that the monied men are so simple and straightforward as to declare their hidden incomes voluntarily. It is, therefore, necessary to strengthen the machinery of the Government so that the raiding parties are able to do their job well and unearth black money.

[Shri J. P. Jyotishi]

Severe punishment should be given to those who are caught, for they have been doing something which is grossly anti-national. The persons helping in the detection of much anti-national elements should be rewarded suitably.

One chartered accountant should not be allowed to examine the accounts of a firm for more than a year at a stretch. Government should take upon themselves the duty of assigning firms to chartered accountants and if some irregularity is discovered in accounting, the accountant concerned should be blacklisted and his recognition revoked.

Side by side with our engagement in the task of national construction we are faced with grave danger on our borders. It is therefore of peramount importance that production goes on unhampered . Labour management committees should be formed so that industrial disputes are settled without any recourse to agitations and the consequent adverse effect on production.

The concessions granted to foreign investors in our country in respect of setting up of new industries are unjustified and are not in the interest of our country. We have to be cautious and careful in this regard. Otherwise it would weaken the country through drainage of our wealth to foreign countries and our dependence on foreign technicians.

The ravines of Chambal should be reclaimed and made cultivable. The land so reclaimed can be sold through a corporation to the intending cultivators. Lakhs of acres of land is lying unused in the country. It should be distributed among landless persons.

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho): At a time when we are facing grave danger on our borders, we should spend more and more money on projects of strategic importance such as transport and communications which are essential for the mobility of our armed forces. We should not mind if we have to curtail our other developmental expenditure to pursue these projects. For the next three or four years, all our efforts and reasons should be directed towards our defence preparedness.

In the matter of foodgrains we should give up our dependence on imports under P.L.—480. We should make all-out efforts to become self-sufficient so far as our foodgrains requirements are concerned. The prosperity of our nation depends on the development of agriculture in the country. It would go a long way in increasing our food production if the Chambal ravines are reclaimed and sold out to the intending cultivators.

Our educational system should be so reoriented that the students learn the diginity of labour and they are given training in different vocations. The Aligarh Muslim University should be raid of Pakistani elements.

Controls imposed on foodgrain movements should be lifted and there should be a parity in the foodgrains prices throughout the country. The freight charges incurred on the movement of foodgrains to long distances should be borne by Government.

Cooperative farming is not getting a fillip because of the fear lurking in the minds of farmers that they will lose their lands. If they are assured that they are free to withdraw from the cooperatives when they like, cooperative farming will get a good response from the farmers of the country.

India is the most heavily indebted country in the world. In 1965-66, we will be incurring debts to the tune of Rs. 2763·80 crores and our total debts will amount to Rs. 7841·58 crores. As at present we have to pay Rs. 436 crores as interest alone per year. It is an extremely disturbing factor. We should go on reducing this debt in future and should ultimately give up our dependence on foreign loans.

Allopathic hospitals are costly to set up. We should, therefore, concentrate our efforts on the opening of ayurvedic dispensaries in the villages.

Banks should be nationalised so that their resources can also be used for the promotion of agriculture.

Madhya Pradesh is a very backward State. One-third of its population consists of Adivasis who are yet to be initiated into modern civilisation. For the planned development of this State, a sum of at least Rs. 800 crores should be allocated to it. This State is also infested with dacoits. The task of ridding this State of the dacoit menace should be taken over by the Centre. Since power is easily available there, emphasis should be laid on sinking of tubewells while promoting small irrigation schemes in that State.

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : हमें विदेशी पूंजी तथा विदेशी तकनीकी जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करना चाहिये। इसकी बजाय हमें भारतीय टेक्नोलोजी को हर संभव प्रोत्साहन देना चाहिये। विदेशी सहयोग कर्ता विदेशी तकनीकी व्यक्तियों को काम पर रखते हैं और वे विदेशी तकनीकी जानकारी इतनी जल्दी हमारे लोगों को नहीं दे पाते जितनी जल्दी हम चाहते हैं। श्री माइकेल किड्रोन ने भारतीय टेक्नोलोजी तथा भारतीय उद्योगों की प्रगति की जांच करने के लिये सारे भारत का दौरा किया है। उन्होंने एक पत्रिका में छपे अपने लेख में कहा है कि लगभग सभी ऐसे कारखानों में जिन में विदेशी सहयोजकों का अंश पूंजी में काफी बड़ा हाथ है नये उपकरण बेकार पड़े पाये गये। यह एक बहुत ही गम्भीर बात है और इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। भारतीय अंशधारियों के विदेशी तकनीकी जानकारी के मामले में विदेशी सहयोग पर निर्भर होने के कारण वे विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को बहुत अधिक वेतन देने में कोई आनाकानी नहीं करते। भारत सरकार भी इस नीति को प्रोत्साहन देती है। इस से हमारे प्रतिभाशाली युवकों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे यहां प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी नहीं है परन्तु उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। कारण यह है कि हम बहुत ही जल्दी उद्योगों का विकास करना चाहते हैं और इस लिये विदेशी सहयोग तथा विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर करना जरूरी हो जाता है। ऐसी प्रवृत्ति समाप्त की जानी चाहिये।

एकस्व विदेशियों के हाथ में होने के कारण वे मनमाना लाभ भारत से बाहर ले जा र हे हैं। न केवल सोवियत संघ ने बल्कि अनेक पूंजीपति देशों ने भी एकस्व प्रणाली समाप्त कर दी है तथा खोज के दौरान जो भी तरीके मिले उनका प्रयोग किया है।

ऐसा सुना जाता है कि आसाम में तेल की खोज के मामले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आसाम आयल कम्पनी की सी तत्परता तथा संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है। यह शत प्रतिशत सही नहीं है। आसाम आयल कम्पनी लगभग 70 वर्ष से भारत में काम कर रही है परन्तु वह अभी तक हमें 27.5 लाख अथवा 30 लाख टन से अधिक तेल देने की स्थिति में नहीं हुई है। इस के विपरीत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम में तेल की खोज का काम केवल 1958

[श्री के०दे० मालवीय]

में ही हाथ में लिया है और वह भी चीनी आक्रमण के कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया था, परन्तु फिर भी वह जल्दी ही आसाम आयल कम्पनी से भी अधिक तेल पैदा करने लगेगा । आसाम आयल कम्पनी तो मुख्यतया लाभ की दृष्टि से ही कार्य करती है और उसकी अधिक तेल पैदा करने में अधिक रुचि नहीं है । मेरी राय में अब समय आ गया है जब कि भारत सरकार को आयल इंडिया लिमिटेड के काम करने के ढंग को नया रूप देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये । यदि सरकार समझती है कि आयल इंडिया लिमिटेड पर्याप्त तत्परता से काम नहीं कर रही है तो उन पर दबाव डाला जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो सरकार को आयल इंडिया लिमिटेड को पूर्णतया अपने हाथ में ले लेना चाहिये । अभी तक भारत सरकार ने इसके निदेशक बोर्ड पर अपना कोई विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया है । उसे तुरन्त नियुक्त किया जाना चाहिये ।

हमारी पेट्रोलियम की मांग आगामी वर्षों में इतनी अधिक बढ़ने वाली नहीं है जितनी कि विदेशी तेल कम्पनियां आशाएं लगाये बैठी हैं । क्योंकि ऐसी तस्वीर पेश कर के वे अपनी तेल शोधन शाला का विस्तार करना चाहती हैं । सरकार को इस सम्बन्ध में बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिये और अपने को सरकारी तेल शोधनशालाओं की क्षमता बढ़ाने तक ही सीमित रखना चाहिये । नई शोधनशालाएं तभी स्थापित की जानी चाहियें जब अधिक तेल मिलने की आशा हो ।

लक्वा तथा गुजरात के कुछ अन्य क्षेत्रों में तेल के मिलने से कोयली तथा बारोनी शोधन-शालाओं की क्षमता बढ़ाई जा सकती है । हल्दिया में तेल शोधनशाला स्थापित करने के मामले में हमें अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये क्योंकि इसके लिये हमें आयात किये गये कच्चे तेल पर निर्भर करना पड़ेगा क्योंकि आसाम के तेल को हल्दिया ले जाने में बहुत खर्चा आयेगा और वह बहुत मंहगा पड़ेगा ।

विदेशी तेल कम्पनियां अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती हैं । यदि कोई लाभप्रद प्रस्ताव आता है तो उस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिये । परन्तु बम्बई तेल शोधनशाला को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति देना सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के हित में नहीं होगा क्योंकि बम्बई क्षेत्र की तेल की मांग की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है और इस अतिरिक्त तेल को खपाने के लिये हमारे दूर-दूर के स्थानों को इसे ले जाना होगा ।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है हम ने बीते काल में कुछ एकस्वों को न खरीद कर बड़ी गलती की है । हमें गैस एमोनिया प्रक्रिया अथवा नवीनतम गैस आक्सीजनीकरण प्रक्रिया खरीद लेनी चाहिये थी । मुझ बताया गया है कि हमारा उर्वरक निगम गैस एमोनिया संयंत्र लगाने की स्थिति में नहीं है । हम इसे रायल्टी आदि देकर बाहर से खरीद सकते हैं जो दो या तीन वर्षों में दी जा सकती है । बाद में हम स्वयं अपनी प्रक्रिया तथा डिजाइन तैयार कर सकते हैं । हमें अपने देश में सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों का उत्पादन आरम्भ करने की दिशा में कदम उठाने चाहियें, चाहे ऐसा करने में कुछ विलम्ब ही क्यों न हों जाये । हमें उर्वरकों के लिये विदेशी कम्पनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये ।

श्री अल्वारेस (पंजिम): हम चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने जा रहे हैं । इसलिये यह उचित ही होता यदि आयव्ययक तथा वित्त विधेयक में यह संकेत दिया होता कि चौथी योजना किस प्रकार आरम्भ की जायेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

बजट व्यय का प्रत्येक वर्ष के लिये योजना की कार्यान्विति से संबंध जोड़ा जाना चाहिये ताकि हम अपने लक्ष्यों में न पिछड़ सकें और हमें समय से पहले योजना की प्रगति का मूल्यांकन न करना पड़े । यदि वित्त विधेयक अधिक उत्पादन, उद्योगों का विभिन्न दिशाओं में फैलाव, एकाधिकार की प्रवृत्तियों को समाप्त करने तथा समाजवादी समता के सिद्धान्त को पूरा नहीं करता तो वह कई वर्ष पहले इस सभा में की गई समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की प्रतिज्ञा के प्रति न्याय करने में असफल रहता है । इस विधेयक में तीन धारणाएं अपनाई गई हैं और वे सभी युक्तियुक्त नहीं ठहराई जा सकतीं।

पहली धारणा चोर बाजारी करने वालों से छिपे धन की घोषणा के लिये की गई अपील की सफलता के बारे में है । परन्तु पहले तीन महीनों के आंकड़ों से यह सिद्ध हो गया है कि यह अपील सफल सिद्ध नहीं हुई है । दूसरी धारणा यह है कि कच्चे माल के आयात मूल्य का तथा निर्मित सामान के मूल्य के बीच लाभ कमाने की बहुत अधिक गुंजाइश है और उसे कम किया जाना चाहिये । परन्तु हम पूर्णतः लाभ प्रेरित अर्थ-व्यवस्था का सामना कर रहे हैं जिस में सामाजिक विचारों तथा उत्पादन के विचारों के लिये कोई स्थान नहीं है इसलिये इस सम्बन्ध में जो भी उपाय किये गये हैं अथवा रियायतें दी गई हैं उन के कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते।

औद्योगिक उत्पादन 1963 में 9.4 प्रतिशत से कम होकर 1964 में 6.7 प्रतिशत रह गया है और इसी अवधि में कृषि उत्पादन केवल तीन प्वायंट ही बढ़ा है अर्थात् 137 से बढ़ कर 140 हो गया है । औद्योगिक उत्पादन में कमी जान बूझ कर की गई है क्योंकि देश में कुछ लोग अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं और यही औद्योगिक उत्पादन में हुई कमी का कारण है । कृषि उत्पादन भी वास्तव में एक प्वायंट ही बढ़ा है क्योंकि दो प्वायंट की वृद्धि पहले से अधिक क्षेत्र में की गई भूमि के कारण हुई है ।

वित्त मंत्री यह निश्चय नहीं कर सके हैं कि देश में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाये। हमारी मांग उत्पादन से बहुत अधिक है । इसलिये वित्त विधेयक में ऐसे उपायों का उल्लेख होना चाहिये जिस से उत्पादन बढ़ सके और वितरण व्यवस्था में सुधार हो सके। काफी वर्षों से वस्त्र उद्योग के केन्द्रीकृत क्षेत्र में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इसके विपरीत विकेन्द्रीकृत क्षेत्र अर्थात् शक्तिचालित करघों, खादी तथा हथकरघों के क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । परन्तु यह खेद का विषय है कि उन्हें प्रोत्साहन देने को बजाय मन्त्री महोदय ने उन पर तीन प्रकार के बन्धन लगा दिये हैं जिनकी कतई आवश्यकता नहीं थी । उदाहरण के लिये चार करघों से कम वालों पर 25 रुपये का पंजीयन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये था। जहां तक शक्ति-चालित करघों का संबंध है सरकार को अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहियें।

अब तक जितने भी बजट प्रस्ताव पेश किये गये हैं उन सब से एकाधिकार की प्रवृत्ति को बल मिला है। कुछ समय पहले पूंजी को विभिन्न दिशाओं में लगाने तथा इस प्रकार कम पूंजी वाले लोगों को देश की अर्थ व्यवस्था में अधिक हिस्सा देने के लिये प्रयत्न किये गये थे।

[श्री अल्वारिस]

परन्तु यह एक विचित्र बात है कि वे प्रयत्न सफल नहीं हुए । आजकल कम पूंजी वाले लोग आगे आना लाभप्रद नहीं समझते । हां, सरकार ने यूनिट ट्रस्ट तथा छोटी बचत योजनाएं चालू कर के तथा बैंक दर बढ़ा कर एक अच्छा कदम उठाया है । इस से कम पूंजी वालों को अंशों के रूप में लगी अपनी पूंजी निकालने तथा उसे यूनिट ट्रस्ट आदि में लगाने के लिये प्रोत्साहन मिला है :

परन्तु हमें यह भी देखना है कि दूसरी ओर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है । भारतीय औद्योगिक ऋण तथा बिनियोग निगम ने गत वर्ष 134 करोड़ रुपये के न खरीदे गये अंशों में से 122 करोड़ रुपये के अंश खरीदने का जिम्मा लिया है । यह निगम बड़े बड़े उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों द्वारा चलाया जाता है और उन पर ऐसा करने के लिये दबाव डाला गया है । इस से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है क्योंकि इस प्रकार उन बड़ो कम्पनियों के ही संस्थापक गुमराह करने वाले इस तरीके से सारे अंश खरीद लेते हैं ।

भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी सहयोगियों को भारत में अपना सहयोगी चुनने के लिये एक आशय पत्र देने का फैसला किया है । इस से भी देश में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा क्योंकि विदेशी सहयोगी किसी बड़े पूंजीपति को ही अपना सहयोगी चुनेगा ।

सरकार ने ऊंची दर पर धन उपलब्ध कराने की जो नीति अपनाई है उस से अवश्य ही लाभ होगा । सरकार को दबाव के बावजूद भी इस मामले में झुकना नहीं चाहिये । उसे दर में कमी तभी करनी चाहिये जब उसे यह विश्वास हो जाये कि औद्योगिक वस्तुओं की निर्माण लागत उचित सीमा के अन्दर रखी गई है ।

हमारी अर्थ-व्यवस्था प्रगतिशील है क्योंकि करों से सरकार की आय बढ़ती ही जा रही है । इसलिये बाहर से पूंजी मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है । विदेशी विनियोजक का भारत में पूंजी लगाने का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना ही है । यदि उसे लाभ नहीं होगा तो वह यहां पर पैसा लगाने के लिये आगे नहीं आयेगा । रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि विदेशी विनियोजकों को होने वाले लाभ में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । इसलिये उन्हें आशय पत्र देना किसी तरह भी उचित नहीं ठहराया जा सकता । इस के विपरीत हमें भारतीय विनियोजकों को हर संभव प्रोत्साहन देना चाहिये ।

कोई भी समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतया संतोषजनक नहीं कही जा सकती जब तक कि वह बड़ी आय वालों की आय कम करने तथा गरीबों की आय बढ़ाने की दिशा में अग्रसर नहीं होती । इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में निजी कर में इतनी अधिक राहत देना उचित नहीं है ।

इस आय व्ययक को गरीबों का आय ययक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वित्त विधेयक को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबी इस देश की कोई समस्या ही नहीं है ।

श्री फिरोडिया (अहमदनगर): आय व्ययक पेश किए जाने के दो महीने के पश्चात् भी मूल्य कम नहीं हुए हैं चाहे वह कृषि क्षेत्र हो अथवा औद्योगिक क्षेत्र । इसके विपरीत

मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है । आयातित गेहूं के दाम बढ़ाये जाने का सब से अधिक प्रभाव जनसाधारण पर पड़ा है। यह कहा जाता है कि शेयर मार्केट से विनियोजन की स्थिति आंकी जा सकती है । शेयर मार्केट को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । आगे आने वाली कम्पनियों की हालत भी कोई संतोषजनक नहीं रही है । क्योंकि पिछले वर्ष नई कम्पनियों के 84 प्रतिशत अंश सरकारी उपक्रमों द्वारा खरीदे गये । कर छूट प्रमाणपत्रों में रियायत के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को 35,000 रुपये के अंश खरीदने पर 3.5 प्रतिशत के बराबर लाभ होगा । परन्तु जब बैंकों ने जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ा कर 7 अथवा 7.5 प्रतिशत कर दी है तो हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वह नये समवायों में अपना पैसा लगाये जिस पर उसे केवल 3.5 प्रतिशत लाभ होगा । यह बात भी एक अच्छी अर्थ-व्यवस्था का परिचायक नहीं है कि सरकार इस प्रकार विनियोग बाजार को प्रोत्साहन दे। यह एक अच्छी बात है कि वित्त विधेयक में कुछ ऐसे उद्योग शामिल किये गये हैं जिन से कृषि अर्थ-व्यवस्था को सहायता मिलेगी।

केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही काफी नहीं है । अपितु एक ऐसा संगठन भी होना चाहिये जो यह देखें कि आया वास्तव में लक्ष्य पूरे किये गये हैं अथवा नहीं ।

जहां तक किसी कार्य के लिये रखी गई राशि का संबंध है, उसे 31 मार्च को व्यपगत नहीं होने दिया जाना चाहिये । इसकी बजाय उसे आगामी वर्ष की राशि में शामिल कर दिया जाना चाहिये और विभाग को 31 मार्च के पश्चात् भी उस से सामान आदि खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये। क्योंकि अब यह होता है कि सभी विभाग मार्च के महीने में सामान खरीदने के लिये मजबूर हो जाते हैं और इस से इस्पात, सीमेंट आदि आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है ।

बहुत कम संयुक्त स्कन्ध बैंक देश में कृषि परियोजनाओं की सहायता के लिये आगे आए हैं। जहां नदी घाटी योजनाओं जैसी बड़ी परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाना है वहां पर कृषि पुनर्वित्त निगम को अपने कर्मचारी भेजने चाहियें क्योंकि परियोजनाओं को पूरा करने से पहले उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। तभी यह निगम इस देश के किसानों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई उद्योग नहीं है सहकारी संस्थाएं बनाई जा रही हैं। हम कृषि तथा उद्योग दोनों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यदि इन सहकारी संस्थाओं से चीनी मिलों अथवा कताई मिलों आदि में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी से प्राप्त होने वाले लाभ को कर के रूप में छीन लिया जायेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकेंगे। इसलिये इस पहलू को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10–20 वर्षों तक जब तक कि वहां पर काफी संख्या में उद्योग स्थापित न हो जायें सहकारी संस्थाओं पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये। वास्तव में आयकर अधिकारी कई बार सहकारी क्षेत्र पर आयकर लगाते समय ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं जो कि सरकारी नीति के अनुरूप नहीं होता है। मैं आपके समक्ष एक दृष्टांत रखूंगा। 1950 में आरम्भ किये गये सहकारी चीनी कारखानों के बारे में किसानों को गन्ने का मूल्य अधिक से अधिक दिया जाता था जितना कि वार्षिक मुनाफे में से देना सम्भव होता था। आयकर अधिकारी ने इस का अपवाद किया। राज्य सरकारें पिछले 5-6 वर्षों से किसानों को न्यूनतम मूल्य दे रही हैं और आयकर अधिकारी ने न्यूनतम मूल्य को आधार मान कर जो अधिक राशि ली गई थी उसे सहकारी कारखाने के लाभ में जोड़ कर उस पर कर ले लिया था। उन्होंने परिवहन भाड़े

[श्री फिरोजिया]

अथवा खेत के निरीक्षण पर किये गये खर्च पर भी छूट नहीं दी, जोकि सहकारी क्षेत्र में अच्छी और समय पर फसल तैयार करने में बहुत आवश्यक है। यद्यपि हम कहते हैं कि हम सहकारी क्षेत्र की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप में सहकारी क्षेत्र पर संयुक्त स्कन्ध क्षेत्र की तरह कर लगाया जाता है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि सहकारिता के इन सिद्धांतों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये।

अब-मैं आयात नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और वह यह है कि आयात के बारे में अपनाई जाने वाली नीति की घोषणा सामान्यता अप्रैल के अन्त में अथवा मई मास में कर दी जाती है परन्तु इस बार अभी तक इस की घोषणा नहीं की गई। उद्योगपतियों के पास आगामी तीन अथवा 4 मास के लिये कच्चे माल का स्टाक बहुत कम है और वे उत्पादन के सम्बन्ध में अपना कार्यक्रम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनको आयात नीति का कुछ ज्ञान नहीं है। अत: सरकार को आयात नीति की घोषणा तुरन्त करनी चाहिये।

खाद्यान्नों के जमा करने की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है इससे 15 प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। हमें इस बारे में सुधार करना चाहिये जिससे हमें खाद्यान्न का आयात कम करना पड़े और हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ बने।

उद्योगपतियों को उद्योगों के लिए स्टेट बैंक, आई० सी० आई० सी० आई० तथा आई० एफ० सी० द्वारा जो ऋण दिये जाते हैं उनकी मंजूरी देने में बहुत समय लगा दिया जाता है जिससे उद्योगपतियों को काफी असुविधा होती है और जिसके फलस्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो रही है। पिछले वर्ष स्टेट बैंक ने सारे देश में 79 संस्थाओं को 68 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये। इससे स्पष्ट है कि इस दिशा में कार्य बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। अत: इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, some Members have just now submitted that the Ministers who are concerned with this Bill under discussion, do not sit in the House. It is said that each and every word spoken in this House is sent to the hon. Ministers. But the question is whether it is read by the Minister of Finance; and if it is not read, what is the use of our speaking here?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): I want to assure the hon. Members that I am listening to each and every word and noting it.

Shri M. L. Dwivedi : But you are not the Minister of Finance.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would also like to submit that so long as the Finance Minister was here he was talking with other Ministers. If he does not want to listen to what we say then there is no need of this debate.

श्री हजरनवीस : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर देने से पूर्व मंत्री महोदय उस हर एक शब्द को पढ़ते हैं जो यहां बोला जाता है।

Shri M. L. Dwivedi : As far as the Finance Bill is concerned, I would like to point out that the Minister of Finance is holding the reigns of administration and he should, therefore, always remain alert and vigilant lest the chariot of administration goes off the path of success. While proposing amendments in the Finance Bill, the latest developments on our borders and the

situation arising out of the Pakistan's attacks on our territory have not been taken into account. More effective measures should be adopted so that we are in a position to repulse any attack against us.

It is good that this time no new taxes have been proposed and the deficit financing has been avoided. The Minister of Finance deserves to be congratulated for this. It is, however, regretted that no steps have been taken to reduce the existing burden of taxes which we have been imposing year after year and which resulted in unbalanced economy. No efforts have been made to check tax-evasion and thus increasing the national income. I may point out as to how the business men and traders are evading taxes. Out of one lakh maunds of goods booked by Railways, only about one thousand maunds are accounted for in their legal account books, resulting in considerable loss of income-tax. No check is being exercised as to whether the purchase and sale proceeds of the entire goods are being shown by the traders in the account books. I would, therefore, suggest that in order to have proper check on this matter, there should be some sort of co-ordination between the Ministries of Railways and Finance. A copy of each and every Railway invoice should, invariably be sent to the Ministry of Finance so that proper assessment could be made with the help of these invoices and tax-evasion to the extent of crores of rupees could be prevented. I have asked the Ministry of Finanace to pay attention to this matter without any delay and awaiting to see what action is taken by them.

A very bright picture is painted of the progress so far made by us. Undoubtedly, there has been some development in the country but the question is whether there has been a balanced development. While big cities like Delhi are being turned into heavens b ond our imagination, a very scant attention is being paid towards villages. All the industries are being installed in cities and the villages are not benefited by the various schemes undertaken by the Government and due to this neglect on the part of the Government, the condition of villages has not changed and it is the same as it was 15 years ago. I do not say that there should be no development in the big cities but the point which I want to emphasise is this that there should be all-round development in the country. If village industries and agriculture are given proper attention and the economic condition of the villagers ameliorated, they will be in a better position to make more sacrifices for the country and there will be no dearth of money for defence and development.

The jeeps which have been issued to the B. D. Os., are being utilised for private purposes and not for official purposes. The Ministry of Finance should see that jeeps are utilised only for official purposes. They should also see that the funds are being utilised for the purpose for which they are allotted.

In regard to prices of commodities, I may point out that there has been unprecedented rise in prices as a result of which it has become very difficult for the low and middle-income groups to keep their body and soul together. The Government has failed to check the rise in prices. The controls imposed on prices are not doing any good. They are, on the other hand responsible for blackmarketing and rise in prices. Some constructive steps should be taken to see that the economic condition of the people specially of those who are considered to be the backbone of our country is ameliorated so that they could have a sigh of relief.

[Shri M. L. Dwivedi]

Now I want to say something about foreign exchange. The foreign exchange which is allowed to big businessmen and traders is often wasted lavishly in hotels and is not utilised for the purpose for which it is sanctioned. Some check should be excercised to see that it is utilised for the purpose for which it is given.

The cost of production of our goods is higher than those of chinese goods and, therefore, we are not able to compete with the Chinese in the Afro-Asian markets. A serious thought should be given to this matter as to how our trade with Afro-Asian Countries can be increased.

In view of the difficult foreign exchange position, small industries are suffering for want of raw materials. A number of mills in my region are going to be closed due to this very reason. Some steps should, therefore, be taken in this direction to get over the crises.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, इस में कोई सन्देह नहीं है कि चालू वर्ष के आयव्ययक की प्रस्थापनाओं से लोगों को कुछ राहत मिलेगी, परन्तु प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने, सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के, जो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं अथवा जिन पर सरकार का नियंत्रण है, वित्तीय प्रबन्ध में सुधार लाने की दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मूल प्रश्न यह है कि क्या हमारी वित्तीय तथा आर्थिक नीतियां उत्पादन में वृद्धि करने तथा हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ी लाने वाली हैं और क्या इन से देश में मूल्यों में स्थिरता लाई जा सकती है।

श्रीमन्, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के बारे में अधिकांश सदस्यों द्वारा जो चिन्ता प्रकट की गई है वह बिल्कुल उचित है। मुझे पूर्ण आशा है कि वित्त मंत्री जी मेरे से इस बात में सहमत होंगे कि पिछले 20 वर्षों की अपेक्षा पिछले 2 वर्षों में मुद्रास्फीति में कहीं अधिक वृद्धि हुई है। इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के एक पारंगत अर्थशास्त्री ने पिछले वर्ष यह पता लगाया था कि दूसरे विश्व युद्ध के आरम्भ में हमारे रुपये का जो वास्तविक मूल्य था उसकी तुलना में अब यह पांचवां भाग रह गया है। दोनों आंतरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे रुपये का मूल्य गिर गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा 1964-65 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि घाटे तथा मुद्रास्फीति की वित्त व्यवस्था करने की नीतियों का त्याग कर दिया जायेगा। इसके बावजूद योजना आयोग के एक वक्ता ने बताया कि देश में घाटे की और वित्त व्यवस्था करना आवश्यक है। उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि मध्य जनवरी, 1965 तक घाटे की वित्त व्यवस्था करने की मात्रा 783 करोड़ रुपये की आश्चर्यजनक सीमा तक बढ़ गई है और अनुमान है कि यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आर्थिक तथा वित्तीय नीतियां वित्त मंत्री द्वारा अथवा योजना आयोग द्वारा, जो वित्तीय नीति के मामलों पर वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त की गई नीतियों के विपरीत घोषणा करता है, बनाई जाती हैं। सरकार आय वर्ष मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना करने के बारे में वचन देती रही है परन्तु इस बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया।

यह भी चिन्ता का विषय है कि इस देश की आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों को बनाने में संसद् का योगदान दिनोंदिन कम होता जा रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वित्तीय समस्याओं के अधिकाधिक जटिल होते जाने की दृष्टि से एक लघु वित्तीय संसद अथवा आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों पर संसद की एक स्थायी समिति होनी चाहिये जो इन क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण कार्य कर सके,

क्योंकि अनौपचारिक सलाहकार समितियां, जिनकी बहुत कम बैठकें होती हैं, इस सारे कार्य को प्रभावपूर्ण तरीके से करने में असफल रही हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि वित्त मंत्री जी इस बारे में अपने मत व्यक्त करेंगे ।

बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता के लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से इस बात पर विचार करना लाभदायक होगा कि क्या अर्जित तथा अनर्जित आय में विशेषतया लाभांश से आय में जो विभेद किया जाता है उस को समाप्त किया जा सकता है। यदि हम उत्पादन करने के लिये विनियोजन करने को आवश्यक समझते हैं तो इस बात पर विचार करना उचित ही होगा कि क्या लाभांश आय पर भी उच्च अधिभार लगाया जाना चाहिये ।

मशीनों तथा संयंत्रों के मूल्यों में होती जा रही वृद्धि तथा मूल्यों में इस वृद्धि को निष्प्रभाव करने और विनियोजन के लिये प्रोत्साहन देने के लिये मूल्यह्रास निधि की अपर्याप्तता की दृष्टि से यदि विकास पर छूट की दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाया नहीं जायेगा, तो उद्योग को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ।

वित्त विधेयक, 1965 की खण्ड 80 सी में शासपत्रित लेखापालों, न्यायाभिकर्त्ताओं, वकीलों, वास्तुशिल्पियों तथा अन्य व्यवसायिक सेवाओं को दी जाने वाली सेवानिवृत्ति वार्षिकियों को सुनिश्चित करने के लिये भुगतान के बारे में राहत देने की व्यवस्था को सरकारी अधिकारियों के स्वविवेक पर जो छोड़ा जा रहा है वह उचित नहीं है अतः इस सम्बन्ध में स्क्रीन एक्टरज़ गिल्ड आफ इंडिया द्वारा जो मांग की गई है उस पर सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिये। इस मामले को सरकारी कि अधिकारियों के स्वविवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। सभी चलचित्र कलाकार धनी नहीं हैं जैसा आम सोचा जाता है। उनका कार्यकाल बहुत सीमित होता है और उन्हें जल्दी सेवा से निवृत्त होना पड़ता है, इसलिये वे इतना धन इक्ट्ठा नहीं कर पाते जिससे वह अपना शेष जीवन बिता सकें। अतः सरकार को चलचित्र कलाकारों तथा अभिनेताओं की मांग पर सहानुभूति से विचार करना चाहिये ।

दूसरी चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों में बड़ी क्षमता बेकार पड़ी है क्योंकि लाइसेंस जो दिये जा रहेहैं वह अविवेकपूर्ण तरीके से बिना किसी आयोजन के दिये जा रहेहैं। कच्चा माल तथा पूंजीगत माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। यदि हम विकास करना चाहते हैं तो इस बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये ।

भूतपूर्व आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय की गतिविधियों को, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बढ़ावा दिया जाना चाहिये ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत निधियों में अधिक संचय से एक प्रकार का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है इससे हमें अवगत किया जाना चाहिये। इन निधियों की देखरेख करने तथा इस देश में इन्हें लाभकारी कार्यों में लगाने के मामलों के लिये क्या सरकार का विचार एक प्रतिष्ठान स्थापित करने का है जैसाकि भारत में अमरीका के राजदूत ने सुझाव दिया है? क्या ऐसा प्रतिष्ठान संरक्षण का एक और माध्यम तो नहीं बन जायेगा? इन मामलों पर सरकार को जल्दी विचार करना चाहिये ।

जिस तरीके से वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों से सम्बंधित महत्वपूर्ण मामलों और उन मंत्रालयों द्वारा तकनीकी मंत्रणा के आधार पर बनाई गई नीतियों में हस्तक्षेप कर रहा है यह एक चिन्ताजनक बात ह। उदाहरण के तौर पर कृषि उत्पादों के उचित मूल्य निर्धापित करने के लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय के फार्म प्रबन्ध अध्ययन आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने यह कह

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

कर अस्वीकृत कर दिया कि इस बारे में कृषि मूल्य आयोग पहले ही है और वह इस मामले पर विचार करेगा, हालांकि दोनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। इसी प्रकार खाद्य और कृषि मंत्रालय का विचार रेगिस्तान विकास कार्यक्रमों का समन्वय करने और पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिये व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम तैयार करने के लिये रेगिस्तान विकास प्राधिकार स्थापित करने का था, परन्तु वित्त मंत्रालय ने उनके इस प्रस्ताव को भी खटाई में डाल दिया है। ये दोनों परियोजनायें हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिये मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन पर अधिक उदारता से पुनविचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सरकारी उपक्रमों में कार्य हो रहा है और उनसे कम लाभ होना एक चिन्ता का विषय है। इन सरकारी उपक्रमों से न ही तो मुद्रास्फीति अथवा उत्पादन-लागत में कमी हुई है, न ही कोई कार्य पटुता में ही सुधार हुआ है और न ही उत्पादन में कोई सराहनीय वृद्धि हुई है। सरकारी उपक्रमों में जनता के प्रत्यक्ष हिस्से होने चाहियें। प्राक्कलन समिति ने शायद एक बार सुझाव दिया था कि सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत हिस्से आम जनता के लिये होने चाहियें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया गया है अथवा क्या वित्त मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

समाजवाद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यदि ऐसे समाजवाद से देश का पुनर्निर्माण किया जा सकता है तो मैं इसके पक्ष में हूं। परन्तु मैं यह बता दूं कि किसी सिद्धांत में केवल धार्मिक अनुशक्ति रखने से ही कभी फल प्राप्त नहीं होता है। केवल आकर्षक बने रहने से ही नहीं, बल्कि कठोर परिश्रम तथा उद्योगशीलता के परिणामस्वरूप ही फल निकलते हैं।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत करारोपण में दी गई राहतें देश में कीमतों के बढ़ने के कारण समाप्तप्राय हो जायेंगे। हमारे कर सम्बन्धी विधान में बढ़ती हुई जटिलता, संदिग्धता तथा अव्यापकता का सुधार होना चाहिए। हमारा करारोपण सम्बन्धी विधान कर न लगाने योग्य धन पर भी कर लगाने की व्यवस्था करता है। अतः कर विधान की जांच करना आवश्यक है जिससे कि सभी त्रुटियां तथा विषमतायें शीघ्र ही दूर की जा सकें।

सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में भी झगड़ा है। जहां भी विकास होता है, लोग यह समझने लगे हैं हमारे देश में केवल एक ही राष्ट्रीय क्षेत्र है—चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में—यह देश के लिये लाभदायक होना चाहिए। निजी क्षेत्र में भी सरकारी क्षेत्र है। क्योंकि निजी तथा सहकारी समितियां भी स्वयं सरकारी क्षेत्र हैं जहां भागीदार हजारों की संख्या में हैं और उनका कार्य प्रबन्ध कहीं अच्छा है। जिसे आज सरकारी क्षेत्र कहा जाता है वह एक सरकारी अथवा अफसरशाही व्यवस्था है जिसमें भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कार्यपटुता का अभाव है।

सरकारी अधिकारियों में रुपया कमाने का अनुभव तथा प्रशिक्षण का अभाव है। प्रखर बुद्धि वाले युवकों को, जिनकी व्यापार तथा उद्योग में प्रवृत्ति और रुचि हो, भर्ती करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। यदि कर्मचारियों के प्रशिक्षण का क्रमबद्ध कार्यक्रम अपनाया जाय तो सरकारी क्षेत्र भी लाभदायक बन सकता है। हमें लागत व्यय तथा पूंजी दोनों का ध्यान रखना है। सरकारी कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान तथा पृष्ठभूमि से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि सरकारी क्षेत्र के प्रशासन में सुधार हो सके।

निगमित क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की कुल राहत दी गई है। सीमा शुल्क पर अतिरिक्त 80–100 करोड़ रुपये लग गये हैं। रेलवे भाड़े तथा बैंक दर में भी वृद्धि हुई है। गैर-सरकारी क्षेत्र पर अधिक भार पड़ा हुआ है यही कारण है कि आज धन ऊंची दरों पर मिलता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक विदेशी बैंक ने एक भारतीय बड़े बैंक से एक महीने के लिए कुछ ऋण $9\frac{1}{2}$ रुपये प्रतिशत ब्याज दर पर मांगा किन्तु वह बैंक इस दर पर भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सका। हमें एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कायम करनी चाहिए।

कराधान का भार इतना बढ़ गया है कि इससे हमारी प्राप्ति कम हो गई है। अमरीका के राष्ट्रपति श्री कैनेडी ने कराधान के भार को महसूस करते हुये धीरे-धीरे इसे कम किया जिसका यह परिणाम निकला कि करों तथा राजस्व की राशि में वृद्धि हो गई। मेरा विश्वास है कि हमारे देश के लिए भी यही नीति लाभदायक रहेगी। हमें आज 1,500 करोड़ या 2000 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, हमें इस प्रकार योजना बनानी चाहिए जिससे हमारा राजस्व बढ़कर 5000 करोड़ या 10000 करोड़ रुपये हो जाये। देश के शीघ्र विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन को पैदा किया जाता है इसलिए हमें ऐसे कार्यों में सहायता देनी चाहिए जहां धन पैदा किया जा सके।

निस्संदेह हमारे देश में योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। उपलब्ध संसाधनों को उचित प्रोत्साहन देने तथा उनका उचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। छापे मारने के मामलों को लीजिये। नैतिकरूप से इन छापों ने बुरा असर पैदा कर दिया है। छिपे धन को प्रकट करने में सहायता देने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने से लोग गैर-बफादार बनते हैं जिससे देश का वातावरण अच्छा नहीं बनेगा।

जहां तक समवायों का सम्बन्ध है, उनके 100 रुपये की आय पर 70 रुपये कर है जिसमें लाभांश-कर भी शामिल है। इस 30 रुपये पर भी 7.50 रुपये फिर कर के रूप में देना पड़ता है। इस प्रकार केवल 22.50 रुपये शेष रहते हैं। इस धनराशि में से भी 19.83 रुपये तक व्यक्तिगत अंशधारियों को करों के रूप में देना पड़ता है। अंशधारी के पास 2.67 रुपये बचते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुछ प्रकट करता है तो हम उसे 10 प्रतिशत देने को तैयार हैं। मेरा विश्वास है कि देश के विकास के लिए सम्पत्ति पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए है न कि दोषों का पता लगाने के लिए, क्योंकि इससे नैतिक पतन की सम्भावना होती है।

अब मैं छिपाये गये धन के बारे में बोलूंगा जिसने हमारी अर्थ व्यवस्था में ही केवल गड़बड़ी पैदा नहीं कर रखी है अपितु यह हमारे देश के विकास एवं प्रगति में भी बाधक बना हुआ है। मैं आपको इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिये एक व्यापारी 10,000 रुपये की पूंजी से दुकान खोलता है और उसे 25 प्रतिशत का कुल लाभ होता है अर्थात् वह 2500 रुपये कमाता है और वह अपने व्यापार बढ़ाने के लिए 5000 रुपये छिपा देता है। इस स्थिति में उसे लेखे के धन से तिगुनी आय होगी। किन्तु छिपाये हुए धन से 6 से 8 गुनी आय होगी क्योंकि इस धन पर उसे बिक्री-कर आदि भी नहीं देना पड़ता है। लेखे के धन से उसे कठिनाई से ही कुछ आय होती है जब कि छिपाये हुये धन से हुई आय को वह सारी बचा लेता है। दस वर्ष के बाद उस दुकान के लेखे की जांच करने पर पता चलेगा कि वहां मुश्किल से ही लेखे का धन है क्योंकि छिपाये हुए धन में निरन्तर वृद्धि होती रहती है और इसका परिणाम यह होता है कि वह एक घृणित वातावरण में पकड़ा जाता है अतः यह समाज और सरकार का कर्त्तव्य है कि वे इस घृणित वातावरण को ही उत्पन्न न होने दें। मुझे सन्देह है कि

]श्री कनजगान बजाज[

वित्त मंत्री महोदय की योजना के कुछ अभीष्ट परिणाम निकलेंगे क्योंकि उस योजना पर अच्छी प्रकार से विचार नहीं किया गया तथा उसे उचित रूप से लागू नहीं किया गया है ।

जब तक देश में छिपाया हुआ धन रहेगा, हमारे आंकड़े गलत होंगे और मूल्यों पर सरलता से काबू नहीं पाया जा सकेगा और देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक स्थिति भी डावांडोल ही बनी रहेगी ।

दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च से पूर्व अपने छिपाये हुये धन को प्रकट करता है तो उसे 60 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । अब कुछ लोगों ने स्वेच्छा से बता दिया है और लाभ उठाया है । मान लीजिये विधेयक में कोई परिवर्तन हो जाय अथवा यह कानून नहीं बन पाता, तो जिन लोगों ने स्वेच्छा से धन प्रकट कर दिया है उनके भाग्य का क्या होगा ? सरकार की इस नीति के कारण देश का धन बाहर जा रहा है । छापे आरम्भ होने से पहले पौंड की कीमत 21 रुपये थी किन्तु छापों के बाद उसकी कीमत बढ़कर 27 या 28 रुपये हो गई है । पाकिस्तान में भी हमारे 100 रुपयों की कीमत वहां के 70 रुपयों के बराबर है ।

विदेशों में बसने वाले भारतीयों से हमें प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिल रही है । किन्तु हमारी इस नीति के कारण उत्पन्न भय तथा असुरक्षितता की भावना से इस धन में भी कमी होती जा रही है । विदेशी बैंकों में भारत के बिना लेखे का धन बहुत अधिक मात्रा में भरा पड़ा है ।

अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह भारत से बाहर स्वेच्छा से गये धन को भारत में लाने का प्रयत्न करें । पाकिस्तान ने भी अपने देश में विदेशी मुद्रा आने की अनुमति दी है, इसलिए वहां बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आ रही है ।

Shri Chandramani Lal Chaudhry (Mahua): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am greatful to you for giving me an opportunity to speak on the Finance Bill.

While supporting this bill, I would like to say that Government have tried to give relief to middle class people, particularly the Government employees. By abolishing Compulsory Deposit Scheme, the Finance Minister has given to them much needed relief.

It has been mentioned that the prices are persistently rising day by day. But it is not so. In Bihar the price of rice has fallen. Wrong criticism should not be made by the opposition parties against the Government. Our Government are doing a lot to give relief to the poor section of the people and efforts are being made for their economic development and social uplift.

We would face China and Pakistan boldly, however, great sacrifice we might have to make. But we must abide by the directions given by our leaders.

Today, the country has to face grave problems. But I would like to draw your attention to the fact that our army in Kashmir or Kutch or on Assam border should be given a free hand to deal with the situation on our borders in the manner they deem fit. I have come to know that it takes a lot of time for them to receive orders to reply fire with fire and consequent to this they become the victims of the enemy bullets. I would request the Defence Minister to

ensure that our armies are issued the orders to fire there and then.

Here in this House, we generally talk of the rich and the poor. We should not decry capitalists indiscriminately. One of my friends spoke just now and it appeared from his speech as if the capitalists were culprits. But some of them had given their cooperation during the struggle for independence. There was a time when one of the capitalists offered a blank cheque to Mahatma Gandhi as financial aid for the national struggle. Our Bhama Shah also offered this type of help to Rana Pratap. Therefore, it is not proper to undermine capitalists.

The Government has embarked upon many plans which are culminating in fruition. But my submission is that the Government should provide free and compulsory education to our children upto the matric standard so that literacy should spread among poor section of society such as cultivators and labourers etc.

I would like to pay my tributes to the Jawans who have laid their lives in Ladakh and Kutch. It is our duty to help their childern. The Jawans serve the country and, therefore, we should respect them.

I have noticed that many times, a number of questions are asked about the Ministries of Home Affairs and Defence. I will submit that the Government should not be forced to give information about military operations.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : जहां तक वित्त विधेयक का सम्बन्ध है, कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में वित्त मंत्री को बधाई दी जानी चाहिये परन्तु उसके साथ साथ ऐसी भी बातें हैं जिनकी सराहना नहीं की जा सकती ।

वित्त मंत्री ने छिपे धन के बारे में स्वेच्छापूर्ण घोषणा के सम्बन्ध में एक सराहनीय निर्णय किया है । परन्तु लोगों द्वारा स्वेच्छा से घोषणा के बारे में उत्पन्न संशय तथा कठिनाइयों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में भारी अस्पष्टता के कारण एक अच्छा निर्णय निष्क्रिय हो रहा है । वित्त मंत्री को एक या दो व्यवसायिक संस्थाओं, जैसे "चार्टर्ड एकाउंटैंट्स संस्था", को इन कठिनाइयों के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बनाने के लिये कहना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि वैयक्तिक कराधान के मामले में मोटे तौर पर बधाई दी जा सकती है परन्तु फिर भी विस्तृत रूप से विभिन्न रियायतों तथा छूट आदि के सम्बन्ध में बहुत प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । वार्षिकी जमा योजना, जो स्वेच्छापूर्वक समझी जाती है, वास्तव में बिल्कुल अनिवार्य है क्योंकि यदि यह राशि जमा न की जाये तो न केवल अतिरिक्त कर ही देना पड़ता है बल्कि भारी अर्थ-दण्ड भी देना पड़ता है जो मेरे विचार में बिल्कुल अनुचित है । करदाता को जमा की गई राशि पर कर में राहत दिये जाने के लिये यह योजना स्वेच्छापूर्ण होनी चाहिये । परन्तु यदि इसे उसी रूप में रखना है जिसमें कि यह अब है तो यह 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिये अनिवार्य या लगभग अनिवार्य नहीं होनी चाहिये । इस योजना को हर प्रकार से स्वेच्छापूर्वक बनाया जाना चाहिये ।

वित्त विधेयक का तीसरा पहलू जिसके बारे में वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं कर समंजन प्रमाणपत्र (टैक्स क्रेडिट सार्टिफिकेट) सम्बन्धी योजना है । इस योजना का उद्देश्य नये उपक्रमों में धन लगाया जाना, निर्यात बढ़ाना तथा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना जिनसे उत्पादन कर मिल सके। परन्तु इस योजना का पूरा अध्ययन करने से यह निष्कष निकलता है कि यह एक प्रकार की चाल है ।

[श्री नारायण दाडेकर]

वित्त मंत्री ने वित्त अधिनियम, 1964 की धारा 58 व धारा 62 के अन्तर्गत विनियामक (रेगुलेटरी) शुल्क जिस प्रयोजन से लगाये हैं वे इन धाराओं के उद्देश्य के अनुसार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं ने अध्यक्ष महोदय को एक नोट भी भेजा है जिसमें मैं ने इस प्रकार लिखा है :—

> "17 फरवरी, 1965 को दो अधिसूचनायें जारी की गईं जिनके द्वारा अधिकतम दरों पर वित्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क सम्बन्धी विनियामिक शुल्क लगाया गया और इसी अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क सम्बन्धी विनियामिक शुल्क लगाया गया।"

कर समंजन प्रमाण-पत्र के बारे में भी इसी प्रकार की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी शक्ति दी जा रही है जो वित्त विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती।

वित्त विधेयक में एक भारी कमी निगम कर के बारे में है। पिछले लगभग तीन या चार वर्ष पहले की अवधि पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूंजी बाजार की दशा कितनी अच्छी थी तथा उस समय की स्थिति में और वर्तमान दशा में क्यों व कितना अन्तर है। लाभांश कर सामान्य लाभांश पर लगाया गया न कि अत्यधिक लाभांश पर और इसलिए वित्त विधेयक पर यह एक धब्बा है। जब मुद्रा-स्फीति कम करने की आवश्यकता हो तो लाभांश के अधिक भुगतान पर कर लगाने को कोई भी अनुचित नहीं कहेगा। परन्तु सामान्य लाभांश पर कर लगाने का तनिक भी कोई औचित्य नहीं है। भागीदारों को कोई लाभ न होने पर भी पूंजीलाभ पर करारोपण का अर्थ यह है कि उन्हें धन लाभ में से हुए पूंजीलाभ पर कर देना पड़ता है जो बिल्कुल अनुचित है। अति लाभ कर के स्थान पर पिछले वर्ष जो अधिकर लगाया गया था उसे देखते हुए समवायों तथा भागीदारों पर काफी भार पड़ा है।

पूंजी बाजार में सुधार करने के लिये उन सभी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है जो पूंजी बाजार की वर्तमान स्थिति के लिये जिम्मेदार हैं। कर ऋण प्रमाण-पत्र आदि योजनायें अच्छी हैं परन्तु इनसे यह समस्या हल नहीं होगी।

पी० एल० 480 के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने कल सभा-पटल पर एक ज्ञापन-पत्र रखा है। यह प्रश्न मैं ने ही उठाया था और इसलिये मैं यह चाहता हूं कि मुझे सभा-पटल पर इसके उत्तर में एक ज्ञापन-पत्र रखने की अनुमति दी जाये।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। ये वार्षिक आय-व्ययक हमारे देश के आर्थिक विकास तथा उन्नति के साधन हैं।

यदि हम आय-व्ययक को प्रगति के इस दृष्टिकोण से देखें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे देश के कुछ राज्य कुछ महत्वपूर्ण विषयों में पीछे रह गये हैं। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश में साक्षरता बहुत ही कम है। दूसरे राज्यों में साक्षरता काफी अधिक है। मध्य प्रदेश में साक्षरता की प्रतिशत दर कम होने से तथा अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध न होने से इस राज्य में विस्तार-कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है तथा लोग विकास

योजनाओं में सहयोग देने में संकोच करते हैं। केन्द्रीय सरकार को इस राज्य को सहायता देनी चाहिये ताकि जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है यह राज्य दूसरे राज्यों के बराबर हो जाये। मैं यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने अपनी ओर से इस बारे में भरसक प्रयत्न किये हैं। जब इस राज्य का निर्माण हुआ था तो इसकी आय 50 करोड़ रुपये थी परन्तु आज इसकी आय 102 करोड़ रुपये है। परन्तु इसके बावजूद भी यह साक्षरता लाने के लिये संसाधन नहीं जुटा सका है। इसलिये केन्द्रीय सरकार को इसकी सहायता करनी चाहिये।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यह राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में संचार साधनों की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। हमारे राज्य में संचार सम्बन्धी सुविधाएं न्यूनतम अर्थात् प्रति सौ वर्गमील के लिये केवल 18 मील हैं। यह एक बड़ा राज्य है और इसके एक बड़े क्षेत्र में वन हैं और इस राज्य में अनुसूचित जातियों के बहुत लोग रहते हैं। प्रथम योजना के दौरान जिन सड़कों का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया था वह अभी भी चल रहा है। दूसरी योजना में सड़क-निर्माण के लिये बहुत कम धनराशि नियत की गई। इस राज्य में बरसात के मौसम में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। मैं यह निवेदन करता हूं कि चौथी योजना में इस राज्य के संचार साधनों में सुधार करने के लिये विशेष उपबन्ध किये जायें।

मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन न्यूनतम है। यद्यपि इस राज्य के संसाधन अधिक हैं परन्तु फिर भी प्रति एकड़ उपज न्यूनतम है। कृषि-योग्य क्षेत्र के केवल 60 प्रतिशत भाग को सिंचाई के अधीन लाया गया है। अधिक भूमि को सिंचाई के अधीन लाने की आवश्यकता है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है हमारे राज्य में इसके संसाधन तथा क्षमता काफी अधिक है। वहां देश में सब से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। इससे न केवल देश ही का विकास होगा परन्तु इससे इस राज्य के विकास में भी सहायता मिलेगी। परन्तु यह तभी हो सकता है यदि इस राज्य को अधिक आर्थिक सहायता दी जाये।

केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अल्पकालीन ऋण मध्य प्रदेश को उपलब्ध नहीं किये गये हैं। इस राज्य द्वारा अपेक्षित अल्पकालीन ऋण की राशि को इसे उपलब्ध करने में केन्द्र को कोई संकोच नहीं होना चाहिये तथा इस राज्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार द्वारा भारी मध्यम तथा छोटे प्रकार के ट्रैक्टर उपलब्ध किये जाने चाहियें।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या वहां की जन संख्या का 34 प्रतिशत है। इन जातियों का उत्थान इस राज्य की विशेष समस्या है। केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मध्य प्रदेश को जो कि देश का सब से बड़ा राज्य है और जिसमें अधिकतम संसाधन है पिछड़ा हुआ नहीं रहने देना चाहिये। यदि इसे आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है तथा

[श्री राधेलाल व्यास]

आर्थिक दृष्टि से विकास करना है तो इसे बहुत अधिक राशि उपलब्ध करानी होगी। इस आवश्यकता को पूरा करना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है।

चौथी योजना में कम से कम 1,000 करोड़ रुपया उन राज्यों के विकास के लिये रखा जाना चाहिये जो पिछड़े हुए हैं। चौथी योजना बनाते समय मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े हुए राज्यों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री मुरारका (झुंझनू) : यदि वित्त मंत्री की कोई निन्दा की जा सकती है, तो वह इसी आधार पर की जा सकती है कि उन्होंने न तो पूंजी बाजार को बढ़ावा देने और न ही इस समय की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक प्रोत्साहन देने में सहायता दी है। इसलिये मैं इस सीमित समय में वित्त मंत्री का ध्यान उन कमियों की ओर दिलाऊंगा जिन्हें शीघ्र दूर किया जाना चाहिये।

जहां तक निजी कर के ढांचे का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने इसे सरल बनाने की दिशा में पग उठाया है। परन्तु खेद की बात है कि जहां तक समवायों पर कर का सम्बन्ध है उन्होंने करों के ढांचे को और जटिल तथा कठिन बना दिया है।

पहले दो प्रकार के समवाय होते थे--सरकारी तथा गैर-सरकारी। अब उन्होंने धारा 23-क के समवायों के और वर्ग बना दिये हैं। इन सभी समवायों के लिये करों का ढांचा भिन्न-भिन्न है जो मुख्य उद्योगों में 45 प्रतिशत से ले कर व्यापारी समवायों में 60 प्रतिशत तक जाता है। जहां तक करों की दण्डनीय दरों का सम्बन्ध है, अब उन्होंने व्यापारी समवाय और गैर-व्यापारी समवाय में विभेद कर दिया है। व्यापारी समवायों के लिये दण्डनीय दर $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा गैर-व्यापारी समवायों के लिये यह दर 25 प्रतिशत है। इन समवायों पर व्यक्तियों, पंजीबद्ध सार्थों, सरकारी समवायों तथा औद्योगिक समवायों की तुलना में कर की दर अधिक है। यह समझ में नहीं आता कि इस विशेष वर्ग के समवायों के साथ सहानुभूति क्यों नहीं की जाती।

वित्त मंत्री महोदय ने निगम कर पर 70 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की है परन्तु यह सीमा भी उन 23-क समवायों पर लागू नहीं है। वास्तव में केवल इन्हीं समवायों को इस अधिकतम सीमा से कुछ लाभ होना था और इन्हीं समवायों को इस से वंचित रखा गया है। इसलिये इस अधिकतम सीमा का कोई अर्थ नहीं है।

जिन समवायों में वित्त मंत्री महोदय ने रियायतें दी हैं उनमें भी भिन्न-भिन्न दर निर्धारित किये हैं। इन समवायों का निर्माता-समवायों में वर्गीकरण किया जाना बहुत असन्तोषजनक तथा अयुक्तियुक्त है। यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि निर्माण तथा अन्य साधारण व्यापार से प्राप्त आय पर कर लगाने का ढांचा ठीक नहीं है। निर्माता कम्पनी (मैनुफैक्चरिंग कम्पनीज) मूल उद्योग आदि की परिभाषा इतनी दोषपूर्ण है कि जब तक कम्पनियां लाभ उठाने के उद्देश्य से ही शर्तें पूरी करने का प्रयास न करें उन्हें कर की रियायत नहीं मिल सकती जो माननीय वित्त मंत्री देना चाहते हैं।

इसी प्रकार कर के ढांचे में अन्य दोष हैं। श्री पालखी वाला ने अपनी पुस्तक "दी हाईएस्ट टैक्सड नेशन" में रघुवंशी मिल्स लिमिटेड के मामले का उल्लेख किया है जो 1944-45 से अब तक प्राइवेट व पब्लिक कम्पनी की परिभाषा दोषपूर्ण होने के कारण लटका हुआ है। श्री कॉल्डर के विचार में भी कम्पनियों पर कर लगाने के ढांचे को बहुत जटिल बना दिया गया है। मैं तो यह कहूंगा कि प्रति वर्ष वित्त विधेयक से ये जटिलतायें बढ़ जाती हैं तथा मूल रूप से परस्पर विरोधी उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने एक बहुत अच्छा नियम बताया कि अच्छा कानून वही हो सकता है जो आसानी से समझ में आ जाये व आसानी से लागू हो सके। लेकिन उनका अनुभव यह रहा है कि चाहे वाणिज्यिक कानून हो अथवा करारोपण का मामला हो कानूनों को अत्यधिक जटिल व सामान्य जनता के समझ में न आने वाला बना देते हैं, जिनके लिये वह बनाये जाते हैं। 18वीं शताब्दी के एक अमरीकी विशेषज्ञ ने कहा है कि यदि कानून के प्रवर्तन से पहले ही हमें उन्हें रद्द करना पड़े या उनमें संशोधन करने पड़ें तो किसी को यह पता नहीं होगा कि आज क्या कानून है अथवा कल कानून का क्या रूप होगा। विधेयक के पुरःस्थापन के बाद ही वित्त मंत्री को 87 संशोधन प्रस्तुत करने पड़े। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में किस प्रकार कानून बनाये जाते हैं। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कम्पनी पर कर लगाने के ढांचे को सरल बनाने की ओर ध्यान दें।

कर समंजन प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में मैं इस बात से सहमत हूं कि यह भी कर ही है। कर में यह छूट देने से कर की प्रभावी दर 45 अथवा 50 अथवा 60 प्रतिशत रह जाती है लेकिन कम्पनियों पर करारोपण का आधार तो वही ऊंची सीमा 80 प्रतिशत रहती है। हमारे समाज में विद्यमान करों से बचने की बीमारी को दूर करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा रखी गई स्वेच्छा से छिपी आय प्रकट करने की योजना एक साहसपूर्ण योजना है। लेकिन यदि हम यह चाहते हैं कि लोग अपनी नागरिक उत्तरदायित्व को समझें तो यह आवश्यक है कि इसके लिये उन्हें पर्याप्त समय व सुविधा दें। मेरा तो प्रस्ताव है कि 60 प्रतिशत की बजाय आप 70 प्रतिशत कर वसूल कीजिए लेकिन भुगतान के लिये अधिक समय दीजिये। आपको याद होगा कि आय कर जांच आयोग द्वारा भी 75 प्रतिशत की ऊंची दर पर समझौते किये गये थे। वित्त मंत्री को चाहिये कि 20 प्रतिशत तुरन्त लें तथा शेष 50 प्रतिशत आसान किश्तो में वसूल करें जिसके लिये मैंने एक संशोधन रखा है। यदि वे इस पर विचार कर सकें तो इससे इस योजना के वास्तव में सफल होने में बहुत सहायता मिलेगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Mr. Chairman, Sir, shortly I will be leaving for East Germany and will get an opportunity to meet Frontier Gandhi Badshah Khan at Kabul after 15—20 years who is seriously ill. He has been a true follower of Mahatma Gandhi. I would be inviting him to come and stay with me here in India as an honourable guest. It would be better if the Prime Minister extends the invitation on behalf of the Government of India.

In 1940, Mr. Greenwood said in the House of Commons "If the hon. Members feel that the prosecution of war is not effective and do not say so, they are playing into the hands of the enemy far more effectively than by creating disturbances in the House." Similarly, Mr. Vivian expressed resentment on the

[Dr. Ram Manohar Lohia]

absence of impartiality from the Chair. But the Speaker did not lose his temper on this. In the background of these two statements I want to you to have a look on the state of affairs in India. No body feels his responsibility fully whether be it Government, Lok Sabha, Ministers, labour or teachers. Everybody wants to rise by sheer flattery and back-bitting and not hard work. How we will progress or prosper in this manner?

To-day our policy is based on the experience borrowed from foreign countries. It should have direct bearing on our day to day experiences here with Pakistan and China. I want peace with Pakistan. I am in favour of unity and a Confederation.

I had given notice of a short notice question regarding acceptance of a car by an official of the Ministry of External Affairs offered to him as a gift by a foreign Government. But this question was not admitted. The relations of this Official are importing road-buildings machinery. In the face of such things how will we meet the enemy ? Our Defence Minister, Shri Chavan has been talking a lot of our defence preparations. In reply to a question he had denied that the pay of our soldiers serving in Congo was reduced after three months. I enquired from Major General Rikhy, Miltary Adviser to U.N.Secretary-General on Congo and came to know that our soldiers in Congo were getting 20 dollars per day in the beginning like the white soldiers from Sweden, Norway etc. but it has been gradually reduced to 2 dollars per month. This is an insult to our soldiers and we should protest to the U. N. It isnot a wise policy to cover up the faults in our army. Mr. Chavan talks of deciding the policy but in fact no firm policy decisions are taken.

Mr. Chagla has not paid his attention to the problem, nepotism and bureaucracy which have ruined not only the Aligarh University, but also India. We have to face a very strange situation here. Wrong information is supplied to us by the Ministers. There was the case of Emeritus professor and then there was the case of increase of cloth price from Rs. 1-17 per metre to Rs. 1-20 per metre which the Finance Minister denied. Instead he called me a liar. He has misused his official position for personal gains. His family estate is even more than Rs. 3-4 crores. These big people are not bothered about the country.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

It was not proper on the part of the Prime Minister to say that we are only five members in number. I will appeal to Mr. Shastri not to instigate us to take resort to other means.. The Prime Minister agreed with me that we should be cautious about the use of the word "disputed". He should have told this to the entire nation. We were told in the Lok Sabha that only an area of two miles had been captured by China in Longju but in fact hundreds of miles had been taken away from India.

I had declined the offer of a nomination to the Central Legislative Assembly because we were required to take oath of allegiance to the British Crown. Shri Lal Bahadur Shastri and his colleagues could have done but I could not do it. Shri Shastri ji took this oath. So he should exercise restraint in commenting on our patriotism.

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी 2,353 करोड़ रुपये की राजस्व आय करना चाहते हैं तथा अनुमानित व्यय 2,116 करोड़ रुपये है। सारा देश उनका आभारी है कि उन्होंने कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं रखा है तथा साधारण आदमी को उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में बहुत सी छूट दी है। लेकिन फिर भी कुछ उपभोक्ता वस्तुएं अब भी ऊंची कीमतों पर बेची जा रही हैं विशेष कर मिट्टी का तेल, चीनी तथा दियासलाई।

मिट्टी के तेल पर 45 प्रतिशत उत्पादन शुल्क है। इसका प्रयोग विशेषकर समाज के नीचे वर्ग के लोग करते हैं। इसलिये इस पर उत्पादन शुल्क लगाना उचित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशों से मिट्टी के तेल के आयात से प्राप्त 30 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क को छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यह सीमा शुल्क बड़े-बड़े व्यापारियों से वसूल नहीं किया जा रहा है बल्कि इसका भार तो उपभोक्ता को उठाना पड़ रहा है।

यही स्थिति चीनी के बारे में है। जब यहां देश में चीनी की कमी थी तो हम विदेशों को इसका निर्यात कर रहे थे। ठीक है कि इससे 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है लेकिन चीनी के निर्माताओं को भी तो निर्यात प्रोत्साहन के लिये 10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्या तुक है।

तीसरी वस्तु दियासलाई भी मिट्टी के तेल की तरह हर साधारण व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु है। इस पर 62 प्रतिशत उत्पादन शुल्क है। अप्रत्यक्ष करारोपण मुद्रा-स्फीति के बढ़ने में योग दे रहा है। साधारण जनता पर इतने करों को देखकर मैं नहीं समझ पाता कि इस समाज को किस प्रकार समाजवादी कहा जा सकता है।

खाद्यान्नों के भाव अब भी ऊंचे हैं यद्यपि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई है। मेरे भाग में कर्नाटक में ज्वार का भाव 75 रु० प्रति क्विंटल, गेहूं का भाव 75 रु० प्रति क्विंटल तथा घटिया किस्म का चावल 115 रु० प्रति क्विंटल पर भी नहीं मिल रहा है। इसके विपरीत कल परसों ही मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा कि पंजाब में गेहूं के भाव सरकार द्वारा निर्धारित भाव से भी नीचे गिर गये हैं। क्षेत्रीय तथा जिलेवार पाबन्दियां लगाने के कारण ही ऐसा हो रहा है। कहीं बहुत अभाव है और कहीं अनाज के बहुत अधिक मात्रा में हो जाने के कारण किसानों को हानि हो रही है। यह तो फसल पर हालत है, मैं नहीं जानता कि चार पांच महीने बाद क्या स्थिति होगी।

यह कहा गया है कि अपनी सीमा की सुरक्षा के लिये हमें भारी सैनिक तैयारी करनी होगी। शत्रु को खदेड़ने के लिये, चाहे कच्छ सीमा की बात हो, या असम सीमा की अथवा काश्मीर का मामला हो भारत के मुसलमान पूरी तरह सरकार के साथ हैं। शत्रु का सामना करने में सरकार का साथ देना प्रत्येक भारतीय का कर्त्तव्य है चाहे वह हिन्दू हो, सिख हो, या मुसलमान हो अथवा ईसाई हो। इसलिये मेरी समझे में यह नहीं आता कि मुसलमानों को अलग से संकल्प पास करने की क्या आवश्यकता है। यदि पाकिस्तान हमला करता है तो मुसलमानों की निष्ठा पर क्यों सन्देह किया जाता है। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में किसी ने बौद्धों पर सन्देह नहीं किया यद्यपि चीन बौद्ध देश है।

यदि कोई व्यक्ति जासूसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो यह उसका अपना अपराध है इसमें सारे समुदाय को अपराधी मानना अनुचित है। पाकिस्तान के लिये जासूसी करते हुय हिन्दू ही पकड़े गये हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है कोई मुसलमान नहीं पकड़ा गया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि यदि हिन्दू पकड़े गये तो इसके लिये हिन्दू सम्प्रदाय दोषी नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : जिन लोगों ने काला धन छिपा रखा है, उनके मकानों पर छापे मार कर तथा सम्पत्ति की तलाशी करके वित्त मंत्री ने देश में स्वच्छ वातावरण पैदा किया है। ये लोग सरकार को आय-कर के उचित भाग से भी वंचित करते हैं। आशा है कि वह छिपी आय की घोषणा के लिये निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद आगे कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेंगे। और इस संबंध में उत्साह दिखायेंगे।

आय-व्ययक के संबंध में कुछ व्यक्तियों ने यह मत दिया है कि इस आय-व्ययक में उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि निगम-कर अधिक हैं तथा उन्हें कम किया जाना चाहिये। कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि आय-व्ययक प्रस्तावों में कृषि की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था। अन्य व्यक्ति कहते हैं कि शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था। सभी प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं।

आज हमारी तात्कालिक आवश्यकता क्या है ? मेरे विचार में प्रतिरक्षा देश की सब से बड़ी आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि आर्थिक समृद्धि आने ही वाली है, तो वह तथ्यों को ठीक दृष्टि से नहीं देखता है। हम कुछ सीमा तक देश के आर्थिक विकास की व्यवस्था करते रहे परन्तु चीन तथा पाकिस्तान के नापाक इरादों की दृष्टि में देश की प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को अन्य सभी प्रकार की आवश्यकताओं पर प्राथमिकता देनी होगी। हमारी सभी योजनाओं तथा आयोजनों का कोई महत्व नहीं होगा यदि हम आक्रमणकारी को देश से खदेड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। हमें दो बड़े देशों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विचार में पाकिस्तान एक बड़ा देश नहीं है परन्तु जब एक छोटा देश किसी बड़े देश से मिल जाता है तो वह भी बड़ा बन जाता है। चीन तथा पाकिस्तान हमारे शत्रु हैं। अमरीका तथा ब्रिटेन युद्ध-विराम करने के बारे में कुछ ही क्यों न कहें परन्तु इससे कुछ नहीं होगा। चीन तथा पाकिस्तान आज हमारी भूमि पर नजर लगाये बैठे हैं। चीन तथा पाकिस्तान अब आपास में मिल गए हैं तथा सब जगह ही कठिनाई पैदा हो गई है। हमारे देश में हम बड़ी घटनाओं को छोटा कर के बताते हैं। जबकि हमें एक बड़े युद्ध के चिन्ह नजर आ रहे हैं, हम केवल यही कहते हैं कि ये सीमान्त झगड़े तथा स्थानीय लड़ाइयां हैं। सीमान्त की इन लड़ाइयों द्वारा वे हमारे क्षेत्र को हड़प कर रहे हैं। कच्छ में हुई घटनाओं से सारे देश का उत्साह टूट गया है। शत्रुओं को हमारी कमजोरियों का पता लग गया है। जब 1962 में चीन ने भारत वर्ष पर आक्रमण किया तो सारा देश अप्रसन्न हुआ। फिर अपनी सेनायें पीछे हटाने के लिये उन्होंने जो एक तरफा निर्णय किया, वह हमारे लिये अपमानजनक है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव के अनुसार नहीं है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि हमारे शत्रु अपनी इच्छानुसार हमारे घरों में घुस सकते हैं और फिर वहां से चले जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा घर एक घर नहीं है परन्तु एक सराय की तरह है। चीनियों द्वारा सेनायें हटाने का एक तर्फा निर्णय हमारे देश के लिये अपमानजनक था। पाकिस्तानी सेनायें भी हमारी सीमा के चारों ओर नजर आ रही हैं। इस लिये इस समय देश की सब से बड़ी आवश्यकता उसकी प्रतिरक्षा है। हमारी योजनाओं तथा हमारी राष्ट्रीय आय का क्या लाभ होगा यदि हम पत्थर का जवाब ईंट से देने की स्थिति में न हों। मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन महीने बाद हमारे वित्त मन्त्री एक और वित्त विधेयक प्रस्तुत करें और वह विधेयक प्रतिरक्षा उन्मुख होना चाहिये।

आज एशिया का एसा कोई देश नहीं जो प्रतिरक्षा संबंधी तैयारी न कर रहा हो। जापान, अमरीका से सहायता ले रहा है। चीन की अपनी शक्ति है। दक्षिणी वियतनाम तथा पूर्वी

वियतनाम भी किसी न किसी गुट में शामिल हैं। पाकिस्तान दोनों गुटों से लाभ उठा रहा है। संयुक्त अरब गणराज्य ने जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई है। वे आणविक बम्ब बनाने का कार्य भी आरम्भ करने जा रहे हैं। हमारे देश को भी आत्मनिर्भर होना चाहिये। इसलिये मैं फिर इस बात पर बल देता हूं कि आज इस देश में आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिरक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाए।

कुछ दिन पहले मैंने एक सैनिक विशेषज्ञ द्वारा लिखित एक लेख पढ़ा। वह लिखते हैं कि चीन हम से 18 महीने आगे है। यदि कोई देश हमसे 18 महीने आगे हो तो हमें उसका मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। हमने यह निर्णय किया है कि हम अपनी आणविक शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये करेंगे। हम इसके बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं परन्तु आज हमें प्रतिरक्षा संबंधी पूरी-पूरी तैयारी करनी चाहिये चाहे हमें अपनी योजनाओं को कुछ समय के लिये स्थगित करना पढ़े।

जहां तक राजनयिक कार्यवाही का संबंध है, हमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हमें यह ध्यान रखना चाहिय कि ब्रिटेन पाकिस्तान ही की सहायता करेगा क्योंकि पाकिस्तान की नींव उन्होंने ही रखी थी। अमरीका से भी यही आशा रखी जानी चाहिये। हमारा राजनयिक कार्यक्रम ब्रिटेन तथा अमरीका की सहायता से नहीं परन्तु अफ्रीका तथा एशिया के देशों की सहायता से लागू किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह तीन महीने के अन्दर एक और वित्त विधेयक प्रस्तुत करें जिससे यह पता लगे कि हमारा देश प्रतिरक्षा के लिये पूरी पूरी तैयारी कर रहा है और हम पाकिस्तान तथा चीन का सामना कर सकें।

Shri BishanChander Seth (Etah) : The Government has imposed many taxes in the country such as Income-tax, Estate Duty, Gift tax, Corporation Tax, Central Excise Duty and Sales Tax etc. The result of so many taxes and the heaviest taxation is that a thing whose cost of production is Re. 1 is sold at Rs. 2. 1/2 in the market. The burden of taxation in India is unparralleled. I would also like to say here that the supplementary grants are now equal to the amount of our budget eighteeen years ago. The people are unable to bear this heavy burden. The impact of taxation falls on the common consumers and not on the rich people.

The Government claims that the industry is progressing. But the price of shares is rising in the market and the people are unwilling to invest their savings when the reduction in taxes could result in more revenue in Japan and America, I am at a loss to understand why it is not done here to.

The tax structure is complicated. It should be simplified and only direct taxation should be resorted to. while making laws, the Government should take into account the feelings of the people and the laws should be as simple as possible.

The finance Minister should state how much unaccounted money has been offered to him. The recent raids have created a very unhealthy climate. The Government should not persist in following a mathod which has failed. They should find out another method and create a congenial climate. No ceilings should be fixed for people who start big farms and dairies to boost the production of foodgrains and milk and they should not be compelled to disclose the source of their capital. Similary the people who start colleges,

[Shri Bishan Chander Seth]

hospitals and factories and construct houses should not be asked the source of their money. This method will be helpful in this way that the unaccounted money will be invested in nation-building works.

I would like to say this too that except Railways and Post and Telegraph Department which we got in well-established form from the British Government is earning a profit of not more than 1 to 7 per cent. from the public undertakings. It is very unfortunate that the Government does not earn even an interest of 5 per cent per annum from the money invested in the public sector. Even in spite of this, the Government speak very high of the public sector.

We will not be able to solve the education problem successfully until we tackle it at the national level.

The Finance Minister's integrity and capability are open to question as he has ruined the economic balance of the country. He has won the election without any contast with the help of a big newspapers and transport magnates of Madras for certain considerations. Some officers have been appointed by the Ministry of Finance in the Calcutta and Bombay stock exchanges who give reports of the deals registered there which are *benami* and of which no reference is made.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member may now resume his seat. Shri N. C. Chatterjee.

श्री काशीनाथ पाण्डे (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय.....

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री काशी नाथ पाण्डे : मैं कुछ कहना चाहता हूं । आप मुझे बैठने के लिये नहीं कह सकते ।

(इसके पश्चात् श्री काशी नाथ पांडे भवन से उठ कर बाहर चले गये)

(Shri K. N. Pandey then left the House)

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : इस समय हमें वित्त मंत्री की निन्दा नहीं करनी चाहिये और न ही तो उनके द्वारा जो भूलें हुई हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहिये । आज हमारे देश की स्वाधीनता को खतरा है । चीन की हिदायतों के अनुसार पश्चिमी बंगाल की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव हो रहा है । चीनी सेना के अधिकारी वहां मौजूद हैं और फिर हमारे हजारों वर्गमील राज्य क्षेत्र पर चीन का कब्जा है । पाकिस्तान द्वारा किये गये खुले आक्रमण और पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण युद्ध की घोषणा के कारण जो आपात की स्थिति पैदा हुई है, उसकी दृष्टि में हमारी वित्तीय नीति तथा योजनाओं की प्राथमिकता के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिये और अब इस नई वित्तीय नीति में प्रतिरक्षा तथा उत्पादन के पहलु को ध्यान में रखा जाना चाहिये । हमें अपने अनावश्यक भेदभाव को मिटा कर एक हो जाना चाहिये ।

किसी सीमा तक पाकिस्तानी आक्रमण पश्चिमी देशों द्वारा पाकिस्तान को दी गई सहायता के कारण हुआ है । यह बहुत खेद का विषय है । वे अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं । यह अमरीकी सरकार द्वारा भारत को दिये गये इस आश्वासन का स्पष्ट उल्लंघन है कि पाकिस्तान अमरीका के शस्त्र भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेगा । परन्तु उन्होंने इस आश्वसन का उल्लंघन

किया है । वास्तव में हमने तो हिरोशीमा पर बम्ब गिराये जाने के लिये जिम्मेवार सेनापति को कच्छ में अपने अग्रिम क्षेत्रों में जाने दिया है और यह दिखाया है कि हमने पाकिस्तान के विरुद्ध अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है । परन्तु पाकिस्तान के वैदेशिक कार्यालय ने यह कहा है कि उन्हें अमरीका से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ कि कच्छ के रन के विवादग्रस्त क्षेत्र में किसी अमरीकी पर्यवेक्षक को आने दिया जाये ।

अफ्रीकी-एशियाई देशों में भारत को जो सम्मान प्राप्त है, उसे पश्चिमी देश पसन्द नहीं करते । इसलिये वे हमारी प्रतिष्ठा भंग करना चाहते हैं । मुझे प्रसन्नता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की ओर युद्धकारी पग उठाया है क्योंकि इससे भारत की एकता का प्रदर्शन हुआ है । यह हर्ष का विषय है कि भारत के मुसलमान संकट के समय सरकार की सहायता करेंगे । पाकिस्तान का इरादा भारत की धर्म निरपेक्षता को समाप्त करने का था परन्तु वे इस में बुरी तरह असफल रहे हैं । चीन ने हमारी लोकतन्त्रात्मक प्रणाली का नाश करना चाहा परन्तु वे भी उसमें असफल रहे ।

पाकिस्तान का प्रचार समस्त संसार में बहुत प्रभावी रहा है जबकि हमारी प्रचार व्यवस्था बहुत कमजोर रही है और हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों ने कोई प्रभावशाली काम नहीं किया । इस बारे में कुछ कदम उठाये जाने चाहियें । हमारे प्रधान मंत्री को जनता के नाम साप्ताहिक प्रसारण करने चाहियें । मुझे बताया गया है कि 1956 में पाकिस्तानी सेना ने कच्छ में छाद बेट पर कब्ज़ा कर लिया था परन्तु बाद में वे वहां से चले गये । हमारी सेनाओं के आने-जाने को सुविधापूर्वक बनाने के लिये इस संबंध में उस समय कुछ सिफारिशें भी कई गई थीं परन्तु पिछले 9 वर्षों में इस बारे में कोई कदम नहीं उठाये गये और आज हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय हमें आय-व्यय की आलोचना नहीं करनी चाहिये परन्तु वर्तमान स्थिति में, जबकि हमारे देश को बाहर के देशों से खतरा है, हमें वित्त मंत्री को समर्थन देना चाहिये परन्तु इस शर्त पर कि वह स्पष्टतया यह कहें कि आय-व्ययक प्रतिरक्षा के पहलू से बनाया जायेगा और प्रतिरक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि राउरकेला, दुर्गापुर तथा अन्य स्थानों पर जहां हमने अपने इस्पात कारखाने स्थापित किये हैं, हमने इनकी ठीक सुरक्षा के लिये विमान विध्वंसक तोपें नहीं लगाई हैं । हमें इस बारे में उचित व्यवस्था करनी चाहिये । हमारे शत्रु निर्लज्ज हैं अतः हमें देखना चाहिये कि हम लापरवाही में न पकड़े जायें और जो निर्माण कार्य हमने किया है उसका विनाश न हो ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह आय-व्ययक प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है । प्रतिरक्षा के लिये विशिष्ट एशिया निर्धारण किये जाने के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की राशियां हम अपनी सीमायें सुदृढ़ करने तथा सीमावर्ती सड़कें आदि बनाने पर व्यय करते हैं । आर्थिक तैयारी के दृष्टिकोण से हम सभी सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं । सीमाओं पर नियुक्त की गई पुलिस पर भी हम काफी खर्च कर रहे हैं । आशा की जाती है कि युद्ध के बादल जो आकाश पर छा रहे हैं, शीघ्र ही दूर हो जायेंगे । परन्तु फिर भी जहां तक आर्थिक तैयारी का संबंध है हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । जिस सीमा तक हम प्रतिरक्षा उपकरण बनाने में समर्थ हैं, वहां तक हम पूरी पूरी आर्थिक सहायता दे रहे हैं । परन्तु हमें यह आशा करनी चाहिये कि इतनी तैयारी के बावजूद भी तथा प्रतिरक्षा संबंधी उपकरण भारी मात्रा में बनाने के बावजूद भी हमें इनका उपयोग करने का अवसर न मिले ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

इससे पूर्व कि मैं कुछ और कहूं मैं उन बातों का उत्तर देना चाहता हूं जो दो माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में कहीं हैं। मेरे विचार में संसदीय लोकतन्त्र किसी पर लांछन लगाये बिना भी चल सकता है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैंने ऐसा जीवन नहीं व्यतीत किया जिससे मुझे लज्जित होना पड़े। मैंने किसी का धन नहीं लिया है, मैंने किसी की स्त्री नहीं ली है। जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। इस समय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे लड़के जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में पुस्तिकायें परिचालित की जा रही हैं। मैं उनके बारे में बहुत नहीं जानता परन्तु इतना अवश्य जानता हूं कि वे धनाढ्य नहीं हैं। पता नहीं इन पुस्तिकाओं के पीछे क्या उद्देश्य हैं। यह राजनैतिक उद्देश्य हो सकता है या फिर यह हो सकता है कि कुछ लोगों में मैं लोकप्रिय नहीं हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि चुनाव जीतने में किसी व्यक्ति ने मेरी सहायता की है। यह ठीक नहीं है। शायद कई व्यक्तियों ने मेरी सहायता की भी हो। यदि आपको निर्वाचन में 1,50,000 मत प्राप्त होते हैं, तो इसका यह अर्थ हुआ कि 1,50,000 लोगों ने आपकी सहायता की। यदि कोई सहायता न करे तो कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति ने मेरी सहायता की और यह आरोप लगा कर वह सभा से गायब हो गये हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बजट की आलोचना की है। श्री मसानी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। सरकार के कामों में त्रुटियां निकाली गई हैं। मैं इस आलोचना का स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा कि चर्चा में दिये गये सुझावों पर विचार कर के लाभ उठाया जाए। यहां पर कहा गया है कि पूंजी बाजार ठप्प हो गया है। और सभी चीजें नष्ट होती जा रही हैं। ऐसी बात वास्तव में नहीं है। हम दिवालिया नहीं हुये हैं। हमें विश्वास है कि हमारी अर्थ व्यवस्था अच्छी है। यदि हमें विदेशी सहायता नहीं मिलती तो भी हमें योजना को पूरा करना है। श्री के० दे० मालवीय ने तो विदेशी सहायता के न लेने की सिफारिश की है। हम इस समय चौथी योजना के तैयार करने में लगे हुये हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि इस को कार्यान्विति में हम सफल होंगे। यह ठीक है कि हम ने गलतियां की हैं परन्तु ये जानबुझ कर नहीं की गईं। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अब हर प्रकार के संकट का सामना कर सकते हैं। यदि 12,600 लाख डालरों में से जिसकी हम ने मांग की है, हमें केवल 10,270 लाख डालर ही प्राप्त हुये तो हमें उसी से काम चलाना होगा। जर्मनी ने सहायता राशि में 10 प्रतिशत की कटौती की है और हो सकता है अमरीकी कांग्रेस भी ऐसा करे। इस का अर्थ यह नहीं कि वे देश हमारी आर्थिक नीति से असहमत हैं। इसके लिये उन देशों के निजी कारण हो सकते हैं। जो देश हमारी सहायता करते हैं यह उन के लिये आवश्यक नहीं कि वे नकद धन दें। उस सहायता की रशि से हम उन्हीं देशों से माल खरीदते हैं। हम देखते हैं कि किस देश से कौन सी वस्तु ली जाये। रूस में आर्थिक विकास के क्षेत्र बहुत कुछ हो रहा है। हमारा वह मित्र देश है। इस मित्रता से दोनों दशों को लाभ हो रहा है। पिछले साल जुलाई में मैं ईंगलैंड में था तो दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। यह प्रस्ताव मान लिये गए थे। इससे हमें और वहां के लोगों को अर्थात् दोनों देशों को लाभ हुआ था। यहां पर कहा गया है कि निजी करों का सरलीकरण कर दिया गया है परन्तु कम्पनियों के करों का सरलीकरण भी होना चाहिये। बड़ी कम्पनियों के तो लेखा परीक्षक भी होते हैं परन्तु छोटी कम्पनियों की कठिनाइयों का ध्यान करते हुये ऐसा

करना आवश्यक है। मैं इस बात से सहमत हूं। हम इस बारे में कोशिश करेंगे और इसका सरल हिन्दी में अनुवाद भी करायेंगे ताकि लोगों को इस संबंध में कोई कठिनाई अनुभव न हो। श्री मोरारका ने यह बात कही थी अगले साल इस बारे में कुछ किया जाएगा।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार संसदीय प्रथा के अनुसार कोई नई बात नहीं है। ब्रिटेन की सरकार के पास भी यह शक्ति है। वहां पर 1961 से यह दोहराई जा रही है।

माननीय सदस्यों ने राज्यों की समस्याओं का उल्लेख किया है। यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में बहुत कम सड़कें हैं। यह ठीक है परन्तु हमें यह भी समझना चाहिये कि इतने बड़े राज्य में सड़कें एक या दो योजनाओं की अवधि में नहीं बन सकतीं। अतः हमें अपने कार्य को आगामी योजनाओं तक स्थगित करना पड़ता है। अब मुझे राज्यों की समस्याओं की पर्याप्त जानकारी है। मैं बहुत से राज्यों में स्वयं गया हूं और मैं कह सकता हूं कि सभी स्थानों पर मैंने सहयोग का वातावरण पाया है। मैं आशा करता हूं कि अब उनको आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही सहायता दी जा सकेगी। हमें सभी राज्यों की सहायता करनी है। श्रीमणियंगाडन ने केरल की बात कही है। वह भी अब केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। यहां पर कही गई बातों को चौथी योजना बनाते समय ध्यान में रखा जायेगा।

छिपे धन के निकालने के बारे में प्रक्रिया कठिन नहीं है। उसका सरलीकरण कर दिया गया है। ऐसे धन के बारे में की जानी वाली कार्यवाही अंधेरे में छोड़े गये तीर के समान है। अब तक छोटे लोग ही अपने धन के बारे में जानकारी देने आये हैं। इस संबंध में पहले ही बहुत छूट दे दी गई है और अधिक छूट नहीं दी जा सकती। 31 मई से आगे समय नहीं बढ़ाया जायेगा। हम अपनी ओर से किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहते। परन्तु देश के हितों की रक्षा अवश्य होनी चाहिये। हम किसी की धन उपार्जन क्षमता पर पाबन्दी नहीं लगाना चाहते। परन्तु हमें कानून के अधीन लगे करों को तो लेना ही है। यह कहा गया है कि हमारे देश में बहुत अधिक कर लगे हुये हैं। यह बात विचित्र नहीं है। हमारे यहां पर कम अपवंचन बहुत अधिक है। यदि लोग पूरे करों का देना आरम्भ कर दें तो हम करों को कम करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि हमें करों से पूरा धन मिलने लगे तो और कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जिन संशोधनों का मैंने प्रस्ताव किया है, मुझे आशा है सदन उन्हें स्वीकार कर लेगा। इनकी संख्या केवल 16 या 17 है। धन की जानकारी देने के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है। ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकारों ने कहा है "कि आपने अपना धन बताया है अतः आप को बिक्री कर देना होगा" यह ठीक नहीं है क्योंकि बिक्री कर तो देना ही होता है चाहे लाभ हो अथवा नहीं। इस संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं। मैं शीघ्र ही इस सत्र में अथवा अगले सत्र में एक विधेयक लाने वाला हूं जिसमें इन त्रुटियों को दूर कर दिया जायेगा। मेरे विचार में हमें तेल तथा उरर्वक के आयात के लिये धनराशि एक ही मद में लानी चाहिये। ये दोनों चीजें एक दूसरे से संबंध रखती हैं। हमें अपने ही देश के संसाधनों से अधिकाधिक लाभ उठाना है। इसके लिये हमें पूरा प्रयत्न जारी रखना है। श्री मालवीय द्वारा इस संबंध में कही गई बात विचार करने योग्य है और उस पर विचार होगा। जहां तक हो सके सहायता के रूप में मिली विदेशी मुद्रा का यथाशीघ्र प्रयोग किया जाता है।

श्री ज० ब० सिंह : क्या उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ किया जा रहा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सहकार समितियों पर आयकर के बारे में कुछ किया जा रहा है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस बारे में मैंने एक नोट परिचालित किया है । माननीय सदस्यों को मानना होगा कि इस समय संशोधन द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता । इस पर बाद में विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1965–66 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 148, विपक्ष में 18

Ayes 148; Noes 18

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

उपाध्यक्ष महोदय : कल विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी ।

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 5 मई, 1965/वैशाख 15, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha, then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, May 5, 1965/ Vaisakha 15/ 1887 (Saka).

5002

GMGIPND—LS III—737 (Ai)LSD—30-7-65—600.